वित्तीय प्राक्कलन

तथा

निष्पादन बजट

2021-2022

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110002

विषय सूची

विवरण		पृष्ठ संख्या
अधिशासी सारांश		**3-12**
बजट एक नज़र में		**13**
वर्ष 2020-2021 के लिए परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2021-2022 के बजट प्राक्कलन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन		**14-32**
विवरण क :	राजस्व प्राक्कलन	**33-37**
विवरण ख :	व्यय प्राक्कलन	**38-45**

परिशिष्ट :-

i.	दिनांक 31.03.2021 तथा 31.03.2022 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की प्रत्याशित संख्या का सूचक विवरण	**46-47**
ii.	प्रति व्यक्ति आय और व्यय का सूचक विवरण	**48**
iii.	पूंजीगत कार्य और बजट आवश्यकता परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 का विवरण	**49-56**
निष्पादन बजट 2021-2022		**57-75**

संलग्नक :-

I.	व्याप्ति की राज्यवार स्थिति का सूचक विवरण (दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. योजना के अधीन कर्मचारियों, बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं तथा परिवार एककों की संख्या)	**76-79**
II.	क.रा.बी. योजना के अंशदान से प्रति व्यक्ति आय और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय का सूचक विवरण	**80**
निष्पादन एक झलक में		**81-83**

अधिशासी सारांश

प्रस्तुत दस्तावेज में क.रा.बी. निगम के वित्तीय वर्ष 2020-2021 का परिशोधित बजट प्राक्कलन तथा वर्ष 2021-2022 के लिए बजट प्राक्कलन है।

क.रा.बी. निगम बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी तथा मजदूरी की हानि के फलस्वरूप विषम आकस्मिकताओं, रोजगार चोट के कारण निःशक्तता और मृत्यु; मातृत्व में संरक्षित करने तथा बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, क.रा.बी. निगम ने प्रमुख पहल शुरू की हैं, जैसे- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी योजना, देश के प्रत्येक जिले में औषधालय-सह-शाखा कार्यालय तथा 30 नए अस्पतालों का निर्माण, जिससे काफी हद तक बीमाकृतों की जनसंख्या के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्तरीय चिकित्सा देखरेख की उपलब्धता में बढ़ोतरी संभावित है। क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. योजना और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बीच के बीच तालमेल का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) के साथ भागीदारी की है, जिससे ऐसी पद्धति विकसित होगी, जहां चुनिंदा जिलों के क.रा.बी. निगम हितलाभार्थी आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामिकायित अस्पतालों व योजना सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थी क.रा.बी. निगम की सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे।

वर्तमान में, देश कोविड-19 महामारी के कारण एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और अभूतपूर्व स्थिति से जूझ रहा है। कोविड अवधि में बीमाकृत व्यक्तियों के हित का ख्याल रखने के लिए, क.रा.बी.निगम ने रेफरल आवश्यकता के बिना चिकित्सा देखभाल को सुलभ बनाया है और कोविड परीक्षण और देखभाल सुविधाएं खोली हैं। क.रा.बी.निगम ने 23 क.रा.बी.निगम अस्पतालों के माध्यम से लगभग 2,600 एकांत बिस्तर (आइसोलेशन बेड) और लगभग 1,350 संगरोध बिस्तरों के साथ 555 आईसीयू/एचडीयू बिस्तर और 213 वेंटिलेटर के साथ कोविड-19 समर्पित अस्पतालों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करके बीमाकृत व्यक्तियों के साथ-साथ आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। इसके अलावा, क.रा.बी.निगम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान रोजगार खो चुके श्रमिकों को शिथिल शर्तों के साथ बीमाकृत व्यक्तियों को भी नकद राहत प्रदान कर रहा है।

इसलिए वर्ष 2020-21 के परिशोधित प्राक्कलनों और बजट प्राक्कलनों 2021-22 में जहां कहीं भी आवश्यक हो, क.रा.बीमा योजना के तहत विभिन्न हितलाभ योजनाओं के लिए बजट शीर्षों में आवश्यक बजट प्रावधानों को शामिल किया गया है।

1.1 क.रा.बी. योजना का विस्तार :

1.1.1 वर्तमान में, इस योजना की उपस्थिति 575 जिलों में है, जिसमें 387 पूर्ण रूप से क्रियान्वित जिले और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों सहित 187 आंशिक रूप से अधिसूचित जिले शामिल हैं। दूसरी पीढ़ी क.रा.बी.निगम 2.0 के सुधारों को जारी रखते हुए, क.रा.बी.निगम ने दृष्टि-2022 के अनुसार निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ क.रा. बीमा योजना की अखिल भारतीय व्याप्ति के लिए एक कार्य योजना तैयार की है: -

क्र.सं.	विषय	लक्ष्य वर्ष
1	इस योजना को उन 187 जिलों में पूरी तरह से लागू करना, जहां इसे आंशिक रूप से अधिसूचित किया गया है और 161 जिले, जहां योजना को अभी अधिसूचित किया जाना है।	31 मार्च, 2021

क.रा.बी. योजना के देश में विस्तृत भौगोलिक विस्तार होने के साथ क.रा.बी. योजना के अंतर्गत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के हितलाभ सभी पात्र कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों तक विस्तारित होंगे।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम 36) को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि भी शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आठ अन्य केंद्रीय अधिनियमों के साथ क.रा.बी.अधिनियम, 1948 को समाहित करती है। एक बार अधिसूचित होने के बाद, देश के पूरे क्षेत्र को क.रा.बीमा योजना के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाएगा, एक बार क.रा.बी.निगम द्वारा कर्मचारियों को हितलाभ उपलब्ध करा देने पर अंशदान नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा देय होगा और ऐसी तारीख केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है ।

1.1.2 <u>राज्यों द्वारा राज्य स्वायत्त निकाय/सोसायटी का गठन</u> :

क.रा.बी.निगम ने अपनी 167वीं और 172वीं बैठक में क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 58(5) के अंतर्गत राज्य स्वायत्त निकाय/सोसायटी की नई संरचना अनुमोदित की है। राज्य इस निकाय को एक सोसायटी के साथ-साथ एक न्यास के रूप में भी पंजीकृत करेंगे तथा क.रा.बी. निगम सोसायटी के बैंक खाते में सीधे निधि जारी करेगा। राज्य क.रा.बी.सोसायटी के गठन के लिए अब तक 19 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र[1] सहमत हो गए हैं। केंद्रीय सरकार ने 7 राज्यों यथा- तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, त्रिपुरा, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश को सोसायटी का गठन करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में क.रा.बी. सोसायटियां प्रचालन में हैं। इन राज्यों में सोसायटी के बैंक खाते में सीधे तौर पर निधि अंतरण की जा रही है।

राज्य स्वायत्त सोसाइटी के गठन से क.रा.बी. योजना के बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों को बेहतर प्राथमिक और द्वितीयक देख-रेख द्वारा चिकित्सा हितलाभ आपूर्त करने वाली सेवा में बहुत सुधार होगा और बीमाकृत व्यक्तियों को ये सेवाएं तीव्रता से दी जा सकेंगी।

1.2 अंशदान आय

क.रा.बी. अंशदान को दिनांक 01.07.2019 से 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन और चल रही कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण अंशदान आय से राजस्व का संग्रह 18,500 करोड़ के बजट प्राक्कलन 2021-22 के पहले के अनुमान से गिरकर 6,000 करोड़ रुपये हुआ है। हालांकि, आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ, अंशदान आय से राजस्व संग्रह बजट प्राक्कलन 2021-22 के लिए 13,750 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

1.3 चिकित्सा सेवाएँ :

वर्ष 2020-2021 के परिशोधित प्राक्कलनों में चिकित्सा हितलाभों (1.3.1 से 1.3.4) के लिए कुल ₹ 11,244 करोड़ का प्रावधान है जो वर्ष 2020-2021 के लिए आकलित अंशदान आय का लगभग 90% है। इसी प्रकार बजट प्राक्कलन 2021-2022 में ₹ 13,206 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो कि वर्ष 2021-2022 की आकलित अंशदान आय का 96% है।

[1]तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह।

1.3.1 गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू)/उच्च निर्भरता इकाई (एचडीयू) सेवाओं की स्थापना

कोविड-19 महामारी के बीच क.रा.बी.निगम अस्पतालों में आईसीयू/एचडीयू सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से क.रा.बी.निगम ने 07.12.2020 को आयोजित अपनी 183वीं बैठक में सभी क.रा.बी.निगम अस्पतालों में कुल चालू बिस्तरों के 10 प्रतिशत तक आईसीयू/एचडीयू सेवाओं की स्थापना हेतु अनुमोदन दे दिया है ।

1.3.2 नए कार्यान्वित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था :

ऐसे स्थानों पर जहां स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने के लिए निगम की अपनी अवसंरचना नहीं है, नामांकित नए बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (एम-ईयूडी) तथा आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (एम-आइएमपी) योजना आरंभ की गई है, जिससे प्राथमिक देखरेख सेवाएं प्रदान की जाती हैं। द्वितीयक देखरेख चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को जानी-मानी निजी स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं के साथ टाइ-अप करने के लिए पहले से ही प्राधिकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में औषधालय-सह-शाखा कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जिले स्तर पर रेफरल और प्रतिपूर्ति के लिए सभी टाइ-अप पर नजर रखी जा सके।

इससे आगे, नए कार्यान्वित क्षेत्रों में चिकित्सा देखरेख की उपलब्धता सुनिश्चत कराने हेतु क.रा.बी. निगम ने पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) के साथ समझौता ज्ञापन कर लिया है ताकि क.रा.बी. निगम लाभार्थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई.) नामिकायित अस्पतालों में सेवाओं के लिए सीधे जाने में सक्षम हो सकें। क.रा.बीमा लाभार्थी भी देश भर में ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. नामिकायित अस्पतालों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे हैं और दूसरा पक्ष भी इसका लाभ उठा सकेगा। ऐसी अपेक्षा है कि इस संबंध से आगे क.रा.बी. निगम के उन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च मांग होगी जो अभी अल्प उपयोग में आ रहे हैं और परिणामस्वरूप ऐसे स्थानों पर आधारभूत ढांचे के सुधार में मदद मिलेगी।

अहमद नगर (महाराष्ट्र) और बीदर (कर्नाटक) में प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है, जिसमें क.रा.बी. निगम लाभार्थी पीएमजेएवाई नामिकायित सभी अस्पतालों में योजना के अंतर्गत सभी द्वितीयक और तृतीयक देखरेख हेतु सक्षम होंगे और यह पहल 102 जिलों तक बढ़ाई जा रही है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और क.रा.बी.योजना परस्पर अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के मुख्य लाभ

1. ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. के तहत स्वास्थ्य देखरेख प्रदाता तक क.रा.बी.निगम हितलाभार्थियों को पहुंच प्राप्त होगी।
2. ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. लाभार्थी क.रा.बी. निगम नामिकायित अस्पतालों में सेवाएं पाने में सक्षम होंगे।
3. क.रा.बी.निगम के हितलाभार्थी अपने क.रा.बी. योजना कार्ड को ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. नामिकायित अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा के लिए प्रयोग (एक्सेस) कर सकते हैं।
4. इसी प्रकार ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. के लाभार्थी अपना पी.एम.जे.ए.वाई. कार्ड अल्प उपयोग में आ रहे क.रा.बी. निगम अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा के लिए प्रयोग (एक्सेस) कर सकते हैं।

क.रा.बी.निगम ने 07.12.2020 को आयोजित अपनी 183वीं बैठक में फैसला किया कि जिन क्षेत्रों में 10 किमी के दायरे में क.रा.बीमा बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, क.रा.बीमा लाभार्थी क.रा.बीमा औषधालय या अस्पताल से रेफरल की आवश्यकता के बिना क.रा.बी.निगम या आयुष्मान भारत के साथ नामिकायित अस्पताल से सीधे बाह्य रोगी विभाग सेवाओं के लिए चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। ऐसे मामलों में, यदि आंतरिक उपचार के लिए

प्रवेश की आवश्यकता होती है, तो नामिकायित अस्पताल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से क.रा.बीमा अनुमोदन प्राधिकारी से समयबद्ध अनुमति प्राप्त करेगा।

इन सेवाओं के लिए 200 करोड़ रुपये परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में और 700 करोड़ रुपये बजट प्राक्कलन 2021-2022 में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

1.3.3 अति विशिष्टता उपचार (एसएसटी) :

क.रा.बी. निगम देशभर में 1381 टाइ-अप अस्पतालों के माध्यम से अति विशिष्टता उपचार सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें मई 2017 से यूटीआइ-आइटीएसएल की सेवाओं को बिल प्रक्रमण एजेंसी (बीपीए) के रूप में लिया गया है। 'रेफरल' धन्वंतरि और यूटीआइ मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट किए जा रहे हैं। इस प्रणाली के माध्यम से किए गए भुगतानों का ऑनलाइन अनुवीक्षण किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता आए और टाइ-अप अस्पतालों को समय पर भुगतान हो। इसके अलावा, सिस्टम में आवश्यक तरलता और बाधाओं को रोकने के लिए दिनांक 07.10.2020 से अग्रिम भुगतान की प्रणाली को शुरू किया गया है।

टाइ-अप अस्पताल नेटवर्क और सीधे क.रा.बी.निगम द्वारा संचालित अस्पतालों द्वारा अति विशिष्टता उपचार के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में ₹ 1522 करोड़ और बजट प्राक्कलन 2021-2022 में ₹ 1642 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

1.3.4 चिकित्सा तथा अन्य उपस्करों का प्रापण :

क.रा.बी. निगम ने उपस्करों की खरीद हेतु व्यवस्थित सुधार किए हैं। विभिन्न अस्पतालों के लिए उपस्करों के प्रतिमानकों की समीक्षा तथा समरूप विनिर्दिशों सहित केंद्रीकृत खरीद, जेईएम (जेम) के माध्यम से प्रापण आदि इनमें से कुछेक हैं। इन उपस्करों के प्रापण के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 में पूंजी खाते में क्रमश: 186 करोड़ रुपये तथा 212 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इस प्रावधान में सभी क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए संस्वीकृत कोविड-19 निदान के अनुरूप आणविक प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की खरीद के लिए 3 करोड़ (लगभग ..) रुपये की राशि भी शामिल है।

1.3.4 आयुष

क.रा.बी. निगम ने नरेला में मौजूदा इमारत के नवीयन के लिए 30 बिस्तरों वाले एलोपैथिक अस्पताल और निदान केंद्र के साथ कें.लो.नि.विभाग को 50 बिस्तर वाले आयुष अस्पताल का काम सौंपा। प्रस्तावित कार्य के लिए अवधारणा योजना को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक बाह्य रोगी विभाग चल रहे हैं।

1.3.5 बीमाकृत महिला (आइडब्ल्यू) और बीमाकृत व्यक्ति (आइपी) को उसकी पत्नी के लिए प्रसूति व्यय

जीवन-निर्वाह सूचकांक की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रसूति से संबंधित व्यय में वृद्धि हुई है, क.रा.बी.निगम द्वारा 13.02.2020 को हुई 181वीं बैठक में प्रसूति खर्चों की मौजूदा राशि 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है।

परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 और बजट प्राक्कलन 2021-22, प्रत्येक के लिए रु. 7 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

1.3.6 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएँ

वर्तमान में, क.रा.बी. निगम 6 चिकित्सा महाविद्यालयों (2020-21 से प्रत्येक में 125 सीट) को चला रहा है। इसके अतिरिक्त 3 चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण किया गया है और राज्यों को सौंप दिए गए हैं (कोयम्बतूर, मंडी और पेरीपल्ली)। क.रा.बी.निगम 5 स्नातकोत्तर संस्थान, 2 दंत्य महाविद्यालय (2020-21 से प्रत्येक में 62 सीट) तथा 2 नर्सिंग महाविद्यालय (2020-21 से प्रत्येक में 46 सीट) भी संचालित कर रहा है। वर्ष 2020-2021 शैक्षणिक वर्ष के लिए चिकित्सा और दंत्य महाविद्यालयों में आबंटित सीटों में से 411 सीटों (383 एमबीबीएस+28 बीडीएस) पर बीमाकृत व्यक्ति के पात्र अर्हक प्रतिपाल्य (वार्ड) को वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त पाठयक्रम समाप्त करने के पश्चात स्नातक और परा-स्नातक चिकित्सकों की तैनाती वरीयता के आधार पर क.रा.बी. योजना द्वारा संचालित अस्पतालों में की जाएगी और इसके पश्चात तैनाती क.रा.बी. निगम अस्पतालों में की जाएगी। क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय, गुलबर्गा के लिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नोलॉजी में प्रत्येक के लिए 20 सीटों सहित परा चिकित्सा पाठयक्रमों को शुरू करने हेतु अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है। इन चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं के प्रबंधन के लिए कुल बहिर्गामी परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 क्रमश: 456 करोड़ रुपये तथा 611 करोड़ रुपये (पूर्ण होने वाली परियोजनाओं के पूंजीगत अवमूल्यन, दोनों शामिल) प्राक्कलित किया गया है।

1.4 नकद एवं अन्य हितलाभ

परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में नकद हितलाभों और अन्य हितलाभों के लिए 2279 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान है, जो अंशदान आय का 18.23 प्रतिशत है। वर्ष 2021-2022 बजट प्राक्कलन के लिए 2477 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो वर्ष 2021-2022 में अंशदान आय का 18.01 प्रतिशत है। इसमें 545 करोड़ रुपये का प्रावधान स्थायी नि:शक्तता निधि और 452 करोड़ रुपये आश्रितजन हितलाभ निधि हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में प्रावधान किया गया है और बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर स्थायी नि:शक्तता हितलाभ निधि 572 करोड़ और 475 करोड़ रुपये आश्रितजन हितलाभ का बजट प्राक्कलन 2021-2022 में किया गया है।

1.4.1 औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ)

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 29.05.2018 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में प्रत्येक जिले में औषधालय सह शाखा कार्यालय की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया ताकि प्रत्येक जिले में प्राथमिक देखभाल सेवा के लिए क.रा.बी. निगम की उपस्थिति दर्ज हो सके, बावजूद इसके कि वह जिला अंशत: कार्यान्वित है या पूर्णत: या उस क्षेत्र में राज्य द्वारा संचालित औषधालय मौजूद है। 'औषधालय-सह-शाखा कार्यालय' औषधालय एवं शाखा कार्यालयों दोनों के प्रकार्यों के निष्पादन के साथ नियोक्ता उपयोगन औषधालय/बीमा चिकित्सा व्यवसायी क्लीनिक से जुड़े लाभार्थियों को औषधियों के वितरण हेतु केंद्रीकृत फार्मेसी वितरण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। औषधालय-सह-शाखा कार्यालय बीमाकृत व्यक्तियों के प्रतिपूर्ति दावों का प्रक्रमण भी करेंगे। वर्तमान में, यह योजना 575 जिलों में अंशत: या पूर्णत: अधिसूचित की गई है। विशेषत: प्राथमिक स्तर पर चिकित्सा देखभाल के संबंध में क.रा.बी. निगम को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 376 शाखा कार्यालय-सह-औषधालय अनुमोदित किए गए हैं। औषधालय सह शाखा कार्यालय के प्रचालन से आशा है कि संपूर्ण नकद हितलाभ में सीधी आनुपातिक वृद्धि होगी। साथ ही साथ औषधि वितरण और प्रतिपूर्ति सुविधाओं के

संतुष्टि स्तर को प्राप्त करने लिए भी यह कार्य करेंगे। 376 संस्वीकृत औषधालय- सह- शाखा कार्यालयों में से 56 दिनांक 01.11.2020 को प्रचालन में है। आगे, शाखा कार्यालय-सह-औषधालय आवश्यकतानुसार प्रचालित होंगे।

शाखा कार्यालय- सह -औषधालयों के प्रचालन हेतु परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2020-2021 तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 में क्रमश: 30 करोड़ रुपये तथा 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

1.4.2 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 18.09.2018 को आयोजित अपनी 175 वीं बैठक में 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' का अनुमोदन किया है जो पात्रता की शर्तें पूरी करने पर, बीमाकृत व्यक्ति को उसके जीवनकाल में एक बार, उसकी प्रतिदिन की औसत कमाई का 25 प्रतिशत नकद क्षतिपूर्ति के रूप में उसकी बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक राहत प्रदान करती है। प्रारंभ में यह योजना दिनांक 01.07.2018 से अखिल भारत में प्रायोगिक आधार पर 2 वर्ष के लिए शुरू की गई थी। दिनांक 20.08.2020 को अपनी 182 वीं बैठक में क.रा.बी.निगम ने छह महीने दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2020 तक के लिए योजना का विस्तार करने और कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हो चुके बीमाकृत व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए राहत की दर को बढ़ाकर बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक कमाई का 50% कर दिया है और बीमाकृत व्यक्ति जो 24.03.2020 से 31.12.2020 के दौरान बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए अंशदायी और अन्य पात्रता शर्तों को शिथिल कर दिया ।

दिनांक 07.12.2020 को क.रा.बी.निगम ने अपनी 183वीं बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को समान वृद्धि दर तथा शिथिल पात्रता शर्तों पर अन्य छह महीनों अर्थात् 01.01.2021 से 30.06.2021 तक के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है ।

चूंकि राहत की दर दोगुनी कर दी गई है और योजना की पात्रता शर्तों में भी कोविड-19 महामारी से प्रभावित बीमाकृत व्यक्तियों को पात्रता शर्तों में राहत प्रदान दी गई है और इस योजना को शिथिल निबंधन एवं शर्तों पर 30.06.2021 तक आगे भी बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अधिक बीमाकृत व्यक्तियों के इस योजना से जुड़ने की उम्मीद है। लगभग 42,000 दावेदारों ने 17.12.2020 तक योजना के तहत राहत के लिए पहले ही अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है।

तदनुसार, परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2020-2021 में ₹ 150 करोड़ की राशि और बजट प्राकल्लन वर्ष 2021-22 में ₹ 125 करोड़ की राशि प्रदान की जा रही है।

1.5. चिकित्सा संस्थाएँ और अन्य परियोजनाएँ (परिशिष्ट-III देखें)

1.5.1 वर्ष 2019-2020 के दौरान, क.रा.बी. निगम ने 08 परियोजनाएं[2] पूरी कर ली हैं जिसमें कुल रू. 1,994 करोड़ की राशि पूंजीकृत की गई है।

1.5.2 कठोर निगरानी के साथ-साथ व्यवस्थित समीक्षा तथा मामला विशेष अभिगम के विकास के साथ और संबंधित प्रस्तुत बैंक गारंटी राशि[3] जिसे परियोजना निगरानी एजेंसियों[4] द्वारा निधि उपलब्ध करवाने पर अनुमान है कि वर्ष 2008-2009[5] की सभी अपूर्ण परियोजनाएं मार्च 2021 तक पूर्ण कर ली जाएंगी।

---

[2] 1) मैसूर, कर्नाटक में मौजूदा 100 बिस्तर वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का नवीयन। 2) जोका, कोलकाता, पशिचम बंगाल में ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण। 3) तिरुपति (आंध्रप्रदेश) में क.रा.बी.निगम अस्पताल का नवीयन और उन्नयन, 4) अयानवरम, तमिलनाडू में अस्पताल भवन का उन्नयन और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अन्य सुविधाएं। 5) बिन्नीपेट,बेंगलुरू, कर्नाटक में क्षेत्रीय कार्यालय भवन का नवीयन। 6) राजाजीनगर, कर्नाटक में क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण 7) क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, बिहटा, पटना का निर्माण 8) स्नात्कोत्तर संस्थान और अन्य परा चिकित्सा संस्थान और मेडिकल कॉलेज, के.के. नगर, चेन्नई, तमिलनाडू का निर्माण

[3] बैंक गारंटी

[4] परियोजना निगरानी एजेंसी

[5] क.रा.बी.नि. अस्पताल, बसईदारापुर, पीजीआइएमएसआर अंधेरी, क.रा.बी. अस्पताल, नाचाराम, ओखला तथा कानपुर

इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-2021 के दौरान क.रा.बी.निगम ने लगभग 6 अस्पताल और 2 औषधालय परियोजनाओं को क्रमशः अनुमानित 439 करोड़ और 5 करोड़ की लागत से पूरा कर लिया है।

1.5.3 भारत सरकार के निदेशानुसार क.रा.बी. निगम के भवनों की छतों के ऊपर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के संस्थापन का कार्य श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेसर्स राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रामेंट्स लिमिटेड (आरईआइएल) को सौंपा गया है। 19 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 153 स्थलों/अवस्थितियों का आरईआरएल द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है। आरटीएसपीपी के संस्थापन हेतु छायारहित छतों के ऊपर कुल उपलब्ध क्षेत्र 1,14,476 वर्ग मीटर है तथा 8.61 मेगा वाट (एम.डब्ल्यू) उपयोग किया जा सकता है। आरईआइएल ने क.रा.बी. निगम भवनों पर सौर ऊर्जा के संस्थापन हेतु भिन्न राज्यों में विभिन्न डेवलपर्स चयनित किए हैं। अब तक आरईआइएल ने 4.56 मेगा वाट के लिए क.रा.बी. निगम भवनों पर रूफ टॉप सौर ऊर्जा पैनल संस्थापित किया है।

1.5.4 चिकित्सा संस्थानों और अन्य परियोजनाओं के कार्य निष्पादन के लिए कुल परिव्यय निम्नानुसार प्राक्कलित किया गया है:-

क्र.सं.	परियोजनाएं	परियोजनाओं की संख्या	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 (₹ करोड़ में)	बजट प्राक्कलन 2021-2022 (₹ करोड़ में)
1.	चिकित्सा शिक्षा संस्थान	22	207.48	148.00
2.	अस्पताल/औषधालय	41	74.03	91.85
3.	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय	23	22.78	26.33
4.	नई परियोजनाएं(अस्पताल/औषधालय/ क्षेत्रीय कार्यालय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय	78	497.17	1,282.62
	कुल	**164**	**801.46**	**1,548.80**

1.6 सूचना एवं संप्रेषण प्रोद्योगिकी (आईसीटी)

ईएसआईसी के ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट "पंचदीप" ने अब अपने संचालन के 10 साल पूरे कर लिए हैं। हितधारकों की व्यापार सुगमता के लिए कई मूल्यवर्धित प्रावधान किए गए हैं।

'पंचदीप' में लागू किए गए ऐसे मूल्यवर्धित बदलावों जैसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना(ए.बी.वी.के.वाई.) को सरल और आसान बनाया गया है। वास्तविक-समय(रीयल टाइम) पात्रता जांच के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ पंचदीप मॉड्यूल का एकीकरण स्थायी निःशक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ हेतु प्रतीकार के लिए परिशोधित एवं संवर्धित दर को संभव बनाना, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के नियोजकों और इकाइयों के लिए अंशदान फाइल करने हेतु विशेष शिथिलता प्रदान करना, www.esic.in के लिए नया कार्य-निष्पादन डैश-बोर्ड, नए पंजीकृत कर्मचारियों का मोबाइल नंबर सीड करना तथा ओ.टी.पी.के ज़रिए प्रमाणीकरण करना, बल्क अपलोडिंग का प्रावधान तथा नए पंजीकृत कर्मचारियों का बैंक खाता विवरण सीड करना, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय पोर्टल तथा नेशनल करियर सर्विस (एन.सी.एस.) पोर्टल के साथ पंचदीप का एकीकरण, एसबीआई पोर्टल के माध्यम से ई - भुगतान को सक्षम करना, अंशदान का भुगतान करने के लिए नियोजकों को सक्षम करने हेतु बैंकों के साथ एकीकरण, अस्पतालों में

[6]क.रा.बी.अस्पताल, अंगुल, ओडिशा; क.रा.बी.अस्पताल, उदयपुर, राजस्थान: क.रा.बी.अस्पताल, रायपुर, छत्तीसगढ़; क.रा.बी.अस्पताल, कोरबा, छत्तीसगढ़; क.रा.बी.अस्पताल, वाराणसी, (उ.प्र.) और क.रा.बी.अस्पताल, रुद्रपुर (उत्तराखंड)

[7]क.रा.बी.औषधालय, पनकी, कानपुर (उ.प्र.) और रायबरेली (उ.प्र.)

एपॉइंटमेंट मांगने के लिए 'आस्क एन एपोइंटमेंट' मोबाइल एप, पंचदीप के विविध मॉड्यूलों के साथ यू.टी.आई.-आई.टी.एस.एल. का एकीकरण आदि के लिए रु. 2.56 करोड़ (चालू वित्तीय वर्ष के दौरान) की राशि खर्च की गई है।

आगे, ई.आर.पी.संचालन और रखरखाव व्यय हेतु बजट प्राक्कलन 2021-2022 के लिए रु. 88 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

1.7 भर्ती

वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित संवर्ग / पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू की गई है:-

क्र.सं.	कैडर / पोस्ट
01	शिक्षण संकाय की भर्ती
02	विशेषज्ञ ग्रेड-॥ की भर्ती
03	बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-॥ की भर्ती
04	नर्सिंग और पैरा-मेडिकल कैडर की भर्ती
05	कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) की भर्ती
06	सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती
07	अवर श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिक की भर्ती
08	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

तदनुसार, बजट अनुमान 2021-2022 में 58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

1.8 प्रशासन

वर्ष 2019-2020 के दौरान प्रशासनिक लागत कुल आय की 7.80 प्रतिशत थी। यह अपेक्षित है कि चालू वर्ष (2020-2021) में प्रशासनिक लागत लगभग 8.10 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2021-2022 में 9 प्रतिशत मुख्य रूप से अनुमानित अंशदान की तर्कसंगतता और चल रही कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण होगी। यह नियम 31ए के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चों के लिए निर्धारित 15% की सीमा के भीतर है।

1.8.1 स्वच्छता कार्य योजना (एस.ए.पी)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, स्वच्छता कार्य योजना संबंधी खर्च के अनुवीक्षण तथा बुकिंग उद्देश्य हेतु एक अलग बजट शीर्ष बनाया गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 में क्रमशः रू. 1.10 करोड़ रुपये तथा 1.27 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

1.9 लिंग एवं बाल बजट

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, क.रा.बी.निगम में लिंग और बाल बजट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। क.रा.बी.योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान क्रमशः 7230 करोड़ रुपये तथा 8403 करोड़ रुपये परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 के लिए किया गया है। लिंग एवं बाल बजट का शीर्षवार विस्तृत बजट आबंटन व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा सं. 8.5 तथा 15.1 में क्रमशः वर्ष 2020-2021 के परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2021-2022 के बजट प्राक्कलन में दिया गया है।

1.10 प्रमुख क्रियाकलापों पर निधि परिव्यय का सारांश:

क्र.सं.	वर्ष 2021-2022 के बजट में प्रमुख क्रियाकलाप	निधि आबंटन (करोड़ रुपये में)
1.	आयुष्मान भारत के अंतर्गत व्यय - पीएमजेएवाई	700.00
2.	अस्पतालों/औषधालयों का उन्नयन एवं नवीयन	579.36
3.	क.रा.बी.निगम अस्पतालों/औषधालयों में नए चिकित्सा एवं अन्य उपकरणों का प्रापण	196.51
4.	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत व्यय	125.00
5.	उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा सॉफ्टवेयर लाइसेंस पर व्यय	88.00
6.	चिकित्सा, परा चिकित्सा, अभियंता तथा अनुसचिवीय संवर्ग के विभिन्न पदों की भर्ती	58.00
7.	औषधालय सह शाखा कार्यालयों/हेल्थ पासबुक और आइवीआरएस पर व्यय	50.00
8.	आशोधित ईयूडी तथा आइएमपी योजना	333.00
9.	जागरूकता तथा प्रचार पर व्यय	30.00
10.	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत व्यय	1.27
	कुल	**2161.14**

#आईएमपी अर्थात् बीमा चिकित्सा व्यवसायी तथा ईयूडी अर्थात् नियोक्ता उपयोगन औषधालय।

1.11 वर्ष 2021-2022 के दौरान निधि अंतर्वाह तथा निधि बहिर्वाह का सारांश

चित्र संख्या 1: जहाँ धन व्यय हो रहा है-व्यय (बजट प्राक्कलन 2021-2022)

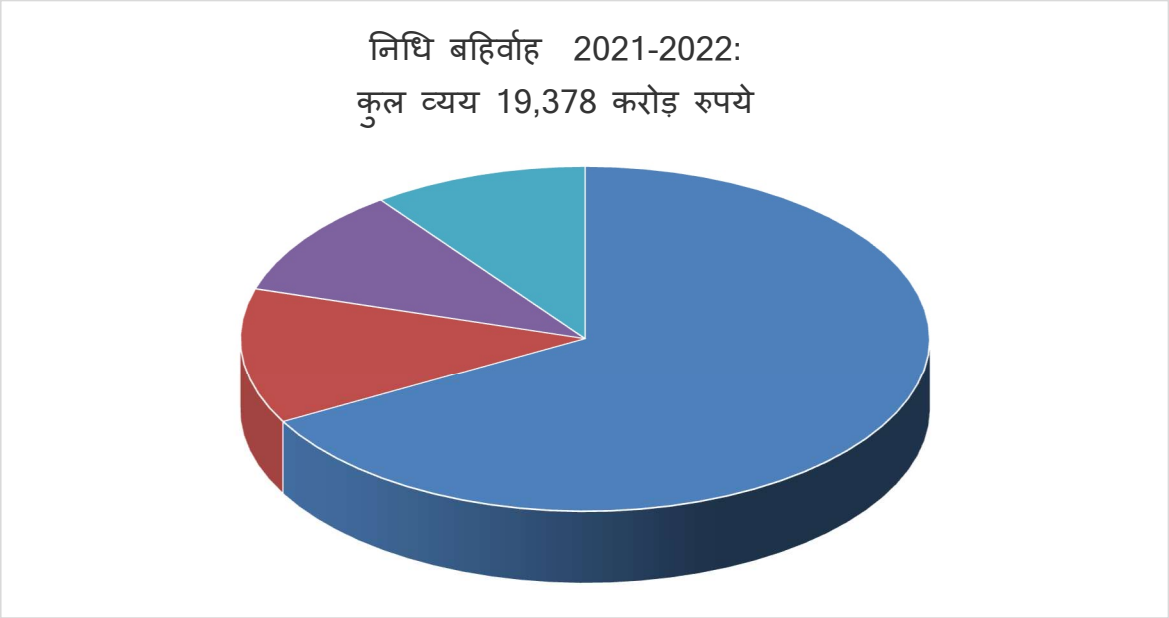

- चिकित्सा हितलाभ (13,206 करोड़ रुपए, 68%)
- प्रशासनिक व्यय (1,830 करोड़, 9%)
- नकद हितलाभ और अन्य हितलाभ (2,477 करोड़ रुपए, 13%)
- पूंजीगत व्यय (1,865 करोड़ रुपए, 10%)

चित्र संख्या 2: राजस्व - जहाँ से धन आ रहा है (बजट प्राक्कलन 2021-2022)

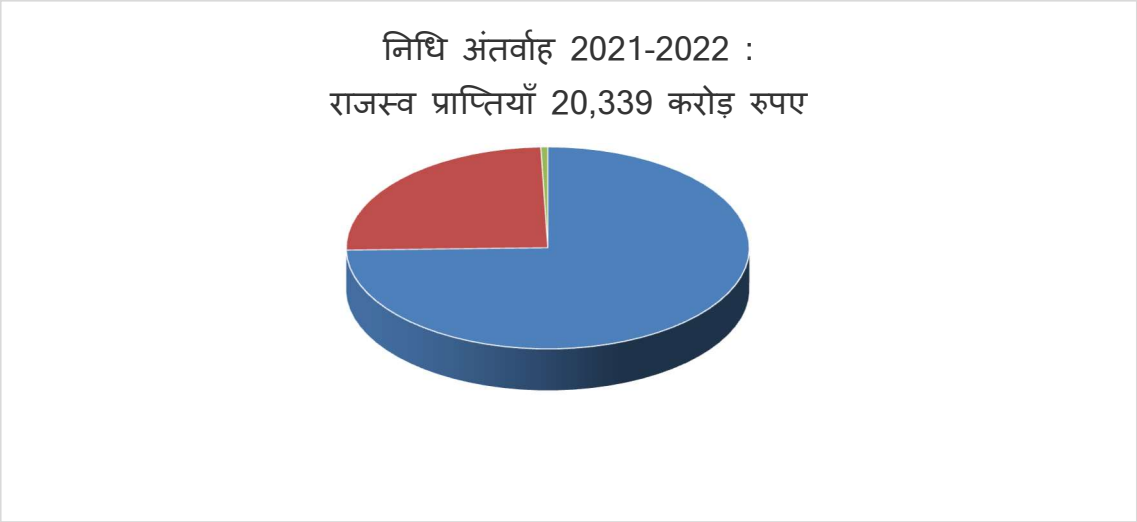

- अंशदान से आय (18,334 करोड़ रुपए, 78%)
- ब्याज (6,449 करोड़ रुपए, 31%)
- अन्य आय (140 करोड़ रुपए, 1%)

	क.रा.बी. निगम - बजट एक नज़र में				
	लेखा-शीर्ष	**वास्तविक 2019-2020**	**बजट प्राक्कलन 2020-2021**	**परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021**	**बजट प्राक्कलन 2021-2022**
क. राजस्व प्राप्तियां					**(₹ करोड़ में)**
i)	अंशदान	16,744.56	18,500.00	12,500.00	13,750.00
ii)	ब्याज	5,298.19	6,150.81	5,975.26	6,448.74
iii)	किराया, दरें तथा कर	5.47	3.00	5.35	5.40
iv)	चिकित्सा हितलाभ के निमित्त दिल्ली राज्य सरकार का अंश जो प्रथमत: निगम द्वारा वहन किया गया	0.00	0.00	0.00	0.00
v)	शुल्क, जुर्माना एवं जब्तियां	48.68	50.00	50.00	50.00
vi)	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	33.97	45.00	45.00	45.00
vii)	विविध	31.06	40.00	40.00	40.00
	कुल राजस्व प्राप्तियां :	**22,161.93**	**24,788.81**	**18,615.61**	**20,339.14**
ख.	**राजस्व व्यय**				
क)	**हितलाभ :**				
i)	चिकित्सा हितलाभ :	9,368.30	11,807.47	11,244.33	13,206.30
ii)	नकद हितलाभ :	1,867.21	2,238.56	2,276.00	2,474.00
iii)	अन्य हितलाभ :	2.12	3.88	2.63	2.78
	कुल हितलाभ :	**11,237.63**	**14,049.91**	**13,522.96**	**15,683.08**
ख)	**प्रशासनिक व्यय**	**1,727.70**	**1,798.68**	**1,507.73**	**1,830.11**
ग)	वृहत् निर्माण हेतु प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग)	**12,965.33**	**15,848.59**	**15,030.69**	**17,513.19**
ग	**मुख्य व्यय**				**(₹ करोड़ में)**
i)	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टर्स सहित)	5.51	22.21	22.78	26.33
ii)	अस्पताल एवं औषधालय	439.87	1,231.98	571.20	1,374.47
iii)	चिकित्सा शिक्षा परियोजना	132.21	191.00	207.48	148.00
iv)	अन्य परिसंपत्तियां	204.21	337.83	301.70	316.68
	कुल पूंजीगत व्यय	**781.82**	**1,783.02**	**1,103.16**	**1,865.48**
	राजस्व व्यय से राजस्व आय की अधिकता	**9,196.58**	**8,940.22**	**3,584.91**	**2,825.95**

वर्ष 2020-2021 के लिए परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2021-2022 के लिए बजट प्राक्कलन का व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्राप्तियों और व्यय के बजट प्राक्कलन बजट एवं लेखा उप समिति तथा स्थायी समिति द्वारा क्रमशः 27.01.2020 और 28.01.2020 को अनुमोदित किए गए थे। ये प्राक्कलन दिनांक 13.02.2020 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 181वीं बैठक में अंगीकृत किए गए थे। केन्द्र सरकार ने अपने पत्र संख्या जी-20017/01/2020 एस.एस-1 दिनांक 27.03.2020 द्वारा बजट का अनुमोदन किया।

क.रा.बी.योजना का प्रसार उन सभी जिलों में पूर्ण व्याप्त करते हुए करना जहां योजना वर्तमान में चल रही है।

एसिक **2**.0 के द्वितीयक पीढ़ी सुधारों के क्रम में क.रा.बी.निगम ने क.रा.बी.योजना की अखिल भारतीय व्याप्ति के लिए कार्य योजना (एक्शन प्लान) निम्मलिखित लक्ष्यों के साथ तैयार किए हैं :

क्र.सं.	विषय	लक्ष्य वर्ष
1	इस योजना को उन 187 **जिलों में पूरी तरह से लागू करना, जहां इसे आंशिक रूप से अधिसूचित किया गया है** और 161 जिले, जहां योजना को अभी अधिसूचित किया जाना है।	31 मार्च, 2021

क.रा.बी. योजना के देश में विस्तृत भौगोलिक विस्तार होने के साथ क.रा.बी. योजना के अंतर्गत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के हितलाभ सभी पात्र कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों तक विस्तारित होंगे।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम 36) को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि भी शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आठ अन्य केंद्रीय अधिनियमों के साथ क.रा.बी.अधिनियम, 1948 को समाहित करती है। एक बार अधिसूचित होने के बाद, देश के पूरे क्षेत्र को क.रा.बीमा योजना के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाएगा, एक बार क.रा.बी.निगम कर्मचारियों को हितलाभ उपलब्ध करा देने पर अंशदान नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा देय होगा और ऐसी तारीख केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है।

वर्तमान में, योजना 575 जिलों में है जिसमें 387 जिले पूर्ण कार्यान्वित तथा तथा 187 जिले आंशिक रूप से अधिसूचित हैं जिनमें प्रमुख औद्योगिक केंद्र शामिल हैं।

वर्ष 2020-21 का परिशोधित प्राक्कलन और वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्राक्कलन तैयार किया गया है। "बजट-एक नजर में" इन प्राक्कलनों को राजस्व और व्यय के प्रमुख शीर्षों में इंगित करता है। प्राक्कलनों के अनुसार अंशदान से प्राप्त आय चिकित्सा हितलाभों, नकद हितलाभों और प्रशासनिक व्यय को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त है।

2. वर्ष 2020-21 के लिए परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2021-2022 के लिए बजट प्राक्कलन निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं :-

2.1.1 प्राप्तियाँ

i. नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के अंशदान का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 में विहित दरों के अनुसार देय है। वर्ष 2020-2021 के लिए, नियोक्ता के अंशदान की दर कर्मचारी को देय मजदूरी का 3.25 प्रतिशत तथा कर्मचारी अंशदान 0.75 प्रतिशत है जो 01.07.2019 से प्रभावी है। पूर्वोक्त नियमों के नियम 52 (जो दिनांक 06.09.2019 से प्रभावी है) के अनुसार 176/- रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पाने वाले कर्मचारी वर्तमान में अंशदान के भुगतान से छूट प्राप्त हैं। तदनुसार, वर्ष 2021-2022 के लिए, अंशदान की दर वही, अर्थात् कर्मचारी को देय मजदूरी का 4 प्रतिशत, रहेगी । चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए अंशदान-आय से राजस्व संग्रहण का आकलन करने में संपूर्ण देश में लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन एवं कोविड-19 महामारी के व्याप्त असर को ध्यान में रखा गया है ।

ii. वर्ष 2020-2021 के पहले सात महीनों के रुझान।

iii. वर्ष 2020-2021 की अवधि के दौरान बकाया की वसूली का लक्ष्य 533.07 करोड़ रुपए तथा 4/2020 से 11/2020 की अवधि में 131.30 करोड़ रुपए की वास्तविक प्राप्तियाँ।

iv. क.रा.बी. सामान्य संरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज से आय, आकस्मिक संरक्षित निधि तथा पूंजीगत निर्माण, संरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज से आय।

v. 2019-2020 की वास्तविक आय में पूर्व अवधि की मदें शामिल नहीं हैं।

vi. दिल्ली में, जहाँ योजना क.रा.बी. निगम द्वारा सीधी लागू की जाती है, प्रारंभ में चिकित्सा-देखभाल पर खर्च निगम द्वारा पूरी तरह वहन किया गया और बाद में दिल्ली सरकार द्वारा साझा किया जाना था। क.रा.बी. निगम द्वारा वहनीय राशि से अधिक किए गए व्यय को यथासमय दिल्ली सरकार से वापस लिया जाना है। दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, वर्ष 1989-90 तक चिकित्सा देखभाल पर किए गए व्यय तथा अधिकतम सीमा से अधिक किए गए व्यय के 1/8$^{वें}$ अंश का भुगतान कर रही थी। वर्ष 1990-91 से, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने उनके अंश का भुगतान इस तर्क के आधार पर नहीं किया है कि करार की अनुपस्थिति में वह अधिकतम खर्च से ज्यादा किए गए खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तथापि, दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली सरकार को 1,974.16 करोड़ रुपए का दावा भेजा जा चुका है। दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण, 2020-2021 के परिशोधित प्राक्कलनों तथा 2021-2022 के बजट प्राक्कलनों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जब भी कोई राशि प्राप्त होगी, उसे प्राप्ति के वर्ष में वास्तविक आय में शामिल किया जाएगा।

2.1.2 क्षतिपूर्ति

जहां किसी भी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों को दिया गया बीमारी हितलाभ पूरे देश की औसत अनुसार 150 प्रतिशत अधिक होने की घटना का पता चलता है और उस राज्य में बीमारी हितलाभ दिनों का औसत 3 दिनों से अधिक हो जाता है तो ऐसे व्यय को राज्य सरकार तथा निगम द्वारा वहन किया जाता है जैसाकि क.रा.बी.अधिनियम की धारा 58(2) में नियत किया गया है। चूंकि बीमारी हितलाभ निर्धारित सीमा के भीतर ही था। अत: परिशोधित प्राक्कलन 2020-21 तथा बजट प्राक्कलन 2021-22 में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

2.1.3 किराया, पौरकर और कर

इस शीर्ष के अधीन, (i) कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) और (ii) अस्पतालों तथा औषधालयों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) के संबंध में वसूली-योग्य किराया, पौरकर तथा कर दर्शाए गए हैं। निगम द्वारा निर्मित तथा अपने स्वामित्व वाले अस्पताल तथा औषधालय भवनों से संबंधित किराया, परन्तु उच्चतम सीमा से बाहर, बांटने योग्य व्यय का भाग होता है। इस प्रकार यह निगम तथा राज्य सरकारों के बीच 7:1 के निर्धारित अनुपात में विभाजित हो जाता है । हालांकि, चूंकि निगम, तीन वर्षों के लिए क.रा.बी. योजना से संबंधित 100% व्यय का वहन करेगा, अत: कर की समानुपातिक कटौती पर विचार नहीं किया गया है । केवल कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों की दर के संबंध में 5 करोड़ की राशि प्राक्कलित की गई है जो प्रमुख रूप से स्टाफ से मकान किराया भत्ता की वसूली के संबंध में है।

2.1.4 फीस, जुर्माना और जब्ती

इस शीर्ष में निगम को अंशदान, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अंश, की समय पर अदायगी न कर पाने पर नियोक्ताओं पर लगाए गए हर्जानों के कारण आय शामिल है।

2.1.5 चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां

चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियों में छात्रों द्वारा भुगतान किया गया शुल्क जैसे शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं चिकित्सा शिक्षा के रूप में प्राप्त अन्य राशियां शामिल हैं।

2.1.6 विविध प्राप्तियां

इनमें अनुलिपि पहचान-पत्रों की कीमत से हुई आय, छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदानों की वसूलियां, न्यायालयों द्वारा डिक्री की गई राशियों सहित कानूनी मुकदमों की लागत की वसूलियां, अन्य मौजूदा शीर्षो के अंतर्गत वर्गीकृत न की जा सकने वाली प्राप्तियां तथा अधिक भुगतान तथा लेखापरीक्षा में अस्वीकृत राशि की वसूली; गत वर्षो में किए गए सेवा व्ययों की वसूलियां तथा नकद हितलाभ की वसूलियां आवेदकों द्वारा भर्ती हेतु जमा कराए गए शुल्क, क.रा.बी. निगम कर्मचारियों के चिकित्सा हितलाभ पर अंशदान आदि शामिल हैं ।

2.2 व्यय

2.2 .1 चिकित्सा हितलाभ

दिल्ली तथा नोएडा(उत्तर प्रदेश) के औषधालयों को छोड़कर, जहाँ योजना प्रत्यक्षतः निगम द्वारा प्रशासित है, शीर्ष 'क - चिकित्सा हितलाभ' के अंतर्गत व्यय को निगम तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 7:1 के अनुपात में साझा किया जाता है। तथापि, दिनांक 19.2.19 को आयोजित निगम की 177वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, वर्ष 2019-20 से तीन वर्ष के लिए क॰रा॰बी॰ योजना के संचालन पर होने वाले संपूर्ण व्यय, निर्धारित अधिकतम सीमा तक, क॰रा॰बी॰ निगम द्वारा वहन किए जाएँगे।

2.2.2 व्यावसायिक रोग केंद्र

निगम ने क॰रा॰बी॰ अस्पताल, के॰के॰ नगर, चेन्नई, (तमिलनाडु), क॰रा॰बी॰ अस्पताल, जोका, (प॰बं), क॰रा॰बी॰ अस्पताल, अंधेरी, (मुंबई), क॰रा॰बी॰ अस्पताल, इंदौर, (म॰प्र॰) और क॰रा॰बी॰ अस्पताल, बसईदारापुर, (दिल्ली) में व्यावसायिक रोग केंद्रों की स्थापना की है।

2.2.3 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएँ

अति विशिष्ट उपचार हेतु उत्कृष्टतापूर्ण केंद्र विकसित करने के लिए, राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण होने तक, ऐसे संस्थानों के चालू खर्चों की पूर्ति के लिए बजट प्रावधान किए जा रहे हैं।

2.2.4 आदर्श अस्पताल और क.रा.बी. निगम अस्पताल व क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय

निगम ने दिनांक 14.12.2001 को सम्पन्न अपनी बैठक में चिकित्सा देखरेख की गुणवत्ता में सुधार लाने और राज्य सरकारों द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक आदर्श अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल के रूप में चलाने के लिए राज्य के कम-से-कम एक अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया गया या राज्य में एक नया अस्पताल स्थापित किया गया। आदर्श अस्पतालों के अलावा निगम ने कुछ राज्य अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लिया है/राज्य में नए अस्पतालों की स्थापना की है और ये सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

2.2.5 राज्य सरकारों को भुगतान

दिनांक 07.08.2015 को आयोजित निगम की अपनी 166वीं बैठक में लाभार्थियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों का जायजा लिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अति विशिष्टता उपचार पर व्यय का वहन सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा।

आगे, दिनांक 15.12.2016 को आयोजित अपनी 170वीं बैठक में क.रा.बी. निगम ने निम्नलिखित निर्णय किया है:

क. प्रशासन के लिए ₹1,250/- तथा अन्य के लिए ₹1,750/- की उप उच्चतम सीमा के साथ धारा 58(3) के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ व्यय बांटने की प्रति व्यक्ति की उच्चतम सीमा में ₹2,150/- से ₹3,000/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति वृद्धि।

ख. वर्ष 2018-2019 से प्रशासनिक उप-उच्चतम सीमा ₹3,000/- प्रति व्यक्ति की संपूर्ण उच्चतम सीमा के भीतर सीपीआइ के समान बढ़ाई जाएगी।

ग. ₹3,000/- की सीमा की राज्यों के डब्ल्यूपीआइ तथा व्यय प्रतिरूप के आधार पर 2020-2021 से वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

घ. राज्य सरकार निगम के बजट में समावेशन के लिए अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक, समय-समय पर क.रा.बी. निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) प्रस्तुत करेगी। पीआइपी में अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव तथा वर्तमान वर्ष के प्रथम छह माह के दौरान की गई प्रगति शामिल होगी।

i) कोई भी योजना, जो क.रा.बी. निगम द्वारा विधिवत अनुमोदित नहीं की गई है, शामिल नहीं की जाएगी।

ii) किसी योजना का वित्त पोषण जो किसी वर्ष के प्राक्कलन में शामिल नहीं किया गया, को उस वित्तीय वर्ष के दौरान, क्या इसे प्रस्तावित करना चाहिए, उसके वित्त पोषण के निमित्त (हेतु) क.रा.बी. निगम की मंजूरी लेनी होगी।

iii) किसी भी वस्तु पर व्यय के लिए निधि विनियोजित नहीं की जाएगी जिसे अनुमोदित नहीं किया गया है।

iv) महानिदेशक, क.रा.बी. निगम को निधि पुनर्विनियोजन एक प्राथमिक इकाई से अन्य में करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

ङ) रु.2150/- के वर्तमान उच्चतम सीमा के अनुसार त्रैमासिक आधार पर दि.19 अप्रैल 2016 को जारी पत्र.सं. वी-24/11/10/2001-चि.I के अनुरूप निधि जारी की जा रही है। तथापि संबंधित राज्य सरकार को पीआईपी को क.रा.बी.निगम को प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि संशोधित सीमा के अनुसार निधि जारी की जा सके।

पूर्व में, 15 दिसम्बर, 2011 को आयोजित निगम की अपनी बैठक में यह अनुमोदित किया गया कि ₹200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति का अतिरिक्त प्रोत्साहन का वहन क.रा.बी. निगम द्वारा उन राज्यों की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त किया जाएगा जिन राज्यों के सभी क.रा.बी. योजना अस्पताल वित्तीय वर्ष के दौरान 70% या अधिक का अधिभोग दर्ज करते हैं।

आगे, कोविड 19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष क.रा.बी.निगम ने सभी राज्य सरकारों को महामारी से लड़ने के लिए लाभार्थियों को निवारक एवं तत्पर स्वास्थ्य सेवाएं देने हेतु वर्तमान उच्चतम सीमा से ऊपर रु.20/- प्रति परिवार इकाई प्रति वर्ष के एक अलग बजटीय प्रावधान का अनुमोदन किया।

निगम निर्धारित उच्चतम सीमा तक राज्य सरकार को 100% व्यय देने हेतु अब प्रावधान कर रहा है, जिसमें राशि का 90% भुगतान अग्रिम रूप में तथा शेष 10% का भुगतान संबंधित राज्य महालेखाकार से 'लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्राप्ति' पर किया जाएगा। यह निर्णय किया गया कि क.रा.बी. निगम उस राज्य में उच्चतम सीमा तक व्यय का 100% वहन करेगी जहां राज्य क.रा.बी. निगम/सोसायटी का गठन किया गया है।

2.2.6 अति विशिष्टता उपचार

क.रा.बी.निगम पूरे भारत में 1381 टाई-अप अस्पतालों (टीयूएच) के माध्यम से एसएसटी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें मई 2017 से यूटीआई-आईटीएसएल की सेवाओं को बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (बीपीए) के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया है । धनवंतरी और यूटीआई मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन रेफरल किए जाते हैं । भुगतान में पारदर्शिता लाने और टाई अप अस्पतालों को नियत समय पर भुगतान करने के लिए इस सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी की जा रही है । समय के साथ, बिलों के निपटान में कुछ देरी देखी गई है और बिल निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखने के लिए, ताकि बीमाकृत व्यक्तियों की सेवाएं बाधित न हों, निगम ने 7 जनवरी, 2020 को सम्पन्न अपनी 180वीं बैठक में यह अनुमोदित किया है कि बीपीए द्वारा बिलों की संवीक्षा के बाद - **सीजीएचएस बिलों के लिए** यूटीआई अनुशंसित राशि का 100 प्रतिशत बिलों की हार्डकॉपी प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा । सीजीएचएस बिलों के भुगतान के बाद की जांच भुगतान होने के 30 दिनों के भीतर की जाएगी । **गैर-सीजीएचएस बिलों के लिए**, यूटीआई अनुशंसित राशि का 80 प्रतिशत बिलों की हार्ड कॉपी प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाए और शेष 20 प्रतिशत राशि जारी करने से पहले पूरी संवीक्षा की जाए । एकीकरण (यूटीआई के साथ धनवंतरी का) और अग्रिम भुगतान के ये परिवर्तन दिनांक 07.10.2020 को कार्यान्वित किए गए हैं। इन बदलावों से सिस्टम को जरूरी तरलता प्रदान करने और बाधाओं को रोकने की उम्मीद की जाती है।

<u>नई पहलें :-</u>

जिन स्थानों पर स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के लिए निगम की अपनी अवसंरचना नहीं है, वहाँ के नए नामांकित बीमाकृत व्यक्तियों के लिए आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (एम-ई.यू.डी) तथा आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (एम-आइ एम पी) योजना की शुरुआत की गई है जिसके द्वारा प्राथमिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। द्वितीयक देखरेख चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रतिष्ठित निजी स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं के साथ टाय-अप करने के लिए पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है। इसके अलावा, जिला स्तर पर रेफर किए जाने एवं

प्रतिपूर्ति के लिए सभी टाय अप व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने हेतु प्रत्येक जिले में औषधालय- सह- शाखा कार्यालय स्थापित किए जाने की आशा है।

इसके अतिरिक्त, नए क्रियान्वित क्षेत्रों में चिकित्सा देखरेख की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु क.रा.बी.निगम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है ताकि क.रा.बी.निगम लाभार्थियों की पहुंच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नामिकायित अस्पतालों तक संभव हो सके। कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर के नामिकायित अस्पतालों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) का भी लाभ उठा सकेंगे और इसी प्रकार निगम के अस्तपालों का भी लाभ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों द्वारा उठाया जा सकेगा। इस संबंध से क.रा.बी.निगम के अल्पउपयोगी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में वृद्धि होने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे स्थानों में अवसंरचना तथा सुविधाओं के बेहतरी को बल मिलेगा।

अहमदनगर (महाराष्ट्र) और बीदर (कर्नाटक) में एक प्रायोगिक परियोजना शुरु की गई है जहां क.रा.बी.निगम के लाभार्थी सभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अस्पतालों के द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम है और इसी पहल में विस्तारित किया जा रहा है।

ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. और क.रा.बी. योजना परस्पर अभिसरण के मुख्य लाभ

1. ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. के तहत स्वास्थ्य देखरेख प्रदाता तक क.रा.बी.निगम हितलाभार्थियों को पहुंच प्राप्त होगी।
2. ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. लाभार्थी क.रा.बी. निगम नामिकायित अस्पतालों में सेवाएं पाने में सक्षम होंगे।
3. क.रा.बी. निगम के हितलाभार्थी अपने क.रा.बी. योजना कार्ड को ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. नामिकायित अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा के लिए प्रयोग (एक्सेस) कर सकते हैं।
4. इसी प्रकार ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. के लाभार्थी अपना ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. कार्ड अल्प उपयोग में आ रहे क.रा.बी. निगम अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा के लिए प्रयोग (एक्सेस) कर सकते हैं।

क.रा.बी.निगम ने दि.07-12-2020 को आयोजित अपनी 183 वीं बैठक में निर्णय किया कि ऐसे क्षेत्र, जहां क.रा.बी.निगम अवसंरचना 10 किमी. की परिधि में उपलब्ध नहीं है, क.रा.बी. लाभार्थी ओ पी डी सेवाओं के लिए चिकित्सकीय परामर्श सीधे क.रा.बी.निगम नामिकायित अस्पताल से अथवा क.रा.बी. औषधालय अथवा अस्पताल से रेफर किए जाने की आवश्यकता के बगैर आयुष्मान भारत से ले सकते हैं। ऐसे मामलों में यदि आंतरिक उपचार की आवश्यकता होती है तो नामिकायित अस्पताल ऑनलाइन पद्धति के द्वारा क.रा.बी. प्रधिकारी से समयबद्ध रूप से अनुमति लेंगे।

एबी पीएम-जेएवाई के तहत सेवाओं के लिए, परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में ₹ 200 करोड़ और बजट प्राक्कलन 2021-22 में ₹ 700 करोड़ की राशि प्रदान की जा रही है ।

2.3.1 नकद हितलाभ:

बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी, कुछेक विनिर्दिष्ट रोगों के कारण विस्तारित बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट से उत्पन्न अस्थायी या स्थायी निःशक्तता की आकस्मिकताओं में नकद हितलाभ तथा किसी व्यावसायिक रोग या रोजगार चोट के फलस्वरूप यदि किसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के जीवित सदस्य(यों) को पेंशन के रूप में आश्रितजन हितलाभ का भुगतान किया जाता है । अंत्येष्टि खर्च भी दिया जाता है। क.रा.बी.निगम ने दिनांक 18.9.18 को आयोजित अपनी 175वीं बैठक में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर देय वर्तमान अंत्येष्टि व्यय राशि

₹ 10,000 से बढ़ाकर ₹ 15,000 कर दी है । कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 54 से 59 में निर्धारित दरों पर इन हितलाभों का भुगतान किया जाता है । दिनांक 27-10-2020 से क.रा.बी. औषधालयों/अस्पताल के बाहर होने वाले प्रसूति व्यय की राशि को भी ₹ 5000/- से बढ़ाकर ₹ 7,500/- तक किया गया है ।

2.3.2 राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के साथ-साथ बीमायोग्य रोजगार की 5 वर्ष की न्यूनतम अर्हक अवधि के बाद कारखाना बंद होने पर 6 माह की अधिकतम अवधि हेतु बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए एक योजना पर विचार किया गया और निगम द्वारा अनुमोदन दिया गया है जो दिनांक 01.04.2005 से लागू है। आगे, हितलाभों की आवधिकता 24 महीने की अधिकतम अवधि तक विस्तारित की गई है तथा हकदारी की शर्त के रूप में बीमायोग्य रोजगार की अवधि भी घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी भत्ते के दावे के प्रस्तुतीकरण की अवधि दिनांक 01.07.2010 से 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी गई है । हितलाभ की दर प्रथम 12 माह के लिए औसत दैनिक मजदूरी का 50% है तथा अगले 13 से 24 महीनों के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25% है, जिसका दिनांक 06.09.2016 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 169वीं बैठक के दौरान निर्णय किया गया है।

2.3.3 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 18.09.2018 को अपनी 175 वीं बैठक में बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने वाले “अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना” को अनुमोदन दे दिया था, जिसकी योग्यता शर्तों के अधीन है, जो बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक प्रतिदिन औसत कमाई के 25 प्रतिशत तक नकद प्रतिपूर्ति के रूप में बीमाकृत व्यक्तियों को जीवन में एक बार भुगतान किया जाता है । प्रारंभ में प्रायोगिक तौर पर यह योजना पूरे भारत में दो वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई। क.रा.बी.निगम ने दिनांक 20.08.2020 को अपनी 182 वीं बैठक में इस योजना को छह महीने के लिए अर्थात् दिनांक 01.07.2020 से बढ़ाकर 31.12.2020 तक और कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हो चुके बीमाकृत व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए, बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक कमाई के 50% तक राहत की दर को बढ़ाया और दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 के दौरान बेरोजगार हो गए बीमाकृत व्यक्तियों के लिए योग्यता अंशदायी और अन्य पात्रता शर्तों में ढील दी गई।

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 07.12.2020 को अपनी 183वीं बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को और छह महीने अर्थात् दिनांक 01.01.2021 से बढ़ाकर दिनांक 30.06.2021 तक उसी बढ़ी हुई दर और योग्यता शर्तों में राहत देने का निर्णय लिया है।

चूंकि राहत की दर दोगुनी कर दी गई है और कोविड-19 महामारी से प्रभावित बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए योजना की पात्रता शर्तों में भी ढील दी गई है और आगे इस योजना को शिथिल नियमों और शर्तों पर दिनांक 30-06.2021 तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में बीमाकृत व्यक्तियों की अधिक भागीदारी की उम्मीद की जाती है । दिनांक 17.12.2020 तक लगभग 42,000 दावेदारों ने इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है।

2.4 प्रशासनिक खर्च:

प्रशासनिक व्यय में "वेतन एवं भत्ते" एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति हितलाभ शामिल हैं तथा कार्यालय प्रबंधन पर सामान्य व्यय का प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) 7वें वेतन आयोग के प्रभाव के दृष्टिगत वस्तुओं की कीमतों और सेवा की लागत में सामान्य वृद्धि तथा भर्तियों को ध्यान में रखते हुए दर्शाया गया है । तथापि, किफायती उपायों को ध्यान में रखा गया है ।

केंद्र सरकार ने वर्ष 1997-98 से कुल राजस्व आय का 15 प्रतिशत नियम 31ए के तहत प्रशासनिक खर्चों का प्रतिशत निर्धारित किया है ।

2.5 पूंजीगत निर्माण निधि

निगम ने 2 फरवरी, 1974 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया था कि नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त कुल राजस्व का 10% अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य चिकित्सा संस्थाओं और कार्यालय भवनों तथा कार्मिक आवास के निर्माण के लिए पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा। इसके पश्चात् दिनांक 19 फरवरी, 1983 को सम्पन्न निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस व्यवस्था को कम कर अंशदान का 5% कर दिया जाए। फिर, दिनांक 17.12.2004 को सम्पन्न निगम की 129वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि दिनांक 01.04.2005 से इस धन व्यवस्था को घटाकर अंशदान का 1% कर दिया जाए। तत्पश्चात् निगम की दिनांक 19.02.2019 को आयोजित 177वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पांच वर्षों के लिए निधि में कोई और परिवर्धन नहीं किए जाएंगे।

2.6 आकस्मिकता आरक्षित निधि

दिनांक 17 मार्च 1973 को आयोजित निगम के बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राजस्व खाते के आय के अतिरिक्त रकम का 20% न्यूनतम ₹1.00 करोड़(यदि यह रकम ₹1.00 करोड़ से कम हो तो सम्पूर्ण अतिरिक्त रकम) इस निधि में जमा की जाएगी । दिनांक 27/28 नवम्बर,1986 को सम्पन्न बैठकों में स्थायी समिति तथा निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस निधि में बकाया राशि केवल ₹75.00 करोड़ तक सीमित रखी जाए।

<u>वर्ष 2020-2021 के लिए परिशोधित प्राक्कलन</u>

I. प्राप्तियाँ :

3.1 चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए निगम का राजस्व कोविड-19 के कारण ₹ 18,616 करोड़ होने का अनुमान है जबकि पहले अनुमानित ₹ 24,789 करोड़ रुपये थे ।

अंशदान:

3.2 माह अक्टूबर 2020 तक राजस्व की प्रवृति को ध्यान में रखते हुए, शेष माह के लिए बीमांकन प्राक्कलन के अनुसार प्रवृति तथा पैरा 2.1 में उल्लिखित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए अंशदान से 12,500 करोड़ आय का अनुमान किया गया है । परिशोधित प्राक्कलन में योजना के कार्यान्वयन हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अतिरिक्त व्याप्ति, जिलावार कार्यान्वयन पर भी विचार किया गया है । दिनांक 31.3.2021 को कुल अनुमानित व्याप्ति 305.36 लाख कर्मचारी होने की सम्भावना है ।

3.3 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार अंशदान तथा ब्याज़ की कुल बकाया राशि ₹4332.32 करोड़ में से ₹2002.57 करोड़ फिलहाल विभिन्न कारणों से वसूली योग्य नहीं है। बकाया तथा गैर-वसूली योग्य राशि का ब्योरा निम्नलिखित है :-

क.	**वर्तमान गैर-वसूली योग्य बकाया राशि**		**(₹ करोड़ में)**
	क)	न्यायालयों में विवादग्रस्त बकाया राशि	1565.52
	ख)	परिसमापन के अधीन राशि	196.42
	ग)	क्लेम कमीशनर के पास लंबित राशि	9.74
	घ)	ऐसे कारखाने/स्थापनाएं जो बंद हो गई हैं तथा जिनके नियोक्ताओं का अता-पता मालूम नहीं, से देय राशि	229.70
	ङ)	ऐसी राशि जिनमें डिक्री प्राप्त हो गई है परन्तु निष्पादित नही हुई	1.19
		योग	**2002.57**
ख.	***रुग्ण उद्योगों से प्राप्य राशि***		
(i)	ऐसे कारखानों से संबंधित मामले जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड(बीआइएफआर) से पंजीकृत हैं परन्तु पुनर्वास योजना अभी स्वीकृत की जानी है		116.33
(ii)	ऐसे कारखाने/स्थापनाएं जिन्हें रुग्ण घोषित कर दिया गया है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड(बीआइएफआर) द्वारा पुनर्वास योजना स्वीकृत कर दी गई है		81.16
ग.	वसूली अधिकारी के पास वसूली हेतु लम्बित वसूली-योग्य प्राप्य राशि		2132.26
	कुल योग		**4332.32**

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45-सी से 45-आई के अधीन स्थापित अपने स्वयं के वसूली तंत्र के माध्यम से निगम द्वारा नियोक्ताओं से राशि की वसूली करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अधीन यदि अभियोजन तथा दाण्डिक कार्रवाई अपेक्षित है, वहां उचित कार्रवाई भी की गई है ।

3.4 ब्याज

परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में अनुमानित और दिखाए गए ब्याज आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिक रिजर्व निधि और पूंजी निर्माण आरक्षित कोष के निवेश पर प्राप्त ब्याज से संबंधित हैं। निर्धारित आरक्षित निधि खाते पर अर्जित ब्याज संबंधित निधि खाते में जमा किया जाता है । अनुमानित कुल ब्याज और इसका विनियोग इस प्रकार है: -

(करोड़ ₹ में)

	परिशोधित प्राक्कलन (2020-21)
गैर-निर्धारित निधि पर ब्याज	5,975.26
निर्धारित आरक्षित निधि पर ब्याज	1,928.37
कुल	**7,903.63**

3.5 क्षतिपूर्ति

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2020-21 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3.6 किराया, पौरकर और कर

केवल कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के किराये के संबंध में 5.35 करोड़ रूपए का प्राक्कलन किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से मकान किराए भत्तों की स्टाफ से वसूली प्रमुख है।

3.7 फीस, जुर्माना और जब्ती

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2020-21 में 50 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

3.8 चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2020-21 में 45 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

3.9 विविध प्राप्तियां

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2020-21 में 40 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

II. व्यय :

वर्ष 2020-2021 के दौरान राजस्व खाते पर व्यय ₹ 15,031 करोड़ होने का अनुमान किया जाता है जबकि मूल रूप से ₹ 15,849 करोड़ अनुमानित किया गया। राजस्व व्यय के विवरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) चिकित्सा हितलाभ-

4.1 इस शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान ₹ 11,244 करोड़ (333.42 लाख बीमाकृत व्यक्तियों के लिए) अनुमानित किया गया है।

4.2 अस्पताल/औषधालय

इस शीर्ष के अंतर्गत धन व्यवस्था में (i) चालू भवन की पूंजीगत लागत (भूमि की लागत रहित) के 1.67% की दर से अस्पताल एवं औषधालय भवनों का मूल्यह्रास (182 करोड़) और (ii) प्रक्षेपित (प्रोजेक्टिड) व्यय पर भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव (328 करोड़) तथा (iii) अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए किराया तथा नगरपालिका कर (35 करोड़) शामिल हैं । विशेष मरम्मत पर व्यय मूल्यह्रास आरक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है, जबकि अस्पतालों और औषधालय भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय चिकित्सा हितलाभ व्यय में प्रभारित किया जाता है।

4.3 व्यवसाय जन्य रोग केंद्र

इन अस्पतालों के प्रचालन का संपूर्ण व्यय क.रा.बी.निगम द्वारा वहन किया जाता है जोकि परिशोधित प्राक्कलन 2020-21 में 986 करोड़ रूपए है।

4.4 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं

वर्ष 2020-21 में बजट प्रावधान 456 करोड़ रूपए (मूल्यह्रास सहित) है।

4.6 अस्पताल और औषधालयों में आईटी रोल आउट प्रचालन पर व्यय

परिशोधित प्राक्कलन 2020-21 में आईटी रोल आउट के तहत अस्पतालों तथा औषधालयों में कम्प्यूटरीकरण के तहत 53 करोड़ रूपए का प्रावधान है। आईटीरोल के तहत अस्पताल और औषधालयों में कम्प्यूटरीकरण पर व्यय।

4.7 आदर्श अस्पताल और क.रा.बी. निगम अस्पताल व क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय

क.रा.बी. निगम अस्पतालों (आदर्श अस्पतालों सहित) तथा औषधालयों के व्यय का वहन करने हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2020-21 में ₹4,745 करोड़ तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 में ₹5,492 करोड़ (अति विशिष्टता उपचार तथा उपस्करों की लागत सहित) का प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार दिल्ली तथा नोएडा स्थित औषधालयों तथा निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली के अतिरिक्त 5 व्यावसायिक रोग केन्द्र तथा 43 आदर्श अस्पताल एवं 8 चिकित्सा महाविद्यालय और 5 स्नातकोत्तर संस्थाएं क.रा.बी.निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित किए जा रहे हैं और व्यय प्राक्कलन (स्नातकोत्तर संस्थान जहां लागू है, सहित) निम्नानुसार है -

क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल/क.रा.बी.निगम अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालय							
क्र. सं.	क.रा.बी. निगम व्यावसायिक रोग केंद्र/अस्पताल/नए अस्पताल/ चिकित्सा महाविद्यालय	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 (₹ लाख में)			बजट प्राक्कलन 2021-2022 (₹ लाख में)		
		उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल	उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल
1.	जोका	16,377.00	120.00	16,497.00	20,124.00	140.00	20,264.00
2.	के.के. नगर	26,029.00	600.00	26,629.00	32,135.00	1,200.00	33,335.00
3.	अंधेरी	7,990.00	550.00	8,540.00	9,242.00	600.00	9,842.00

क्र. सं.	क.रा.बी. निगम व्यावसायिक रोग केंद्र/ अस्पताल/नए अस्पताल/ चिकित्सा महाविद्यालय	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 (₹ लाख में)			बजट प्राक्कलन 2021-2022 (₹ लाख में)		
		उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल	उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल
4.	नंदा नगर, इंदौर	8,662.50	200.00	8,862.50	10,703.50	400.00	11,103.50
5.	बसईदारापुर	37,322.00	720.00	38,042.00	40,924.00	750.00	41,674.00
6.	बेलतला	8,379.00	350.00	8,729.00	9,184.00	350.00	9,534.00
7.	आश्रमम	8,366.00	60.00	8,426.00	9,051.00	70.00	9,121.00
8.	राउरकेला	3,953.00	150.00	4,103.00	4,395.00	160.00	4,555.00
9.	लुधियाना	10,020.00	50.00	10,070.00	13,305.00	50.00	13,355.00
10.	राजाजी नगर	26,010.00	500.00	26,510.00	29,212.00	600.00	29,812.00
11.	बापू नगर	8,359.00	400.00	8,759.00	9,331.00	450.00	9,781.00
12.	सनत नगर अस्पताल	27,164.00	2,000.00	29,164.00	29,270.00	2,200.00	31,470.00
13.	जयपुर	8,307.00	2,200.00	10,507.00	9,309.00	400.00	9,709.00
14.	जम्मू	3,051.00	100.00	3,151.00	3,322.00	120.00	3,442.00
15.	नामकुम	4,186.00	50.00	4,236.00	5,298.00	200.00	5,498.00
16.	फुलवारीशरीफ	3,316.00	65.00	3,381.00	3,696.00	70.00	3,766.00
17.	चंडीगढ़	4,156.00	150.00	4,306.00	4,907.20	200.00	5,107.20
18.	नोएडा	19,213.00	50.00	19,263.00	21,216.00	100.00	21,316.00
19.	उद्योगमंडल	7,174.00	320.00	7,494.00	7,806.00	320.00	8,126.00
20.	नरोड़ा	1,569.00	40.00	1,609.00	1,711.00	50.00	1,761.00
21.	आदित्यपुर	3,906.00	70.00	3,976.00	4,259.00	90.00	4,349.00
22.	एषुकोण	4,389.00	135.00	4,524.00	5,491.00	50.00	5,541.00
23.	सनत नगर (अ.वि.अस्पताल)	11,059.50	700.00	11,759.50	12,230.50	1,000.00	13,230.50
24.	गुरुग्राम	10,063.00	200.00	10,263.00	11,233.00	300.00	11,533.00
25.	भिवाड़ी	2,733.00	15.00	2,748.00	2,873.00	50.00	2,923.00
26.	तिरुनेलवेली	4,240.00	300.00	4,540.00	4,650.00	400.00	5,050.00
27.	बद्दी	3,585.00	60.00	3,645.00	4,446.00	70.00	4,516.00
28.	पीण्या	6,775.00	100.00	6,875.00	7,615.00	150.00	7,765.00
29.	मानेसर	6,209.00	50.00	6,259.00	6,709.00	60.00	6,769.00
30.	वापी (गुजरात)	2,208.00	40.00	2,248.00	2,424.00	50.00	2,474.00
31.	फरीदाबाद	28,525.00	950.00	29,475.00	31,900.00	970.00	32,870.00
32.	रुद्रपुर	826.00	100.00	926.00	926.00	200.00	1,126.00
33.	पी.जी.आई.एम.एस.आर और क.रा.बी.निगम मेडिकल कॉलेज जोका	2,603.00	20.00	2,623.00	2,754.00	30.00	2,784.00
34.	पी.जी.आई.एम.एस.आर और क.रा.बी.निगम मेडिकल कॉलेज के.के नगर	3,040.50	100.00	3,140.50	3,200.50	100.00	3,300.50
35.	पीजीआईएमएसआर अंधेरी	654.00	0.00	654.00	725.00	0.00	725.00
36.	क.रा.बी और पी.जी.आई.एम.एस.आर बसईदारापुर	854.00	5.00	859.00	954.50	6.00	960.50
37.	क.रा.बी और पी.जी.आई.एम.एस.आर राजाजीनगर	2,805.00	0.00	2,805.00	2,945.00	0.00	2,945.00
38.	गुलबर्गा मेडिकल कॉलेज	11,717.00	200.00	11,917.00	13,489.00	100.00	13,589.00
39.	गुलबर्गा डेंटल कॉलेज	211.00	200.00	411.00	222.00	300.00	522.00
40.	एस.नगर मेडिकल कॉलेज	2,147.00	260.00	2,407.00	2,315.00	330.00	2,645.00
41.	अलवर मेडिकल कॉलेज	322.00	120.00	442.00	6,049.00	1,400.00	7,449.00
42.	बिहटा मेडिकल कॉलेज	322.00	120.00	442.00	6,049.00	1,400.00	7,449.00
43.	जाजमऊ, कानपुर	2,508.50	100.00	2,608.50	2,960.50	150.00	3,110.50
44.	वाराणसी	3,458.00	150.00	3,608.00	3,860.00	200.00	4,060.00
45.	साहिबाबाद	5,358.00	100.00	5,458.00	5,659.00	350.00	6,009.00

क्र. सं.	क.रा.बी. निगम व्यावसायिक रोग केंद्र/अस्पताल/नए अस्पताल/ चिकित्सा महाविद्यालय	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 (₹ लाख में)			बजट प्राक्कलन 2021-2022 (₹ लाख में)		
		उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल	उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल
46.	सरोजनी नगर, लखनऊ	3,215.00	150.00	3,365.00	3,436.00	220.00	3,656.00
47.	अंकलेश्वर, गुजरात	2,196.00	200.00	2,396.00	2,582.00	200.00	2,782.00
48.	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	1,674.00	70.00	1,744.00	2,186.00	70.00	2,256.00
49.	बिहटा (पटना)	1,053.00	15.00	1,068.00	1,039.00	15.00	1,054.00
50.	बिबवेवाड़ी, महाराष्ट्र	3,672.00	80.00	3,752.00	5,204.00	200.00	5,404.00
51.	अलवर (राजस्थान)	1,463.00	200.00	1,663.00	1,813.00	210.00	2,023.00
52.	बरेली	1,538.00	100.00	1,638.00	1,601.00	100.00	1,701.00
53.	कोरबा, छत्तिसगढ़	375.00	200.00	575.00	1,060.00	400.00	1,460.00
54.	रायपुर, छत्तिसगढ़	364.00	200.00	564.00	1,033.00	400.00	1,433.00
55.	उदयपुर, राजस्थान	525.00	100.00	625.00	1,112.00	200.00	1,312.00
56.	झिलमिल	17,916.00	600.00	18,516.00	19,517.00	600.00	20,117.00
57	ओखला	13,704.00	600.00	14,304.00	15,656.00	400.00	16,056.00
58	रोहिणी	20,004.50	300.00	2,304.50	21,104.00	400.00	21,504.00
59	डी (एम) डी	29,582.00	1,500.00	31,082.00	32,143.00	50.00	32,193.00
	कुल	**4,57,404.10**	**17,085.00**	**4,74,489.10**	**5,29,567.20**	**19,651.00**	**5,49,218.20**

नोट : उपर्युक्त आंकड़ों में ई.बी.आर.एफ. तथा मूल्यह्रास के लिए प्रावधान की राशि सम्मिलित नहीं है।

4.8 राज्य सरकारों को भुगतान

परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 के लिए 4583 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। हालांकि राज्य सरकार को 200.00 रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति की अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि किसी भी क.रा.बी.योजना अस्पताल ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 70 प्रतिशत या उससे अधिक पंजीकृत अधिभोग नहीं किया है। इसके अलावा, सभी राज्य सरकारों को लाभार्थियों के लिए निवारक एवं उन्नायक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा उच्चतम सीमा के अतिरिक्त प्रति वर्ष 20/- रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई का एक अलग बजटीय प्रावधान किया है ताकि महामारी से लड़ा जा सके।

4.9 अति विशिष्टता उपचार

परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में टाई-अप अस्पताल के नेटवर्क और क.रा.बी.निगम द्वारा सीधे संचालित अस्पतालों के माध्यम से अति विशिष्टता उपचार के लिए 1522 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) नकद हितलाभ

परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में नकद हितलाभ के लिए कुल प्रावधान 2276 करोड़ रुपये है जो अंशदान आय का 18 प्रतिशत है। इसमें परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 के लिए बीमांकिक मूल्यन पर आधारित स्थायी नि:शक्तता निधि में 545 करोड़ रुपये और आश्रितजन हितलाभ निधि में 452 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

बीमारी हितलाभ और अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ की प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या और प्रति कर्मचारी औसत दैनिक दर राशि नीचे दर्शाई गई है :-

	वर्ष	बीमारी हितलाभ	अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ
प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या (दिनों की संख्या में)	2003-2004	1.80	0.53
	2004-2005	1.55	0.44
	2005-2006	1.34	0.38
	2006-2007	1.12	0.32
	2007-2008	0.98	0.30
	2008-2009	0.94	0.23
	2009-2010	0.85	0.21
	2010-2011	0.55	0.21
	2011-2012	0.53	0.21
	2012-2013	0.57	0.20
	2013-2014	0.47	0.20
	2014-2015	0.45	0.21
	2015-2016	0.37	0.17
	2016-2017	0.33	0.14
	2017-2018	0.29	0.10
	2018-2019	0.28	0.09
	2019-2020	0.27	0.08
प्रतिदिन प्रति कर्मचारी औसत हितलाभ दर (रूपये में)	2003-2004	80.05	94.22
	2004-2005	80.68	94.68
	2005-2006	83.11	95.21
	2006-2007	84.08	99.65
	2007-2008	96.98	99.63
	2008-2009	121.12	124.57
	2009-2010	126.80	134.10
	2010-2011	136.37	154.86
	2011-2012	160.82	177.01
	2012-2013	159.42	219.51
	2013-2014	194.25	237.52
	2014-2015	217.91	264.45
	2015-2016	261.72	287.39
	2016-2017	251.43	300.42
	2017-2018	260.19	307.36
	2018-2019	301.41	337.02
	2019-2020	316.67	365.76

बीमारी हितलाभ और अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ के संबंध में बनाए गए प्रावधान उपर्युक्त को संज्ञान में लेते है।

(क) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021, 11 करोड़ रुपये की राशि का उपबंध करता है।

(ख) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में 150 करोड़ रूपये की राशि का उपबंध किया जा रहा है।

ग. अन्य हितलाभ :

5. चिकित्सा बोर्ड, न्यायाधिकरण को किए गए शुल्क के भुगतान, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति होने के लिए बीमाकृत द्वारा यात्रा पर किए गए खर्चे की प्रतिपूर्ति, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने के कारण बीमाकृत व्यक्ति के मजदूरी में हुए हानिके लिए देय रकम इत्यादि जेसे विविध मदों के खर्चे के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2020 -2021 में ₹ 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु यात्रा व्यय का भुगतान करने के लिए प्रति लाभार्थी ₹100/-का खर्च भी शामिल है।

घ. प्रशासनिक व्यय

पूर्व के अनुमानित ₹1799 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-2021 के लिए प्रशासन पर कुल ₹1,508 करोड़ का व्यय अनुमानित है । वर्ष 2020-2021 में प्रशासनिक खर्च के रूप में कुल राजस्व का 8.10 प्रतिशत आँकी गई है ।

(क) स्थापना व्यय (ई.बी.आर.एफ.सहित)

वर्ष 2020-2021 के लिए हेतु स्थापना व्यय पर कुल व्यय 1,058 करोड़ अनुमानित है, जबकि इसके पूर्व ₹1,167 करोड़ प्राक्कलित था।

(ख) अन्य प्रशासनिक व्यय

6.1 पूर्व के बजट प्राक्कलन में ₹632 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-2021 के परिशोधित प्राक्कलन में ₹450 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है।

आकस्मिक आरक्षित निधि

7.1 परिशोधित प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निधि सीमा तक पहुंच गई है।

पूंजीगत निर्माण निधि

8.1 इस शीर्ष के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि 7279 करोड़ (31 मार्च, 2020 को) की राशि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसे आवधिक तौर पर समीक्षा की जाएगी। प्राक्कलित कार्य विवरण परिशिष्ट-।।। पर हैं।

पूंजीगत लेखा पर व्यय

8.2 पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की प्रगति पर विचार करते हुए 2020-2021 के परिशोधित प्राक्कलन में निर्माण कार्यों पर ₹801 करोड़ (कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए ₹23 करोड़, अस्पतालों, औषधालयों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए ₹571 करोड़ तथा चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण के लिए ₹207 करोड़ का व्यय अनुमानित है। अनुमानित व्यय का विवरण परिशिष्ट-।।। पर हैं।

8.3 वर्ष 2020-2021 के परिशोधित प्राक्कलन में गैर परियोजना पूंजीगत व्यय पर ₹302 करोड़ का व्यय प्राक्कलित है, जिसमें कम्प्यूटरों के लिए ₹98 करोड़ तथा उपस्कर (कार्यालय और चिकित्सा उपस्कर, दोनों) के लिए ₹186 करोड़ का बड़ा व्यय सम्मिलित है।

व्यय से आय का आधिक्य

8.4 परिशोधित प्राक्कलन के अनुसार,पूर्व के प्राक्कलित ₹8,940 करोड़ की तुलना में व्यय से अधिक आय के लिए इस वर्ष ₹3,585 करोड़ प्राक्कलित है। तथापि, व्यय की तुलना में प्रचालन आय(जैसे,अंशदान आय)में कमी आई है जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में (-)2390 करोड़ अनुमानित है।

8.5 निगम का एक सेवा संगठन होने के नाते, इसके संचालन में लाभ का कोई तत्व नहीं है अतः आयकर अधिनियम की धारा 10(25) (क) के अंतर्गत क.रा.बी. निधि को निगम द्वारा आयकर के भुगतान से विशेष छूट दी गई है।

लिंग और बाल बजट

8.6 संशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के समस्त बजट शीर्षों में से, महिलाओं के लिए ₹ 7230 करोड़ (इसमें बालिकाओं के लिए ₹ 5336 करोड़) के बजट का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए मुख्य शीर्षवार महिला बजट प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	योजना का विवरण/बजट शीर्ष	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 (₹ करोड़ में)
	महिलाओं हेतु 100% प्रावधान	
1.	मातृत्व हितलाभ योजना	505
2.	बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृतों की पत्नियों के लिए प्रसूता भत्ता	7
	महिलाओं हेतु(न्यूनतम 30% का प्रावधान)	
3.	चिकित्सा हितलाभ योजना	6397
4.	नकद हितलाभ योजना(मातृत्व हितलाभ योजना के अतिरिक्त)	321
	कुल	**7230**

वर्ष 2021-2022 के लिए बजट प्राक्कलन

1. **प्राप्तियाँ**

9 वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए निगम का अनुमानित राजस्व ₹ 20,339 करोड़ है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2020-2021 में ₹ 18,616 करोड़ दर्शाया गया है।

अंशदान

9.1 जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है, 6.5% की अंशदान दर को घटाकर 4% किये जाने के कारण वर्ष 2021-2022 के लिए अंशदान से आय ₹ 13,750 करोड़ प्राक्कलित की गई है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 के लिए यह ₹ 12,500 करोड़ है। इस वृद्धि में (क) कार्यान्वयन कार्यक्रम (परिशिष्ट-1) के अनुसार नए क्षेत्रों में 2021-2022 के दौरान लगभग 5.75 लाख कर्मचारियों की अतिरिक्त व्याप्ति और (ख) अंशदान आय के रुझान को भी ध्यान में रखा गया है। वर्ष 2021-2022 में कर्मचारियों की भारित औसत संख्या 311.11 लाख अनुमानित है।

9.2 तालिका में 2016-2017 से प्रतिव्यक्ति अंशदान आय दिखाई गई है :-

2016-2017 वास्तविक	2017-2018 वास्तविक	2018-2019 वास्तविक	2019-2020 वास्तविक	2020-2021 परिशोधित प्राक्कलन	2021-2022 बजट प्राक्कलन
₹ 6,127	₹ 6,258	₹ 7,127	₹ 5,370*	₹ 3,843*	₹ 4,235

*यह आंकड़ें वर्ष 2018-19 तक अंशदान आय दर 6.5 प्रतिशत घटने और 2020-21 महामारी के प्रभाव के कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रतिव्यक्ति आय की घटी हुई राशि दर्शाते हैं।

ब्याज

9.3 बजट प्राक्कलन में प्राक्कलित तथा दर्शाए गए ब्याज़ आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि और आकस्मिकता आरक्षित निधि के निवेश और पूंजी निर्माण आरक्षित निधि पर प्राप्त ब्याज़ से संबंधित हैं। उद्दिष्ट आरक्षित निधि खाते पर प्रोद्भूत ब्याज़ संबंधित निधि खाते में जमा कर दिया है। निवेश पर ब्याज की दर में तेजी से गिरावट आई है, अतः निवेश योग्य अधिशेष में वृद्धि के बावजूद कुल ब्याज आय में निवेश के अनुरूप वृद्धि

नहीं हुई। पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली के संचालन उपरांत निवेश में विविधता के प्रभाव वर्ष 2021-2022 से परिलक्षित होंगे। कुल प्राक्कलित ब्याज़ तथा उसका विनियोजन निम्न प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

	बजट प्राक्कलन (2021-2022)
गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज़	6,448.74
उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज़	2,081.18
कुल	**8,529.92**

क्षतिपूर्ति

9.4 वर्ष 2021-22 के बजट प्राक्कलनों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अस्पताल/औषधालय भवनों का किराया

9.5 केवल कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर्स के संबंध में ₹ 5.40 करोड़ की राशि प्राक्कलित की गई है जो प्रमुख रूप से स्टाफ से मकान किराया भत्ता की वसूली से संबंधित है।

शुल्क, जुर्माने तथा ज़ब्तियाँ

9.6 बजट प्राक्कलन वर्ष 2021-22 में 50 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां

9.7 बजट प्राक्कलन वर्ष 2021-22 में 45 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

विविध प्राप्तियाँ

9.8 बजट प्राक्कलन वर्ष 2021-22 में 40 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

II व्यय

10.1 वर्ष 2020-2021 के लिए ₹ 15,030 करोड़ के परिशोधित प्राक्कलन की तुलना में राजस्व लेखाओं में वर्ष 2021-2022 के लिए बजट प्राक्कलन में कुल व्यय ₹ 17,513 करोड़ है। प्रावधानों में ₹ 2,483 करोड़ तक की बढ़ोतरी की निम्नलिखित पैरा में व्याख्या की गई है।

क. चिकित्सा हितलाभ

11.1 चिकित्सा हितलाभों पर व्यय के लिए कुल ₹ 13,206 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्चतर प्रावधानों में अन्य मदों के साथ-साथ कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत 5.75 लाख कर्मचारियों की अनुमानित अतिरिक्त व्याप्ति शामिल है। किए गए प्रावधानों के ब्यौरों की व्याख्या एतदाधीन की गई है :-

राशि(₹ करोड़ में)

क.रा.बी. निगम **राज्य सरकारों को देय**		4,836.29
II) इन पर क.रा.बी. निगम द्वारा खर्च का प्रत्यक्ष वहन :		
क)	व्यावसायिक रोग केन्द्र वाले अस्पताल/आदर्श अस्पताल/अन्यअस्पताल/औषधालय	4,350.46
ख)	अति विशिष्टता उपचार	1,642.15
ग)	बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसूति भत्ता	7.00
घ)	अस्पताल एवं औषधालय के मूल्यह्रास का प्रावधान	218.30
ङ)	मरम्मत एवं रखरखाव (अस्पताल एवं औषधालय)	420.40
च)	भाड़ा, पौरकर एवं कर	37.00
छ)	चिकित्सा शिक्षा संस्थानों पर व्यय	611.43
ज)	आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (एम-ईयूडी)/एम-आईएमपी पर व्यय	333.00
झ)	स्वच्छता कार्य योजना(एसएपी) व्यय	0.27
ञ)	आयुष्मान भारत के अधीन व्यय	700.00
ट)	औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डी.सी.बी.ओ.)	50.00
	कुल :	**13,206.30**

11.2 वर्ष 2016-2017 से प्रतिकर्मचारी प्रतिवर्ष चिकित्सा देखरेख पर व्यय का निगम के औसत अंश की अनुमानित लागत निम्नानुसार है :-

2016-2017 वास्तविक	2017-2018 वास्तविक	2018-2019 वास्तविक	2019-2020 वास्तविक	2020-2021 परिशोधित प्राक्कलन	2021-2022 बजट प्राक्कलन
₹ 2,806.18*	₹ 2,847.20	₹ 2,790.03	₹ 3,004.20	₹ 3,656.52	₹ 4,284.56

*कर्मचारियों की भारित औसत संख्या के अनुसार परिकलित।

11.3 राज्य सरकारों को प्रति बीमाकृत व्यक्ति ₹ 200.00 की अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी क.रा.बी.निगम अस्पताल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अधिभोग नहीं हुए।

ख. नकद हितलाभ

12. वर्ष 2020-2021 के परिशोधित प्राक्कलन तथा जिलावार व्याप्ति के कारण 5.75 लाख कर्मचारियों की संभावित अतिरिक्त व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-2022 के दौरान नकद हितलाभों पर **₹ 2,474** करोड़ के खर्च का अनुमान है। वर्धित प्रावधान भी संबंधित उद्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किए जाने वाले स्थायी निःशक्तता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के पूंजीकृत मूल्य के बीमांकिक निर्धारण के फलस्वरूप है।

अन्य हितलाभ

12.1 ₹ 3 करोड़ के प्रावधान में विविध मदों पर हुए खर्च यथा-चिकित्सा बोर्डों, अधिकरणों को अदा किए गए शुल्क, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए सवारी खर्च हेतु बीमाकृत व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति, उक्त बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों को मजदूरी में हुए नुकसान के प्रति भुगतान आदि सम्मिलित हैं। इस प्रावधान में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए ₹ 100/- प्रति हित लाभार्थी यात्रा खर्च का भुगतान भी शामिल है।

13.1 प्रतिव्यक्ति व्यय

प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष नकद हितलाभों की विभिन्न कोटियों की औसत अनुमानित लागत नीचे दर्शायी गई है :

(₹ में)

क्र.सं.	हितलाभ	2016-17 वास्तविक	2017-18* वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 परिशोधित प्राक्कलन	2021-22 बजट प्राक्कलन
i)	बीमारी हितलाभ	123.54	127.47	120.24	127.30	130.07	170.33
ii)	विस्तारित बीमारी हितलाभ	17.20	17.03	15.08	17.44	22.76	23.68
iii)	मातृत्व हितलाभ	40.69	75.46	117.54	123.02	164.22	171.95
iv)	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	44.28	38.21	31.13	29.79	35.77	41.53
v)	स्थायी निःशक्तता हितलाभ (पूंजीकृत मूल्य)	211.11	0.00	48.20	161.12	177.23	185.58
vi)	आश्रितजन हितलाभ (पूंजीकृत मूल्य)	235.68	0.00	31.97	129.40	146.98	154.11
Vii)	अन्त्येष्टि खर्च	6.60	6.55	5.48	7.63	10.73	11.36
viii)	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	1.67	1.76	2.69	3.05	3.58	3.57
ix)	अटल बीमित व्यक्ति योजना	--लागू नहीं--	--लागू नहीं--	--लागू नहीं-	0.01	48.78	40.55
x)	अन्य हितलाभ	1.09	1.04	0.80	0.68	0.86	0.90
	कुल	**681.86**	**267.52**	**373.13**	**599.44**	**740.98**	**803.55**

* कर्मचारियों की भारित औसत संख्या के अनुसार परिकलित।

13.4 अंशदान से आय की प्रतिशतता के अनुसार हितलाभों पर खर्च निम्नानुसार है :

हितलाभ	2016-2017 वास्तविक	2017-2018 वास्तविक	2018-2019* वास्तविक	2019-2020 वास्तविक	2020-2021 परिशोधित प्राक्कलन	2021-2022 बजट प्राक्कलन
चिकित्सा हितलाभ	60.21%	34.21%	39.14%	55.95%	89.95%	96.05%
नकद तथा अन्य हितलाभ	14.62%	3.20%	5.26%	11.16%	18.23%	18.01%

*कर्मचारियों की भारित औसत संख्या अनुसार गणना की गई ।

प्रशासनिक व्यय :

14.1 बजट प्राक्कलन 2021-2022 में प्रशासन पर व्यय के लिए ₹1830 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020-2021 के लिए परिशोधित प्राक्कलन में ₹1058 करोड़ की तुलना में इसमें वेतन एवं भत्तों तथा सामान्य व्यय के निमित्त ₹1220 करोड़ की व्यवस्था की गई है। परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 के आंकड़ों में ₹162 करोड़ की बढ़ोत्तरी, वेतन-वृद्धि का प्रभाव, महंगाई भत्ते में प्रदर्शित वृद्धि, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, कराबीनि की नई पेंशन योजना में भागीदारी आदि के कारण हुई है।

14.2 'अन्य प्रशासनिक व्यय' शीर्ष के अधीन ₹610 करोड़ का प्रावधान वस्तुओं के मूल्य एवं सेवाओं की लागत, भर्ती व्यय तथा कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव में वृद्धि तथा कार्यालय भवन व अन्य सम्पत्तियों में मूल्यह्रास को ध्यान में रखकर किया गया है।

14.3 वर्ष 2021-2022 के लिए कुल राजस्व की प्रतिशतता के अनुसार प्रशासनिक लागत 9% बनती है।

लिंग तथा बाल बजट;

15.1 क.रा.बीमा योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में परिशोधित प्राक्कलन 2021-2022 में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान ₹8403 करोड़ किया गया है। (इसमें बालिकाओं हेतु 6268 करोड़ रूपए का प्रावधान शामिल है)

महिलाओं के लिए लिंग बजट प्रावधान का ब्योरे मुख्य शीर्षवार निम्न प्रकार है :

क्र.स.	योजना/बजट शीर्ष के ब्योरे	बजट प्राक्कलन 2021 - 22 (₹ करोड़ में)
	महिलाओं के लिए 100% प्रावधान	
1.	मातृत्व हितलाभ योजना	530
2.	बीमाकृत महिला एवं बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसव भत्ता	7
	प्रो-वुमेन (प्रोविजनल का 30% का प्रावधान)	
3.	चिकित्सा हितलाभ योजना	7513
4.	नकद हितलाभ योजना (मातृत्व हितलाभ योजना के अलावा)	353
	कुल	**8403**

पूंजीगत निर्माण एवं आकस्मिकता आरक्षित निधि में योगदान :

16.1 **दिनांक 19.02.2019 को आयोजित** निगम की 177वीं बैठक में किए गए निर्णयों के अनुसरण में पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में, कोई प्रावधान नहीं किया गया। प्राक्कलन कार्यों का विवरण परिशिष्ट ।।। पर दिया गया है।

16.2 आकस्मिकता आरक्षित निधि में वर्ष 2021-2022 के लिए बजट प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि उक्त निधि में शेष ₹75.00 करोड़ के निर्धारित स्तर पर है।

पूंजीगत लेखा पर व्यय

17.1 बजट प्राक्कलन वर्ष 2021-2022 के लिए पूंजीगत लेखा परिव्यय हेतु विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बनाई गई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :-

(i) चिकित्सा संस्थाओं के लिए ₹ 148.00 करोड़

(ii) अस्पतालों/औषधालयों के लिए ₹ 1,374.00 करोड़

(iii) क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ₹ 26.00 करोड़

17.2 वर्ष 2021-2022 के बजट प्राक्कलन में, गैर-परियोजना पर अनुमानित खर्च 317.00 करोड़ रखा गया है, जिसमें कंप्यूटर के लिए ₹ 85 करोड़ और उपकरण (कार्यालय और चिकित्सा उपकरण दोनों) के लिए ₹ 212.00 करोड़ का मुख्य व्यय शामिल है।

व्यय से आय का आधिक्य

18. वर्ष 2020-2021 के परिशोधित प्राक्कलन में प्रत्याशित ₹ 3567.00 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-2022 के बजट प्राक्कलन में राजस्व लेखा पर खर्च से ₹ 2826.00 करोड़ की अधिक शुद्ध आय प्रत्याशित है। हालांकि, व्यय पर परिचालित आय (अर्थात् अंशदान आय) में कटौती है जो कि परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 के लिए ₹ (-)2,390 के परिचालित घाटे की तुलना में बजट प्राक्कलन 2021-2022 के लिए ₹ (-) 3,623 करोड़ प्राक्कलित है |

19. राजस्व लेखा में आय एवं व्यय के अलावा वित्तीय विवरण अर्थात् विवरण क- आवतियां एवं विवरण ख- व्यय में अन्य लेखा शीर्षों अर्थात् ऋण जमा, आरक्षित निधियां, पेशगियां, प्रेषण एवं नकद शेष आदि के प्राक्कलन भी समाविष्ट हैं। वार्षिक अंशदान एवं संबंधित आरक्षित निधियों में शेष राशियों के निवेश पर जमा ब्याज़ के द्वारा आरक्षित निधियों से संबंधित प्रावधान प्राप्ति भाग में दर्शाए गए है। आरक्षित निधियों में पहले से उपलब्ध शेष में जमा या निकासी को वर्ष के दौरान विस्तृत शीर्ष आरक्षित निधि निवेश के सामने व्यय भाग में दर्शाया गया है।

जमा रोकड़ शेष

19 31 मार्च, 2021 एवं 2022 को बैंकों में अंतिम रोकड़ शेष तथा 31 मार्च 2021 तक नकद रोकड़ शेष ₹ 20.00 करोड़ पूर्वानुमानित है। दिनांक 31.03.2021 एवं 31.03.2022 को ₹ 20.00 करोड़ की राशि खाता संख्या 1 (संग्रह खातों) में रहेगी तथापि, जहां तक संभव हो, नकद /बैंक में न्यूनतम स्तर तक प्रतिबंधित किया जाएगा।

20. परिशिष्ट-II के विवरण दर्शाते हैं :

क. अंशदानों से प्रतिव्यक्ति आय;

ख. राजस्व लेखा पर प्रतिव्यक्ति व्यय तथा

ग. अंशदान आय का अंतर।

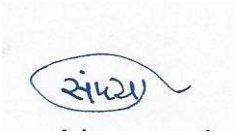

संध्या शुक्ला

वित्त आयुक्त

वर्ष 2020-2021 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2021-2022 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण—क प्राप्ति					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
	राजस्व के मुख्य शीर्ष				
i.	अंशदान	16,74,455.83	18,50,000.00	12,50,000.00	13,75,000.00
ii.	चिकित्सा हितलाभ पर निगम द्वारा आरम्भ में किए गए व्यय में राज्य सरकार का अंश	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्व के अन्य शीर्ष				
iii.	ब्याज़	5,29,818.56	6,15,081.30	5,97,526.00	6,44,874.00
iv.	किराया, दरें तथा कर			0.00	0.00
	(i) निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	207.20	300.00	300.00	300.00
	(ii) अस्पताल तथा औषधालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	339.57	0.00	235.00	240.00
v.	शुल्क, जुर्माना तथा जब्तियां	4,867.52	5000.00	5000.00	5,000.00
vi.	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	3,396.57	4,500.00	4,500.00	4,500.00
vii.	विविध	3,105.81	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	कुल-राजस्व	**22,16,191.05**	**24,78,881.30**	**18,61,561.00**	**20,33,914.00**
	ऋण , आरक्षित निधियां, जमा, पेशगियां तथा धन प्रेषण				
	साधारण ऋण , राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा लौटाया गया ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल साधारण ऋण	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	अनिधिक ऋण क.रा.बी. निगम सामान्य भविष्य निधि				
I.	कर्मचारियों का अभिदान	17,113.09	19,000.00	15,880.89	17,468.97
ii.	कर्मचारियों के अभिदान पर ब्याज़	8,042.36	9,437.43	8,832.33	9,715.56
iii.	कुल अनिधिक ऋण	**25,155.45**	**28,437.43**	**2413.22**	**27,184.53**
	आरक्षित निधि :				
क	स्टाफ क्वार्टरों सहित निगम के कार्यालय भवनों का मूल्यह्रास आरक्षित निधि लेखा				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	867.87	1,001.44	868.00	868.00
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	190.87	222.10	390.00	420.00
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	घटाएं-वर्ष के दौरान पेशगियां	**-1,213.22**	**-9,984.00**	**-7,497.00**	**-12,244.00**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
ख.	अस्पताल तथा औषधालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यह्रास आरक्षित निधि लेखा				
I.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	6,736.85	20,054.00	11,476.13	13,875.67
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	7,988.42	9,295.80	9,180.00	9,900.00
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	घटाएं-वर्ष के दौरान पेशगियां	**-1,773.46**	**-41,600.00**	**-31,810.00**	**-45,692.00**
ग.	अन्य परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास आरक्षित निधि लेखा (संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर तथा वाहन)				
i	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	30,008.28	28,494.00	15,909.13	19,422.63
ii	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	7,820.56	9,100.54	8,370.00	9,030.00
iii	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	घटाएं—वर्ष के दौरान अग्रिम	**0.00**	**-33,783.00**	**0.00**	**0.00**
घ.	स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि लेखा				
I.	वार्षिक प्रावधान	50,244.79	54,469.90	54,500.00	57,200.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	45,282.47	52,693.55	48,470.00	52,270.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	**-30,856.10**	**-38,329.00**	**-2,981.50**	**-4,857.00**
ङ.	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि लेखा				
i.	वार्षिक प्रावधान	40,352.93	45,182.24	45,200.00	47,500.00
ii.	अन्य प्राप्तियां	1.87	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	28,607.09	33,289.02	33,620.00	33,020.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	**-26,354.28**	**-32,073.00**	**-1,449.70**	**-1,756.60**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
च.	चिकित्सा शिक्षा भवन के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि				
I.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	17,342.34	31,727.09	11,476.13	13,875.67
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	600.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	1,757.89	2,045.58	1,880.00	2,030.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
छ.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—पेंशन				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	79,215.30	22,041.69	42,509.50	42,414.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	575.10	750.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	68,779.12	80,035.78	7,362.00	7,939.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	**-46,619.48**	**-61,100.00**	**-54,100.00**	**-63,800.00**
ज.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—उपदान				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	4,739.20	4,042.78	8,088.30	8,088.30
ii	अन्य प्राप्तियाँ	56.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	5,354.15	6,230.40	5,730.00	6,180.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	**-7,354.44**	**-10,600.00**	**-8,300.00**	**-9,700.00**
झ.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—छुट्टी नकदीकरण				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	12876.87	2,030.37	4,061.50	4,061.50
ii.	अन्य प्राप्तियां	19.01	0.00	0.00	0.00
iii	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	4,233.83	4,926.79	4,530.00	4,890.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	**-3,711.27**	**-5,500.00**	**-4,200.00**	**-4,900.00**
ञ	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—पेंशनभोगी चिकित्सा योजना				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	2,169.54	251.59	994.20	1,025.90
ii.	पेंशनभोगियों से प्राप्त अंशदान	323.13	600.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	1,125.15	1,309.29	1,200.00	1,300.00
iv.	घटाएं—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	**-1,237.49**	**-2,300.00**	**-1,700.00**	**-2,500.00**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
ट	पूंजीगत निर्माण निधि लेखा				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
ii.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	घटाएं—वर्ष के दौरान भवनों के निर्माण के लिए निर्माण एजेंसियों को दी गई पेशगियां				
i.	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	-880.29	-2,221.00	-2,278.50	-2,633.00
ii.	अस्पताल एवं औषधालय	-72,104.03	-1,23,198.00	-57,120.30	-1,37,447.00
iii.	चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	-22,867.91	-19,100.00	-20,748.00	-14,800.00
L	आकस्मिकता आरक्षित निधि लेखा	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**2,01,696.66**	**30,605.95**	**1,20,629.89**	**34,981.07**
	जमा				
i.	प्रतिभूति जमा	1,089.54	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ii.	अन्य जमा	8,844.73	2,800.00	3,000.00	3,000.00
iii.	कुल जमा	**8,367.53**	**3,800.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
	पेशगियां				
i.	स्थायी पेशगियां	5.61	10.00	10.00	10.00
ii.	निगम के कर्मचारियों को अग्रिम				
क.	स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम	65.15	0.00	0.00	0.00
ख.	स्थानांतरण पर परिवहन भत्ता अग्रिम	10.05	100.00	25.00	30.00
ग.	दौरे पर परिवहन भत्ता अग्रिम	212.74	200.00	130.00	140.00
घ.	छुट्टी यात्रा रियायत के लिए अग्रिम	600.71	1,700.00	150.00	1,600.00
³.	मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	21.80	25.00	25.00	25.00
च.	अन्य वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	0.34	1.00	1.00	1.00
छ.	गृह निर्माण अग्रिम	54.77	3,500.00	150.00	200.00
ज.	कम्प्यूटर अग्रिम	174.55	1,100.00	200	300.00
i.	विविध अग्रिम (त्योहार अग्रिम, बाढ़ अग्रिम चिकित्सा एवं पंखा अग्रिम)	69.43	500.00	100.00	120.00
iii.	अन्य पेशगियां				
क.	राज्य सरकार/निर्माण/कर्मचारी बीमा न्यायालय को अदा की गई पेशगियां	0.00	2,000.00	100.00	100.00
ख.	विविध	1,951.78	3,000.00	2,500.00	2,500.00
ग.	विशेष अग्रिम	21.12	30.00	30.00	30.00
	कुल अग्रिम (I+II+III)	**3,188.05**	**12,166.00**	**3,421.00**	**5,056.00**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
	धन प्रेषण				
i.	नकदी प्रेषण (क)	14,12,876.98	16,00,000.00	16,50,000.00	17,00,000.00
ii.	अन्य धन प्रेषण (ख)	18,36,345.74	23,00,000.00	20,00,000.00	21,00,000.00
	कुल धन प्रेषण	**32,49,222.72**	**39,00,000.00**	**36,50,000.00**	**38,00,000.00**
	कुल ऋण, आरक्षित निधियां, जमा, अग्रिम एवं धन प्रेषण आदि	**34,87,630.41**	**39,75,009.38**	**38,02,764.11**	**38,71,221.60**
	कुल प्राप्तियां	**57,03,821.46**	**64,53,890.68**	**56,64,325.11**	**59,05,135.00**
	आदि रोकड़ शेष	1,658.52	2,000.00	1,696.10	2,000.00
	प्राप्तियों का कुल योग	**57,05,479.98**	**64,55,890.68**	**56,66,021.21**	**59,07,135.60**
(क)	"नकद धन प्रेषण" शब्द का अर्थ एक लेखा परिमंडल से अन्य लेखा परिमंडल को तथा इसके विपरीत क्रम से निधियों (नकद) का अंतरण है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान टेलीग्राफिक अंतरणों के माध्यम से खाता संख्या 1 केन्द्रीय (मुख्यालय) में साप्ताहिक रूप में अंतरित किया जाता है।				
(ख)	"अन्य धन प्रेषण" शब्द का अर्थ निगम के एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों के बीच खाता समायोजन है। निगम के एक कार्यालय में किया गया ऐसा लेनदेन जिसका समायोजन किसी दूसरे कार्यालयों के खाते में किया जाता हो, का अंतरण विनिमय खाते के माध्यम से किया जाता है और इसे इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।				

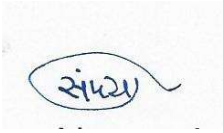

संध्या शुक्ला
वित्त आयुक्त

वर्ष 2020-2021के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2021-2022 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण—ख व्यय

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
राजस्व लेखा पर व्यय					
1	**बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिजनों को हितलाभ :**				
क	**चिकित्सा हितलाभ**				
I .	i)चिकित्सा देखरेख उपचार तथा मातृत्व सुविधाओं पर खर्च में निगम के अंश के रूप में राज्य सरकारों को भुगतान (वर्धित उच्चतम सीमा और अंतिम निपटान हेतु अतिरिक्त प्रावधान)	3,57,318.24	4,52,547.00	4,58,281.00	4,83,629.00
	ii)वर्धित उच्चतम सीमा हेतु अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	निम्न पर निगम द्वारा सीधे किया गया व्यय :				
क.	व्यावसायिक रोग सहित अस्पताल केन्द्र/आदर्श अस्पताल *	3,16,013.52	3,76,183.00	3,88,407.00	4,35,046.00
ख.	अति विशिष्टता उपचार	1,62,077.05	1,54,310.00	1,52,201.00	1,64,215.00
ग.	आयुष्मान भारत के अंतर्गत व्यय	0.00	50,000.00	20,000.00	70,000.00
घ.	औषधालय-सह-शाखा कार्यालय पर व्यय*/स्वास्थ्य पासबुक एवं आइवीआरएस*	1893.70	31,000.00	3,000.00	5,000.00
३.	बीमाकृत महिलाओं और बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसव भत्ता	467.86	700.00	700.00	700.00
च.	अस्पताल एवं औषधालय का मूल्यह्रास प्रावधान	12,234.25	20,054.00	18,204.93	21,830.52
छ.	मरम्मत एवं रखरखाव (अस्पताल एवं औषधालय)	18,892.24	31,406.00	32,763.00	42,040.00
ज.	अस्पताल एवं औषधालय का किराया, भाड़ा तथा कर	3,198.48	3,700.00	3,500.00	3,700.00
झ.	आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (एमईयूडी)/बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी)	73.30	3,000.00	200.00	3,300.00
ञ.	बीमाकृत चिकित्सा व्यवसायी (आईएमपी)/आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी)	1,832.48	1,000.00	1,500.00	30,000.00
ii)	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)पर व्यय	10.15	56.00	35.00	26.80
III.	चिकित्सा शिक्षा	62,818.61	56,791.00	45,641.36	61,142.90
	जोड़—क—चिकित्सा हितलाभ :	**9,36,829.88**	**11,80,747.00**	**11,24,433.29**	**13,20,630.22**
	***इस बजट शीर्ष को पुनः एकत्र किया गया है।**				
ख.	**नकद हितलाभ**				
i.	बीमारी हितलाभ	39,698.04	50,000.00	40,000.00	52,500.00
ii.	विस्तारित बीमारी हितलाभ	5,437.09	6,994.00	7,000.00	7,300.00
iii.	मातृत्व हितलाभ	38,361.86	50,523.00	50,500.00	53,000.00
iv.	निःशक्तता हितलाभः				
	क. अस्थायी निःशक्तता	9,291.09	12,187.00	11,000.00	12,800.00
	ख. स्थायी निःशक्तता**	50,244.79	54,470.00	54,500.00	57,200.00
v.	**आश्रितजन हितलाभ****	40,352.93	45,190.00	45,200.00	47,500.00
vi	**अंत्येष्टि खर्च**	2,379.68	3,342.00	3,300.00	3,500.00
vii.	**राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना**	950.98	1,100.00	1,100.00	1,100.00

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
viii	**अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना**	4.55	50.00	15,000.00	12,500.00
	योग—ख—नकद हितलाभ	**1,86,721.01**	**2,23,856.00**	**2,27,600.00**	**2,47,400.00**
	**अनंतिम आंकड़े				
ग.	**अन्य हितलाभ :**				
i.	चिकित्सा बोर्ड व अपील अधिकरण	49.35	85.00	35.00	55.00
ii	सवारी प्रभार के निमित्त बीमाकृत व्यक्तियों को भुगतान	141.39	220.00	70.00	150.00
iii.	मजदूरी की हानि के निमित्त बीमाकृत व्यक्तियों को भुगतान	10.34	30.00	5.00	20.00
iv.	विविध	10.96	50.00	150.00	50.00
v.	बीमाकृत व्यक्तियों को पुनर्वास भत्ता	0.00	3.00	3.00	3.00
	योग—ग—अन्य हितलाभ	**212.04**	**388.00**	**263.00**	**278.00**
	योग शीर्ष—1हितलाभ	**11,23,762.93**	**14,04,991.00**	**13,52,296.29**	**15,68,308.22**
2.	**प्रशासनिक व्यय**				
क.	**अधीक्षण :**				
	अधिकारी :				
i.	वेतन	6,462.34	7,600.00	7,000.00	7,600.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	3,280.14	4,500.00	4,000.00	4,500.00
iii.	बोनस	0.00	0.00	0.00	0.00
iv	संविदात्मक कर्मचारी	133.05	175.00	260.00	350.00
	कुल अधिकारी	**9,875.53**	**12,275.00**	**11,260.00**	**12,450.00**
	लिपिकवर्गीय स्थापनाएँ				
i.	वेतन	26,845.20	30,000.00	30,000.00	35,000.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	12,987.57	16,000.00	16,000.00	22,200.00
iii.	बोनस	851.12	1,100.00	1,100.00	1,230.00
iv	संविदात्मक कर्मचारी	353.09	500.00	900.00	1,100.00
	कुल लिपिकवर्गीय स्थापनाएं :	**41,036.98**	**47,600.00**	**48,000.00**	**59,530.00**
	समूह 'घ' कर्मचारी				
i.	वेतन	90.03	115.00	100.00	110.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	44.90	51.00	60.00	75.00
iii.	बोनस	3.78	7.00	7.00	7.00
iv	संविदात्मक कर्मचारी	0.00	3.00	45.00	54.00
	कुल समूह 'घ' कर्मचारी	**138.71**	**176.00**	**212.00**	**246.00**
	कुल 'क' अधीक्षण (i)	**51,051.22**	**60,051.00**	**59,472.00**	**72,226.00**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
	ख—क्षेत्र कार्य				
	अधिकारी				
i.	**वेतन**	214.75	360.00	360.0	400.00
ii.	**भत्ते एवं मानदेय**	117.59	210.00	210.00	260.00
iii.	**बोनस**	6.72	3.00	8.00	8.00
iv	**संविदात्मक कर्मचारी**	0.00	2.00	2.00	2.00
	कुल—अधिकारी	**339.06**	**575.00**	**580.00**	**670.00**
	लिपिकवर्गीय स्थापना				
i.	**वेतन**	11,555.44	9,300.00	11,500.00	12,000.00
ii.	**भत्ते एवं मानदेय**	5,059.98	5,400.00	5,500.00	7,000.00
iii.	**बोनस**	343.54	240.00	500.00	550.00
iv	**संविदात्मक कर्मचारी**	7.46	60.00	150.00	155.00
	कुल—लिपिकवर्गीय स्थापना	**16,966.42**	**15,000.00**	**17,650.00**	**19,705.00**
	समूह 'घ' कर्मचारी :				
i.	**वेतन**	27.12	54.00	32.00	45.00
ii.	**भत्ते एवं मानदेय**	14.48	24.00	17.00	22.00
iii.	**बोनस**	1.40	3.00	1.50	1.50
iv	**संविदात्मक कर्मचारी**	0.26	10.00	12.50	13.00
	कुल समूह 'घ' कर्मचारी :	**43.26**	**91.00**	**63.00**	**81.50**
	कुल—ख—क्षेत्र कार्य (ii)	**17,348.74**	**15,666.00**	**18,293.00**	**20,456.50**
ग)	**क-अधीक्षण और ख-क्षेत्र कार्य अधिकारियों/स्टाफ के लिए साझा व्यय**				
क.	**स्टाफ कल्याण व्यय**	317.20	1,300.00	1,430.00	1,700.00
ख.	**छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान**	5.45	100.00	100.00	100.00
ग.	**अनुकम्पा अनुदान**	0.00	5.00	5.00	5.00
घ.	**भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना**	4.80	25.00	12.60	13.86
३.	**कर्मचारी हितलाभों पर व्यय**				
	i) पेंशन	54,753.56	22,050.00	13,502.98	13,472.74
	ii) उपदान	1,998.54	4,050.00	2,569.11	2,569.11
	iii) छुट्टी नकदीकरण	4,855.59	2,030.00	1,290.12	1,290.12
	iv) पेंशनभोगी चिकित्सा योजना	2,169.54	255.00	994.20	1,025.90
	v) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का भाग	4,156.88	11,000.00	8,000.00	9,000.00
च.	**समूह बचत संबद्ध बीमा योजना में क.रा.बी. निगम का भाग**	18.07	125.00	150.00	175.00
	कुल (iii)	**68,279.63**	**40,940.00**	**28,054.01**	**29,351.73**
	कुल स्थापना व्यय (i+ii+iii)	**1,36,679.59**	**1,16,657.00**	**1,05,819.01**	**1,22,034.23**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
	घ. अन्य प्रशासनिक व्यय				
1	विद्युत एवं शक्ति	2,035.86	3,200.00	2,300.00	2,600.00
2	जल प्रभार	135.69	300.00	200.00	240.00
3	बीमा	93.58	240.00	150.00	200.00
4	किराया, पौरकर एवं कर	3,944.34	9,600.00	4,400.00	4,600.00
5	वाहन, चालन एवं अनुरक्षण (भाड़ा प्रभार सहित)	404.24	550.00	400.00	550.00
6	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	760.28	800.00	750.00	800.00
7	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	673.04	850.00	400.00	700.00
8	यात्रा एवं वाहन व्यय				
	क) निगम/स्थायी समिति/क्षेत्रीय बोर्ड/स्थानीय समिति	41.43	150.00	15.00	80.00
	ख) अन्य (क.रा.बी. निगम कर्मचारी)	1,382.35	1,400.00	700.00	1,400.00
9	संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	114.37	350.00	50.00	200.00
10	सदस्यता व्यय—पत्र/पत्रिकाएँ	27.13	60.00	25.00	60.00
11	लेखापरीक्षा शुल्क	5.96	500.00	200.00	200.00
12	क) विधिक प्रभार	403.16	600.00	300.00	730.00
	a) ख) विधिक विवाद के अंतर्गत अवार्ड के भुगतान पर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
13	बीमा न्यायालय	15.29	75.00	20.00	135.00
14	अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	76.02	95.00	95.00	96.00
15	गृह प्रबंधन व्यय	2,297.32	3,400.00	2,700.00	3,200.00
16	स्वच्छता कार्य योजना(एसएपी)	23.91	240.00	75.00	100.00
17	बैंक खाते अनुरक्षण तथा अन्य बैंक शुल्कों हेतु व्यय	1,019.76	1,200.00	1,200.00	1,300.00
18	हानियाँ	67.65	0.00	0.00	0.00
19	मरम्मत एवं रख-रखाव-कम्प्यूटर एवं अन्य	4,716.14	12,500.00	6,315.00	7,000.00
20	भर्ती व्यय	358.67	3,500.00	200.00	5,800.00
21	राजस्व वसूली कक्ष	58.91	150.00	60.00	120.00
22	विज्ञापन एवं प्रचार	1,344.97	3,000.00	1,500.00	3,000.00
23	पहरा व निगरानी	4,578.25	5,900.00	4,800.00	4,800.00
24	प्रशिक्षण	364.25	650.00	50.00	300.00
25	विविध*	3,425.48	3,000.00	3,000.00	3,500.00
26	कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत एवं रख-रखाव	3,739.89	6,873.00	7,507.00	9,707.00
27	परामर्श सेवाएं	86.17	85.00	215.00	225.00
28	निवेश प्रबंधन प्रभार	35.52	200.00	350.00	350.00
29	मूल्यह्रास	3,860.61	3,743.00	6,977.10	8,983.37
II	**कुल अन्य प्रशासनिक व्यय** ***इस बजट शीर्ष को पुन: एकत्रित किया गया है।**	**36,090.24**	**63,211.00**	**44,954.10**	**60,976.37**
	कुल प्रशासनिक व्यय (I + II + III)	**1,72,769.83**	**1,79,868.00**	**1,50,773.11**	**1,83,010.60**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
3	**पूंजीगत निर्माण और आकस्मिक आरक्षित निधियों में योगदान**				
	क. पूंजीगत निर्माण निधि में वार्षिक योगदान (@ योगदान आय की 1%की दर से)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख. आकस्मिक आरक्षित निधि में वार्षिक योगदान	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूंजीगत निर्माण और आकस्मिक आरक्षित निधियों में कुल शीर्ष-4 योगदान	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	राजस्व लेखे पर कुल व्यय :	**12,96,532.76**	**15,84,859.00**	**15,03,069.40**	**17,51,318.82**
4	**पूंजीगत लेखा पर व्यय**				
(क)	i) वाहन	26.95	165.00	60.00	70.00
	ii) कार्यालय के उपकरण	9,081.96	24,281.00	18,555.00	21,151.00
	iii) फर्नीचर और जुड़नार (फिक्सचर)	905.28	1,700.00	1,650.00	1,810.00
	iv) कम्प्यूटर	10,317.34	7,500.00	9,800.00	8,500.00
	v) पुस्तकें	87.72	130.00	100.00	130.00
	vi) चिकित्सा शिक्षा सहायता	2.54	7.00	5.00	7.00
	कुल	**20,421.79**	**33,783.00**	**30,170.00**	**31,668.00**
(ख)	**परियोजनाएं**				
	कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर	551.99	2,221.00	2278.50	2633.00
	स्टाफ क्वार्टर सहित अस्पताल और औषधालय	43,987.22	1,23,198.00	57,120.30	1,37,447.00
	चिकित्सा महाविद्यालय और स्टाफ क्वार्टर	13,221.25	19,100.00	20,748.00	14,800.00
	कुल (ख)	**57,760.46**	**1,44,519.00**	**80,146.80**	**1,54,880.00**
	कुल योग - पूंजीगत व्यय (क+ख)	**78,182.25**	**1,78,302.00**	**1,10,316.80**	**1,86,548.00**
	ऋण, आरक्षित निधि, जमा अग्रिम और अनिधिक ऋण धन प्रेषण :				
	क.रा.बी.निगम सामान्य भविष्य निधि				
	अभिदाताओं का भुगतान	18,541.00	21,000.00	7,716.42	8,488.06
	कुल अनिधिक ऋण	**18,541.00**	**21,000.00**	**7,716.42**	**8,488.06**
	आरक्षित निधि				
क	निगम के कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टर सहित) के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	-154.48	-8,760.46	-6,239.00	-10,956.00
ख	अस्पताल और औषधालय भवन (स्टाफ क्वार्टर सहित) के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	12,951.81	-12,250.20	-11,153.87	-21,916.33

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
ग	अन्य परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और वाहन) की मूल्यह्रास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	37,828.84	3,811.54	24,279.13	28,452.63
घ	स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि निवेश लेखा				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	64,671.16	68,834.45	99,988.50	1,04,613.00
३	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि निवेश लेखा				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	42,607.61	46,398.26	74,370.30	78,763.40
च	चिकित्सा शिक्षा भवन हेतु मूल्यह्रास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	19,100.23	34,372.67	13,356.13	15,905.67
छ	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : पेंशन				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	1,01,950.05	79,505.22	44,389.50	44,444.00
ज	क.रा.बी. निगम सामान्य भविष्य निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	6,614.45	7,437.43	16,996.80	18,696.47
झ	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : उपदान				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	2,794.91	-326.82	5,518.30	4,568.30
ञ	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : छुट्टी नकदीकरण				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	13,418.43	1,457.16	4,391.50	4,051.50
ट	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : पेंशनर चिकित्सा योजना				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	2,380.33	-139.12	494.20	-174.10
ठ	पूँजीगत निर्माण निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	0.00	-1,44,519.00	-80,146.80	-1,54,880.00
ड	आकस्मिक आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आरक्षित निधि :	**3,04,163.34**	**75,821.13**	**1,86,244.69**	**1,11,568.54**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
	जमा :				
	प्रतिभूतियों में जमा	778.61	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	अन्य जमा (क)	323.97	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	कुल जमा :	**1,102.58**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
	अग्रिम :				
क.	स्थायी अग्रिम	20.18	50.00	30.00	50.00
ख.	निगम के कर्मचारियों को अग्रिम				
	i.स्थानांतरण पर अग्रिम वेतन	2.25	0.00	0.00	0.00
	ii.स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता अग्रिम	15.61	100.00	50.00	70.00
	iii.दौरे पर यात्रा भत्ते हेतु अग्रिम	286.66	200.00	200.00	250.00
	iv.छुट्टी यात्रा रियायत हेतु अग्रिम	767.30	1,700.00	7,000.00	2,750.00
	v.मोटर वाहन की खरीद हेतु अग्रिम	17.20	0.00	0.00	0.00
	vi.कम्प्यूटर अग्रिम	238.47	1,100.00	340.00	400.00
	vii.अन्य वाहन की खरीद हेतु अग्रिम	0.50	0.00	0.00	0.00
	viii.गृह निर्माण अग्रिम	199.14	3,500.00	1,000.00	1,000.00
	ix.विविध अग्रिम (त्योहार, बाढ़ एवं पंखा अग्रिम)	144.31	500.00	250.00	250.00
ग.	**अन्य पेशगियां :**				
	i.राज्य सरकारों/निर्माण एजेंसियों को दिया गया अग्रिम	3,305.42	3,500.00	3,000.00	3,400.00
	ii.विविध	1,884.81	5,000.00	3,000.00	3,500.00
	iii.विशेष पेशगियां	13,884.18	450.00	200.00	250.00
	कुल पेशगियां :	**20,766.03**	**16,100.00**	**1,5070.00**	**11,920.00**
	प्रेषित धन				
	नकद धन प्रेषण (क)	14,16,231.69	16,00,000.00	16,50,000.00	17,00,000.00
	अन्य धन प्रेषण (ख)	18,33,947.13	23,00,000.00	20,00,000.00	21,00,000.00
	कुल प्रेषित धन :	**32,50,178.81**	**39,00,000.00**	**36,50,000.00**	**38,00,000.00**
	कुल—ऋण,आरक्षित निधियां,जमा, पेशगियां तथा प्रेषित धन :	**35,94,751.76**	**40,15,921.13**	**38,62,031.11**	**39,34,976.60**
	कुल संवितरण :	**49,69,466.77**	**57,79,082.13**	**54,75,417.31**	**58,72,843.42**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
					(₹ लाख में)
	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि				
	1. वर्ष (ग) के दौरान निवेश (वसूली का निवल)	13,38,045.47	7,50,629.68	3,74,848.59	1,43,860.72
	घटाएं—आरक्षित निधि निवेश लेखाओं में अंतरण	3,04,163.34	75,821.13	1,86,244.69	1,11,568.54
	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित अधिशेष	**7,34,317.11**	**6,74,808.55**	**1,88,603.90**	**32,292.18**
	अंत शेष(मौजूदा नकद/बैंक)	1696.10	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	भुगतानों का कुल योग	**57,05,479.98**	**64,55,890.68**	**56,66,021.21**	**59,07,135.60**
(क)	"नकद धन प्रेषण" शब्द का अर्थ एक लेखा परिमंडल से अन्य लेखा परिमंडल को तथा इसके विपरीत क्रम से निधियों (नकद) का अंतरण है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान टेलीग्राफिक अंतरणों के माध्यम से खाता संख्या 1 केन्द्रीय (मुख्यालय) में साप्ताहिक रूप में अंतरित किया जाता है।				
(ख)	"अन्य धन प्रेषण" शब्द का अर्थ निगम के एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों के बीच खाता समायोजन है। निगम के एक कार्यालय में किया गया ऐसा लेनदेन जिसका समायोजन किसी दूसरे कार्यालय के खाते में किया जाता हो, का अंतरण विनिमय खाते के माध्यम से किया जाता है और इसे इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।				

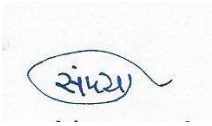

संध्या शुक्ला
वित्त आयुक्त

परिशिष्ट-1

31 मार्च, 2019 तथा 2020 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त तथा 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2022 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त किए जाने वाले संभावित कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या					
		31-3-2019 की स्थिति अनुसार	31-3-2020 की स्थिति के अनुसार	1.4.20 से 31.3.2021 के दौरान चरणबद्ध	31-3-2021 की स्थिति के अनुसार	1.4.2021 से 31.3.2022 के दौरान चरणबद्ध	31-3-2022 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
	आंध्र प्रदेश						
1	i) तिरुपति	2,43,350	2,43,100	-3,379	2,39,721	4,507	2,44,228
	ii) विजयवाड़ा और येन्नम	5,83,170	5,85,820	-8,143	5,77,677	10,860	5,88,537
	iii) विशाखापत्तनम	3,43,380	3,67,650	-5,110	3,62,540	6,815	3,69,355
2	तेलंगाना	16,20,350	16,65,170	-23,146	16,42,024	30,870	16,72,894
3	असम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम	2,95,310	3,22,500	-4,483	3,18,017	5,978	3,23,995
4	बिहार	2,56,690	3,14,600	-4,373	3,10,227	5,832	3,16,059
5	चंडीगढ़ (संघ राज्यक्षेत्र)	1,58,070	1,53,510	-2,134	1,51,376	2,846	1,54,222
6	छत्तीसगढ़	5,69,440	4,54,510	-6,318	4,48,192	8,426	4,56,618
	दिल्ली						
7	i) राजेन्द्र प्लेस	3,82,890	3,97,070	-5,519	3,91,551	7,361	3,98,912
	ii) नंद नगरी	1,81,540	1,62,570	-2,260	1,60,310	3014	1,63,324
8	iii) रोहिणी	2,30,960	2,30,330	-3,202	2,27,128	4,270	2,31,398
9	iv) ओखला	7,39,790	6,54,990	-9,104	6,45,886	12,142	6,58,028
10	गोवा	2,56,370	1,86,460	-2,592	1,83,868	3,457	1,87,325
	गुजरात						
11	i) अहमदाबाद	7,38,650	7,69,220	-10,692	7,58,528	14,260	772788
12	ii) वडोदरा	2,76,680	4,05,090	-5,631	3,99,459	7,510	4,06,969
13	iii) सूरत	4,28,470	3,81,150	-5,298	3,75,852	7,066	3,82,918
	हरियाणा						
14	i) फरीदाबाद	7,62,720	7,51,690	-10,448	7,41,242	13935	7,55,177
15	ii) गुड़गांव	14,46,840	10,89,230	-15,140	10,74,090	20,193	10,94,283
16	iii) अंबाला	2,40,500	2,47,790	-3,444	2,44,346	4,593	2,48,939
17	हिमाचल प्रदेश	2,96,240	3,10,200	-4,312	3,05,888	5,751	3,11,639
18	जम्मू एवं कश्मीर	2,26,770	1,21,980	-1,696	1,20,284	2,262	1,22,546
19	झारखण्ड	3,86,570	4,14,550	-5,762	4,08,788	7,685	4,16,473
	कर्नाटक						
20	i) बेंगलुरु	10,10,130	10,24,980	-14,247	10,10,733	19002	10,29,735
21	ii) हुबली	3,12,340	3,28,320	-4,564	3,23,756	6,087	3,29,843
22	iii) पीण्या	4,93,630	4,79,880	-6,670	4,73,210	8,896	4,82,106
23	iv) बोम्मसंद्रा	7,24,230	7,28,830	-10,131	7,18,699	13,512	7,32,211
24	v) गुलबर्गा	1,45,080	1,61,200	-2,241	1,58,959	2,989	1,61,948
25	vi) मैसूर	2,16,370	2,34,120	-3,254	2,30,866	4,340	2,35,206
26	vii) मैंगलौर	1,85,940	1,89,680	-2,637	1,87,043	3,517	1,90,560
	केरल तथा माहे						
27	i) तृश्शूर	1,54,950	1,51,890	-2,111	149,779	2,816	152595
28	ii) एरणाकुलम	3,93,660	4,02,950	-5,601	3,97,349	7,470	4,04,819
29	iii) कोल्लम	1,32,720	1,37,350	-1,909	1,35,441	2,546	1,37,987
30	iv) कोषिकोड	1,59,160	1,60,380	-2,229	1,58,151	2,973	1,61,124
31	v) तिरुवनंतपुरम	1,28,850	1,36,720	-1,900	1,34,820	2,534	1,37,354
	मध्य प्रदेश						
32	i) इंदौर	6,17,170	6,28,560	-8,737	6,19,823	11,653	6,31,476
33	II) भोपाल	3,27,140	3,25,050	-4,518	3,20,532	6,026	3,26,558
	महाराष्ट्र						
34	i) लोअर परेल	6,33,110	5,34,300	-7,427	526,873	9,905	5,36,778
35	ii) मरोल	9,08,510	8,11,110	-11,274	7,99,836	15,036	8,14,872
36	iii) ठाणे	7,41,640	7,63,880	-10,618	7,53,262	14,161	7,67,423
37	iv) नागपुर	3,26,030	3,34,620	-4,651	3,29,969	6203	3,36,172
38	v) औरंगाबाद	2,49,560	2,71,740	-3,777	2,67,963	5,038	2,73,001

39	vi) पुणे	12,19,070	13,93,050	-19,363	13,73,687	25,825	13,99,512
40	vii) नाशिक	1,73,230	1,96,960	-2,738	1,94,222	3,652	1,97,874
41	ओड़िशा	6,25,820	6,85,850	-9,533	6,76,317	12,714	6,89,031
42	पुदुच्चेरी	1,09,710	1,06,460	-1,480	1,04,980	1,974	1,06,954
	पंजाब					,	
43	i) चंडीगढ़ (पंजाब)	4,28,190	4,20,520	-5,845	4,14,675	7,796	4,22,471
44	ii) जालंधर	2,45,340	2,74,230	-3,812	2,70,418	5,084	2,75,502
45	iii) लुधियाना	3,76,850	3,79,320	-5,273	3,74,047	7,033	3,81,080
	राजस्थान						
46	i) जयपुर	9,55,980	8,98,030	-12,483	8,85,547	16,649	9,02,196
47	ii) उदयपुर	2,07,070	2,04,640	-2,844	2,01,796	3,793	2,05,589
48	iii) जोधपुर	1,70,800	1,76,920	-2,459	1,74,461	3,280	1,77,741
	तमिलनाडु						
49	i) चेन्नै	21,58,090	18,27,520	-25,403	18,02,117	33,880	18,35,997
50	ii) तिरुनेलवेली	1,81,860	1,79,120	-2,490	1,76,630	3,321	1,79,951
51	iii) सेलम	3,92,790	3,74,910	-5,211	3,69,699	6,950	3,76,649
52	iv) कोयम्बतूर	7,34,540	7,78,640	-10,823	7,67,817	14,435	7,82,252
53	v) मदुरै	4,04,410	4,15,990	-5,782	4,10,208	7,712	4,17,920
	उत्तर प्रदेश						,
54	i) कानपुर	4,25,470	4,61,300	-6,412	4,54,888	8,552	4,63,440
55	ii) वाराणसी	1,03,560	1,21,620	-1,691	1,19,929	2,255	1,22,184
56	iii) नोएडा	10,71,730	11,51,620	-16,008	11,35,612	21,350	11,56,962
57	iv) लखनऊ	4,12,100	4,76,250	-6,620	4,69,630	8,829	4,78,459
58	उत्तराखण्ड	5,58,690	5,58,640	-7,765	5,50,875	10,356	5,61,231
	पश्चिम बंगाल						
59	i) बैरकपुर	12,96,470	3,08,970	-4,295	3,04,675	5,728	3,10,403
60	ii) कोलकाता	2,95,290	13,12,490	-18,244	12,94,246	24,332	13,18,578
61	iii) दुर्गापुर	2,16,570	2,29,140	-3,185	2,25,955	4,248	2,30,203
	अखिल भारत	**3,14,01,920**	**3,09,66,930**	**-3,71,232**	**3,05,36,490**	**5,74,086**	**3,11,10,576**

परिशिष्ट-2

प्रतिव्यक्ति आय-व्यय का सूचक विवरण

वर्ष	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी अंशदान आय की राशि	राजस्व लेखो में व्यय	अन्तर
1998-1999	1,466	1,034	432
1999-2000	1,578	1,261	317
2000-2001	1,608	1,306	302
2001-2002	1,676	1,397	279
2002-2003	1,840	1,488	352
2003-2004	1,961	1,564	397
2004-2005	2,306	1,602	704
2005-2006	2,421	1,577	844
2006-2007	2,782	1,503	1,279
2007-2008	3,196	1,485	1,711
2008-2009	3,115	1,711	1,404
2009-2010	2,944	2,020	924
2010-2011	3,919	2,229	1,690
2011-2012	4,449	2,637	1,812
2012-2013	4,937	3,438	1,499
2013-2014	5,679	3,883	1,796
2014-2015	6,052	4,298	1,754
2015-2016	6,054	4,400	1,654
2016-2017	6,127	4,326	1,801
2017-2018	6,258	3,542	2,716
2018-2019	7,127	3,535	3,592
2019-2020	5,370	5,331	38
2020-2021 (परिशोधित प्राक्कलन)	4,065	4,455	(750)
2021-2022 (बजट प्राक्कलन)	4,461	5,193	(1,116)

टिप्पणियाँ :

(क) क.रा.बी.अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 1.10.2006 से ₹.7,500/- बढ़ाकर ₹.10,000/- प्रतिमाह कर दी गई।

(ख) क.रा.बी.अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.05.2010 से ₹.10,000/- बढ़ाकर ₹.15,000/- प्रतिमाह कर दी गई।

(ग) क.रा.बी.अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.01.2017 से ₹.15,000/- बढ़ाकर ₹.21,000/- प्रतिमाह कर दी गई।

परिशिष्ट-3

चिकित्सा संस्थाओं, अस्पताल व औषधालयों तथा कार्यालय भवनों के संबंध में आरंभ की गई पूँजीगत परियोजनाओं के विवरण : परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 में उनकी निधि संबंधी आवश्यकताएँ

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2020 से 30.09.2020 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2020 से 31.03.2021 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019-2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2021-2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ करोड़ में)				
	क. चिकित्सा संस्थान :					
1	सनत नगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	676.16	0.00	25.00	25.00	10.00
2	दंत्य महाविद्यालय नाचाराम, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) का निर्माण	244.49	0.00	10.00	10.00	10.00
3	चिकित्सा महाविद्यालय फरीदाबाद, हरियाणा का निर्माण	737.37	0.00	12.00	12.00	12.00
4	मंडी (हिमाचल प्रदेश) में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	827.00	0.00	20.00	20.00	5.00
5	गुलबर्गा, कर्नाटक में चिकित्सा/दंत्य महाविद्यालय का निर्माण	1,190.88	0.00	0.00	0.00	7.00
6	पेरीपल्ली, कोल्लम, केरल में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	544.26	0.00	0.00	0.00	1.00
7(क)	चिकित्सा महाविद्यालय, एम.जी.एम. परेल, मुंबई फेज-I का निर्माण	191.15	0.00	5.00	5.00	5.00
7(ख)	परेल, मुंबई फेज-I में नर्सिंग महाविद्यालय और स्नातकोत्तर छात्रावास/स्टाफ आवास का निर्माण	100.99	0.00	5.00	5.00	5.00
8	क.रा.बी.अस्पताल, बसईदारापुर में स्नातकोत्तर संस्थान-सह-चिकित्सा महाविद्यालय	425.00	0.00	25.00	25.00	10.00
9	क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर में स्टाफ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा नवीयन	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
10(क)	क.रा.बी.दंत्य महाविद्यालय, (प्रथम वर्ष), सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	8.16	0.00	0.5	0.5	0.50
10(ख)	क.रा.बी.दंत्य महाविद्यालय, (द्वितीय वर्ष), सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	5.43	0.00	0.17	0.17	0.00
10(ग)	क.रा.बी.दंत्य महाविद्यालय, (तृतीय वर्ष), सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	9.06	0.00	1.31	1.31	0.00
11	कोयम्बतूर में क.रा.बी. चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	550.85	0.00	0.00	0.00	0.00
12	के.के.नगर, चेन्नै में स्नातकोत्तर संस्थान तथा अन्य परा-चिकित्सा संस्थान एवं चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	470.93	0.00	10.00	10.00	2.00
13	अयनावरम, चेन्नै में शिक्षण अस्पताल भवन निर्माण तथा संबद्ध सुविधाएँ, सुविधाओं का उन्नयन	335.04	0.00	2.00	2.00	15.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2020 से 30.09.2020 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2020 से 31.03.2021 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019-2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2021-2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ करोड़ में)				
14	मानिकतला, कोलकाता में स्नातकोत्तर संस्थान का निर्माण	107.31	0.00	3.00	3.00	0.00
15	जोका, कोलकाता में स्नातकोत्तर संस्थान-सह-चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	542.00	0.00	20.00	20.00	20.00
16	बिहटा, पटना में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	676.11	0.00	20.00	20.00	0.00
17	इंदिरा नगर में नर्सिंग महाविद्यालय और अस्पताल तथा 1000 कुर्सियों वाले सभागार का निर्माण	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गुलबर्गा में परा-चिकित्सा एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र का निर्माण	308.15	0.00	0.00	0.00	5.00
19	चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर का निर्माण	904.08	0.00	10.00	10.00	10.00
20(क)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई का उन्नयन और विस्तार	234.79	0.00	20.00	20.00	10.00
20(ख)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई (फेज-II) में स्नातकोत्तर छात्रावास और स्टाफ आवास का निर्माण	61.46	0.00	10.00	10.00	5.00
20(ग)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई में स्टाफ आवास का नवीयन और मरम्मत	6.53	0.00	0.50	0.50	0.50
21	राजाजीनगर, बेंगलुरु, कर्नाटक में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	319.01	0.00	4.00	4.00	10.00
22	अस्पताल, राजाजी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक का निर्माण	228.07	0.00	4.00	4.00	5.00
	कुल (क. चिकित्सा संस्थाएं)	**9785.76**	**0.00**	**207.48**	**207.48**	**148.00**
	ख. अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण/नवीयन/उन्नयन					
23	सनत नगर, हैदराबाद में अति-विशिष्टता अस्पताल का निर्माण	145.03	0.00	3.28	3.28	0.00
24	तिरुपति, आंध्र प्रदेश में क.रा.बी.अस्पताल का नवीयन/पुनर्सज्जा	108.93	0.00	4.00	4.00	7.00
25	बापूनगर, अहमदाबाद में 300 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	125.74	0.00	10.00	10.00	10.00
26	मणिनगर, खोखरा में डी-34 औषधालय का निर्माण	25.00	0.00	5.00	5.00	5.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2020 से 30.09.2020 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2020 से 31.03.2021 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019-2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2021-2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ करोड़ में)				
27	करनाल, हरियाणा में क.रा.बी.औषधालय-सह-नैदानिक केन्द्र का निर्माण	5.34	0.00	0.40	0.40	0.40
28	फरीदाबाद, सेक्टर 15 ए (हरियाणा) में क.रा.बी.औषधालय	0.87	0.00	0.15	0.15	0.22
29	मुरथल, हरियाणा में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30	मानेसर, हरियाणा में 100 बिस्तर वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण (पहले ही उद्घाटित)	68.74	0.00	0.00	0.00	2.00
31	बद्दी, हिमाचल प्रदेश में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	59.67	0.00	0.00	0.00	1.00
32	क.रा.बी. अस्पताल, हुबली का नवीयन	33.17	0.00	3.00	3.00	0.00
33	क.रा.बी. अस्पताल, मैसूर का नवीयन	35.32	0.00	3.00	3.00	0.00
34	क.रा.बी. अस्पताल, देवनगिरी, कर्नाटक का नवीयन	29.53	0.00	3.00	3.00	0.00
35	क.रा.बी. अस्पताल, पीण्या, कर्नाटक का निर्माण	125.14	0.00	0.00	0.00	5.00
36	तिरुवंनतपुरम, केरल में निदेशालय बीमा चिकित्सा सेवा (डीआइएमएस) भवन का निर्माण	10.62	0.00	0.02	0.02	0.00
37	कोल्लम, केरल में 5 चिकित्सकों वाला औषधालय	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
38	मायलम, कोट्टरकारा के शाखा कार्यालय में 2 चिकित्सकों वाला औषधालय	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
39	पुरवेषी, कोल्लम, केरल में 3 चिकित्सकों वाला औषधालय	2.28	0.15	0.00	0.15	0.00
40	ओ.टी. ब्लॉक, क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर का नवीयन	31.20	0.00	0.00	0.00	0.5
41	क.रा.बी. अस्पताल ओखला का नवीयन व विस्तार	271.43	0.00	15.00	15.00	20.00
42	एन.आइ.ए.-1, कर्मपुरा में क.रा.बी. औषधालय का नवीयन	1.87	0.00	0.5	0.5	0.00
43	क.रा.बी. अस्पताल, भुवनेश्वर, ओड़िशा की पुनर्सज्जा	74.99	0.00	2.00	2.00	1.00
44	तिरुनेलवेली में 50 और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	56.56	0.00	5.00	5.00	5.00
45	जयपुर में क.रा.बी. आदर्श अस्पताल	214.36	0.00	2.00	2.00	2.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2020 से 30.09.2020 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2020 से 31.03.2021 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019-2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2021-2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ करोड़ में)				
46	सरोजनी नगर, लखनऊ में 100 बिस्तर वाले अभिघात केन्द्र का निर्माण तथा विद्यमान अस्पताल का नवीयन	106.83	0.00	2.00	2.00	2.00
47	सेक्टर-24, नोएडा अस्पताल की आंतरिक पुनर्सज्जा	149.91	0.00	1.00	1.00	5.00
48	झारसुगुडा में औषधालय, शाखा कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
49	जीदीमेटला में क.रा.बी. औषधालय-सह-नैदानिक केन्द्र तथा स्टाफ आवास	25.90	0.00	2.20	2.20	0.00
50	अंकलेश्वर में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	92.87	0.00	0.3	0.3	0.3
51	पेरीनाडु, कोल्लम, केरल में 3 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.33	0.00	0.003	0.003	0.00
52	कोलाबा, मुंबई में आदर्श औषधालय-सह-नैदानिक (एमडीडीसी) केन्द्र तथा औषधालय	16.92	0.00	1.59	1.59	0.00
53	वाशी, मुंबई में क.रा.बी. अस्पताल की पुनर्सज्जा/विस्तार तथा दंत्य महाविद्यालय का निर्माण	140.11	0.00	0.00	0.00	5.00
54	कुलाशेखरापुरम, केरल में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
55	विलाकुड़ी, केरल में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
56	वडावतूर, केरल में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	1.95	0.00	0.005	0.005	0.00
57	कदम्पानन्दु, केरल में 05 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.34	0.00	0.005	0.005	0.00
58	सिलीगुड़ी (मतीगरा), कोलकाता में क.रा.बी. निगम औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
59	जगतपुर में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
60	केंद्रीय चिकित्सा भंडार का निर्माण तथा निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली का निर्माण एवं नवीयन	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
61	नरेला में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	21.03	0.00	10.00	10.00	20.00
62	रोहिणी में एसटीपी एवं ईटीपी	1.01	0.00	0.03	0.03	0.03
63	ऑटो नगर, विजयवाड़ा में क.रा.बी. औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	6.37	0.00	0.40	0.40	0.40
	कुल(अस्पताल/औषधालय)	2,032.75	0.15	73.883	74.033	91.85
	ग. क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों का निर्माण/नवीयन/उन्नयन					
64	उप क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा का निर्माण	25.80	0.00	0.02	0.02	0.02
65	आदर्श नगर, हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय का नवीयन/पुनर्सज्जा/सुधार	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
66	क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ का नवीयन/आशोधन	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2020 से 30.09.2020 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2020 से 31.03.2021 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019-2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2021-2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ करोड़ में)				
67	क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी, गोवा का नवीयन	8.11	0.00	0.10	0.10	0.10
68	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु की पुनर्सज्जा	18.62	0.00	3.00	3.00	0.00
69	शाखा कार्यालय, एरणाकुलम, केरल का निर्माण	5.56	0.00	3.00	3.00	0.00
70	कोल्लम, केरल में शाखा कार्यालय का निर्माण	5.19	0.00	0.005	0.005	0.00
71	वलुज, औरंगाबाद में शाखा कार्यालय और औषधालय का निर्माण	5.23	0.00	0.24	0.24	0.00
72	चिंचवाड़ (पुणे) में शाखा कार्यालय और औषधालय का निर्माण	12.97	0.00	0.43	0.43	0.00
73	उप क्षेत्रीय कार्यालय, बिबवेवाड़ी (पुणे) की पुनर्सज्जा	25.91	0.00	0.08	0.08	0.00
74	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	11.06	0.00	0.04	0.04	0.00
75	उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे, मुंबई	13.38	0.00	1.43	1.43	0.00
76	उप क्षेत्रीय कार्यालय, चिकलथाना, औरंगाबाद का नवीयन	15.24	0.00	0.09	0.09	0.00
77	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल, मुंबई का नवीयन	11.62	0.00	0.21	0.21	0.00
78	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के भवन का नवीयन और पुनर्सज्जा	10.20	0.00	0.00	0.00	0.2
79	क्षेत्रीय कार्यालय, पुदुच्चेरी का नवीयन	6.41	0.01	0.00	0.00	0.00
80	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर की पुनर्सज्जा	16.31	0.00	0.7	0.7	0.00
81	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै की पुनर्सज्जा	31.62	0.00	3.19	3.19	0.00
82	क.रा.बी. कॉलोनी, सेक्टर-56, नोएडा में स्टाफ क्वार्टरों की पुनर्सज्जा और नवीयन	20.05	4.00	0.00	4.00	21.00
83	सॉल्टलेक, कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण	69.06	0.00	5.00	5.00	5.00
84	क.रा.बी. आवासीय परिसर, जी.बी. सॉल्टलेक, कोलकाता में ए से एन टाइप क्वाटरों का आंतरिक नवीयन, मरम्मत और पेंटिंग	10.69	0.60	0.00	0.60	0.00
85	उप क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली, कर्नाटक का निर्माण	14.73	0.00	0.65	0.65	0.00
86.	क.रा.बी. निगम डेटा केंद्र, रोहिणी	4.80	0.00	0.00	0.00	0.01
	कुल ग =	**380.47**	**4.6**	**18.185**	**22.785**	**26.33**
	कुल क+ख+ग =	**12199**	**4.75**	**299.548**	**304.298**	**266.18**

नई परियोजनाएं

अस्पताल एवं औषधालय

1.	रूद्रपुर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	97.72	0.00	10.00	10.00	10.00
2.	हरिद्वार में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	95.00	0.00	0.00	0.00	20.00
3.	पइदिभिमावरम में 06 बिस्तरों वाला आदर्श औषधालय एवं नैदानिक केंद्र तथा शाखा कार्यालय	5.64	0.00	0.00	0.00	4.00
4.	मापुसा में 06 बिस्तरों वाले एमडीडीसी एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	7.12	0.00	0.00	0.00	2.00
5.	सूरत में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल स्टाफ क्वार्टरों एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण	100.00	6.00	20.00	26.00	40.00
6.	रायपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	79.93	0.00	0.00	0.00	10.00
7.	डोडाबल्लापुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	81.38	0.00	10.00	10.00	50.00
8.	उदयपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	77.79	4.00	4.00	8.00	0.00
9.	आदित्यपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	75.88	0.00	11.00	11.00	7.00
10.	बेलतला में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	143	0.00	15.00	15.00	40.00
11.	इंदौर में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	378.00	0.00	35.00	35.00	70.00
12.	बाल्टीकुरी में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	187.37	0.00	5.00	5.00	5.00
13.	रांची में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	71.80	0.00	12.00	12.00	12.00
14.	आसनसोल में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का 150 बिस्तर वाले अस्पताल में उन्नयन	30.23	0.00	5.00	5.00	7.00
15.	बोम्मसंद्रा में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	100.00	0.00	10.00	10.00	40.00
16.	नागपुर में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	175.00	0.00	5.00	5.00	50.00
17.	उत्तरी गोवा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
18.	कोरबा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	56.31	0.00	7.00	7.00	5.00
19.	अंगुल में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	64.47	0.00	5.00	5.00	0.00
20.	हल्दिया में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	57.15	0.00	12.00	12.00	25.00
21.	बिबवेवाड़ी, पुणे में वर्तमान अस्पताल की पुनर्सज्जा एवं 50 बिस्तरों से 100 बिस्तरों में उन्नयन	53.86	0.00	10.00	10.00	10.00
22.	विशाखपट्टणम में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	400.00	0.00	50.00	50.00	50.00
23.	विजयनगरम में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	80.00	0.00	14.00	14.00	40.00
24.	सिलीगुड़ी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	59.47	0.00	10.00	10.00	40.00
25.	फुलवारीशरीफ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	50.87	0.00	12.00	12.00	25.00
26.	डुबरी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	70.00	0.00	0.00	0.00	20.00
27.	50 अतिरिक्त बिस्तरों के लिए क.रा.बी. अस्पताल, दुर्गापुर का ऊर्ध्वाधर विस्तार	28.61	0.00	0.54	0.54	0.00
28.	भुवनेश्वर में 150 बिस्तरों वाले अति विशिष्टता अस्पताल का निर्माण	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	भिलाई में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	114.88	0.00	10.00	10.00	40.00
30.	रायबरेली में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.27	0.00	1.18	1.18	0.22

31.	पनकी में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.33	0.00	1.32	1.32	0.23
32.	गोरखपुर में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.84	0.00	0.5	0.5	2.00
33.	नंजगुड में एमडीडीसी का निर्माण	8.65	0.00	2.00	2.00	0.00
34.	इनाथु में 5 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	2.50	0.00	0.50	0.50	2.00
35.	कोरेटी में 02 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	2.50	0.00	0.50	0.50	2.00
36.	सनत नगर में बाह्य रोगी विभाग का निर्माण	211.00	0.00	20.00	20.00	50.00
37.	आश्रमम, कोल्लम में आदर्श अस्पताल का उर्ध्वाधर विस्तार	40.00	0.00	3.00	3.00	5.00
38.	हुबली के अस्पताल भवन में अतिरिक्त 50 बिस्तरों का निर्माण	25.0	0.00	5.00	5.00	10.00
39.	रायगढ में 100 बिस्तरों अस्पताल का निर्माण	94.23	7.00	10.00	17.00	30.00
40.	आबू-रोड में 2 चिकित्सक वाले औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00
41.	वाराणसी में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	141.98	0.00	5.00	5.00	5.00
42.	पंचकुला में क.रा.बी.औषधालय-सह-शाखा कार्यालय का निर्माण	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00
43.	पंचकुला में निदेशक कार्यालय का निर्माण	8.00	0.00	1.50	1.50	6.00
44.	कुंडैन में 2 चिकित्सक वाले अस्पताल का निर्माण	3.00	0.00	0.25	0.25	1.00
45.	सेलाकुई में 3 चिकित्सक वाले औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	6.50	0.00	0.6	0.6	5.9
46.	मयूर विहार में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	40.6	0.00	4.00	4.00	30.00
47.	आइएमटी मानेसर में 6 बिस्तरों के साथ 5 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	1.49	0.00	0.50	0.50	0.10
48.	अलवर में 6 बिस्तरों के साथ 4 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	5.00	0.00	2.00	2.00	3.00
49.	बेहरोड़ में 3 चिकित्सक वाला औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर	5.00	0.00	2.00	2.00	3.00
50.	सीतापुरा, जयपुर में 6 बिस्तरों के साथ 5 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	4.00	0.00	2.00	2.00	2.00
51.	नीमराणा में 6 बिस्तरों के साथ 5 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	4.00	0.00	2.00	2.00	2.00
52.	क.रा.बी. औषधालय राजपुरवा, कानपुर	1.84	0.00	0.50	0.50	0.50
53.	क.रा.बी. औषधालय नवाबगंज, कानपुर	1.96	0.00	0.30	0.30	0.10
54.	क.रा.बी. औषधालय मोदी नगर	1.26	0.00	0.13	0.13	0.13
55.	क.रा.बी. औषधालय मिर्ज़ापुर	0.65	0.00	0.10	0.10	0.09
56.	क.रा.बी. औषधालय छिपतोला, आगरा	1.14	0.00	0.20	0.20	0.10
57.	काला अम्ब, हिमाचल प्रदेश में 30 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल (100 बिस्तरों वाले अस्पताल में विस्तार योग्य)	50.00	0.00	5.00	5.00	30.00
58.	काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण	102.77	0.00	10.00	10.00	40.00
59.	शिवमोग्गा, कर्नाटक में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण	97.00	0.00	10.00	10.00	40.00
60.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, बिहटा, पटना में संबंद्ध सेवाओं एवं पीछे वाली सड़क का निर्माण	4.50	0.00	1.50	1.50	3.00
61.	एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा में क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में रैम्प का निर्माण	15.00	0.00	1.00	1.00	14.00

62.	चलापुरम, कोषिकोड, केरल में क.रा.बी.निगम औषधालय, आरडीडी कार्यालय (एनडी) का निर्माण और सबस्टोन	8.00	0.00	1.00	1.00	7.00
63.	तिरूपुर, तमिलनाडु में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण	90.00	0.00	0.00	0.00	30.00
64.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, गुड़गांव, हरियाणा में सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी) एवं अवशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) का निर्माण	1.00	0.00	0.25	0.25	0.75
65.	बहादुरगढ़, हरियाणा में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का (वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी सेवाओं सहित) निर्माण	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00
66.	बावल, हरियाणा में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का (वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी सेवाओं सहित) निर्माण	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00
67.	गया, बिहार में चारदीवारी सहित औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) का वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी सेवाओं सहित निर्माण करने के लिए पीएमसी	5.00	0.00	1.00	1.00	4.00
68.	राजमुन्दरी में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	97.99	0.00	10.00	10.00	40.00
69.	उल्लासनगर में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	102.00	0.00	10.00	10.00	50.00
70.	नागपुर में 200 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	150.00	0.00	20.00	20.00	25.00
71.	सैक्टर-80, नोएडा, फेज-II में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का निर्माण	6.07	0.00	0.25	0.25	5.00
72.	सैक्टर-22, नोएडा, में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का निर्माण	6.00	0.00	0.25	0.25	5.00
73.	ओमपुरा, जम्मू एवं कश्मीर में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	90.00	0.00	10.00	10.00	35.00
74.	बरेली, उत्तर प्रदेश में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	90.00	0.00	10.00	10.00	35.00
75.	मलकापुरम में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का विस्तारण	21.79	3.9	5.00	8.9	12.00
76.	बीकानेर में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	41.15	0.00	4.00	4.00	20.00
77.	पीथमपुरा, मध्य प्रदेश में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	90.00	0.00	9.00	9.00	20.00
78.	गरश्यामनगर, पश्चिम बंगाल में 100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	90.00	0.00	9.00	9.00	20.00
	कुल	**4,805.49**	**20.9**	**476.27**	**497.17**	**1,282.62**
	कुल योग	**17,004.5**	**25.65**	**775.818**	**801.468**	**1,548.80**

क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय - के.के.नगर, राजाजी नगर, सनत नगर, गुलबर्गा, जोका, फरीदाबाद।

राज्य सरकारों को सौंपे गए चिकित्सा महाविद्यालय - परिपल्ली, कोयम्बतूर, मंडी।

क.रा.बी.निगम स्नातकोत्तर संस्थान - बसईदारापुर, अंधेरी, के.के.नगर, राजाजी नगर, माणिकतला (जोका)

क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय - गुलबर्गा, रोहिणी

क.रा.बी.निगम नर्सिंग महाविद्यालय - इंदिरानगर, गुलबर्गा

PERFORMANCE BUDGET

निष्पादन बजट

2021-2022

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नईदिल्ली-110002

PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110002

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

निष्पादन बजट 2020-2021

1. भूमिका

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन की गई है। तथापि, केंद्र सरकार द्वारा समाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम 36) अधिसूचित किया जा चुका है। कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि भी शीघ्र अधिसूचित की जानी अपेक्षित है। संहिता में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आठ अन्य केन्द्रीय अधिनियमन सहित क.रा.बी.अधिनियम, 1948 सम्मिलित है। एक बार अधिसूचित होने पर, देश के पूर्ण क्षेत्र को क.रा.बी.योजना के उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया जाएगा और क.रा.बी.निगम द्वारा कर्मचारियों को हितलाभ उपलब्ध कराए जाने पर, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों द्वारा अंशदान देय होगा। ऐसी तिथि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जानी है।

2. व्याप्ति

वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 उन सभी कारखानों पर लागू होता है जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति वेतन पर नियोजित हों। समुचित सरकार (केन्द्रीय या राज्य) के पास अधिनियम के उपबंधों का स्थापनाओं के अन्य वर्गों-औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा पर विस्तार करने की शक्तियां हैं। इन उपबंधों के अंतर्गत, राज्य सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का दुकानों, पूर्वदर्शन थियेटर सहित सिनेमाओं, होटलों, रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों तथा समाचार पत्र स्थापनाओं पर विस्तार किया है, जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हों। कई राज्य सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का उनके राज्यों में स्थापित चिकित्सा और शिक्षा संस्थानों तक विस्तार किया है। फिलहाल, ₹ 21000 प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी क.रा.बी.योजना के अधीन आते हैं (01.01.2017 से प्रभावी)।

3. मुख्य उद्देश्य :

क.रा.बी. योजना बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवारों को चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराने के अलावा बीमारी, मातृत्व तथा रोजगार चोट के मामले में बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा और नकद हितलाभ तथा रोजगार चोट के कारण हुई मृत्यु के मामले में आश्रितजन हितलाभ भी उपलब्ध कराती है।

कारखानों आदि के बंद होने के कारण हुई बेरोजगारी के दौरान बेरोजगारी भत्ता तथा चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 01.04.2005 से राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक एक नकद हितलाभ योजना शुरू की गई है।

दिनांक 18.09.2018 को आयोजित क.रा.बी.निगम की अपनी 175वीं बैठक में 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' को अनुमोदित करते हुए बीमाकृत व्यक्ति के जीवन काल में बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक औसत प्रतिदिन अर्जन के 25 प्रतिशत की दर को नकद प्रतिकर के रूप में बढ़ाने हेतु, योग्यता शर्तों के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान की है। प्रारंभ में, यह योजना दिनांक 01.07.2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए पेन इंडिया पायलेट के आधार पर आरंभ की गई थी।

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 20.08.2020 को अपनी 182वीं बैठक में छह माह अर्थात् दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2020 तक के लिए योजना का विस्तार करने और बीमाकृत व्यक्ति जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए हेतु, बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक अर्जन के 50% तक राहत की दर बढ़ाई और बीमाकृत व्यक्ति जो दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 के दौरान बेरोजगार हो गए के लिए अन्य पात्रता शर्तें और अर्हक अंशदायी की शिथिल किया।

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 07.12.2020 को अपनी 183वीं बैठक में इन्हीं शिथिल अर्हक शर्तों और वर्धित दर पर अन्य छह माह अर्थात् दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का आगे विस्तार करने का निर्णय किया है।

चूंकि राहत की दर दुगुनी कर दी गई है और योजना की पात्रता शर्तों से भी कोविड-19 महामारी से प्रभावित बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान कराई गई हैं तथा आगे से, योजना के अनुसार नियम एवं शर्तों की छूट पर दिनांक 30.06.2021 तक बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बड़ी संख्या में बीमाकृत व्यक्तियों की भागीदारी बढने की आशा है। दिनांक 17.12.2020 तक योजना के अंतर्गत लगभग 42000 दावाकर्ताओं में पहले ही अपना राहत दावा प्रस्तुत कर दिया है।

जहां कहीं भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यान्वित की गई है, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अधीन अपने दायित्व से दोषमुक्त हो जाते हैं।

4. **प्रशासन :**

यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम नामक निगमित निकाय द्वारा चलाई जाती है। इसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों, चिकित्सा व्यवसाय, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और संसद के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। निगम के सदस्यों में से गठित एक स्थायी समिति कार्यपालक निकाय के रूप में काम करती है। चिकित्सा हितलाभों की व्यवस्था से संबंधित मामलों में निगम को सलाह देने के लिए एक चिकित्सा हितलाभ परिषद् भी है।

5. चिकित्सा सेवाएं :

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत, क.रा.बी.अधिनियम, 1948 की धारा 58 के अनुसार बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, दिल्ली तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में निगम सीधे चिकित्सा देखरेख उपलब्ध करा रहा है।

निगम ने आंचलिक आधार पर बसईदारापुर (दिल्ली), ठाकुरपुकुर (पश्चिम बंगाल), के.के. नगर (चेन्नै), इंदौर (मध्य प्रदेश) और अंधेरी (मुंबई) में व्यावसायिक रोग केन्द्रों की स्थापना की है। व्यावसायिक रोग केन्द्रों के संचालन पर होने वाला समस्त व्यय क.रा.बी. निगम द्वारा ही वहन किया जाता है।

निगम ने अधिकतर राज्यों में आदर्श अस्पताल भी स्थापित किए हैं/एक अथवा अधिक अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेकर सीधे चला रहा है। आदर्श अस्पताल राज्यों में अन्य क.रा.बी. योजना अस्पतालों के उन्नयन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। आगे, राज्य सरकारें भी इससे लाभान्वित होंगी, क्योंकि इन अस्पतालों को चलाने के लिए पूरा व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है, जो क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख सेवाओं की लागत के लिए राज्य सरकार को भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त होता है। निगम ने योजना के लाभार्थियों

को निगम अस्पतालों में ही दिया जाने वाला इन-हाउस अति विशिष्टता उपचार उपलब्ध कराने के लिए सनत नगर, हैदराबाद में अति विशिष्टता अस्पताल का निर्माण किया है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में निगम के 48 आदर्श/क.रा.बी. निगम अस्पताल (व्यावसायिक रोग केंद्रों सहित) हैं, जिनकी सूची निम्नवत् है :-

आदर्श/क.रा.बी.अस्पताल (ओडीसी सहित)			
क्र.सं.	अस्पताल का नाम	राज्य	बिस्तरों की संख्या
1	बेलतला	असम	75
2	आश्रमम	केरल	200
3	राऊरकेला	ओड़िशा	50
4	लुधियाना	पंजाब	262
5	राजाजीनगर	कर्नाटक	500
6	बापू नगर	गुजरात	264
7	सनतनगर	तेलंगाना	200
8	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	50
9	नामकुम	झारखण्ड	50
10	फुलवारीशरीफ	बिहार	50
11	चंडीगढ़	चंडीगढ़	60
12	नोएडा	उत्तर प्रदेश	300
13	जोका व्यावसायिक रोग केन्द्र	पश्चिम बंगाल	470
14	नंदा नगर व्यावसायिक रोग केन्द्र	मध्य प्रदेश	300
15	के.के. नगर व्यावसायिक रोग केन्द्र	तमिलनाडु	340
16	ओखला	दिल्ली	251
17	झिलमिल	दिल्ली	300
18	रोहिणी	दिल्ली	300
19	बसईदारापुर व्यावसायिक रोग केन्द्र	दिल्ली	600
20	अंधेरी व्यावसायिक रोग केन्द्र	महाराष्ट्र	150
21	आदित्यपुर	झारखण्ड	50
22	उद्योगमंडल	केरल	100
23	नरोड़ा	गुजरात	50
24	एषुकोण	केरल	150
25	सनतनगर अति विशिष्टता उपचार	तेलंगाना	470
26	गुरूग्राम	हरियाणा	150
27	जयपुर	राजस्थान	270
28	भिवाड़ी	राजस्थान	50
29	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	100
30	बद्दी	हिमाचल प्रदेश	100
31	मानेसर	हरियाणा	100
32	पीण्या	कर्नाटक	100
33	वापी	गुजरात	50
34	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	100
35	फरीदाबाद	हरियाणा	510
36	जाजमउ	उत्तर प्रदेश	50
37	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	150
38	साहिबाबाद	उत्तर प्रदेश	58

39	**सरोजनी नगर**	**उत्तर प्रदेश**	75
40	**अंकलेश्वर**	**गुजरात**	100
41	**बिबवेवाडी**	**महाराष्ट्र**	100
42	**अलवर**	**राजस्थान**	45
43	**बरेली**	**उत्तर प्रदेश**	50
44	**रूद्रपुर**	**उत्तराखंड**	59
45.	**कोरबा**	**छत्तीसगढ़**	50
46.	**रायपुर**	**छत्तीसगढ़**	50
47.	**उदयपुर**	**राजस्थान**	50
48.	**बिहटा**	**पटना**	100

राज्य सरकारों को भुगतान :

दिनांक 07.08.2015 को आयोजित क.रा.बी.निगम की अपनी 166वीं बैठक में लाभार्थियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों का जायजा लिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अति विशिष्टता उपचार पर व्यय का वहन सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा।

आगे, दिनांक 15.12.2016 को आयोजित अपनी 170वीं बैठक में क.रा.बी. निगम ने निम्नलिखित पर निर्णय किया है :-

1. प्रशासन के लिए ₹ 1,250/- तथा अन्य के लिए ₹ 1,750/- की उप उच्चतम सीमा सहित ₹ 2,150/- से ₹ 3,000/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति को धारा 58(3) के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ व्यय बांटने की प्रति व्यक्ति की उच्चतम सीमा में वृद्धि।
2. वर्ष 2018-2019 से प्रशासनिक उप उच्चतम सीमा ₹ 3,000/- प्रति व्यक्ति की संपूर्ण उच्चतम सीमा के भीतर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के समान बढ़ाई जाएगी।
3. ₹ 3,000/- की उच्चतम सीमा राज्यों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधार पर 2020-2021 से वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।
4. राज्य सरकार निगम के बजट में अपने समावेशन के लिए अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक, समय-समय पर क.रा.बी. निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) प्रस्तुत करेगी। पीआइपी में अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव तथा चालू वर्ष के प्रथम छह माह के दौरान की गई प्रगति शामिल होगी।

i) कोई भी योजना, जो क.रा.बी. निगम द्वारा विधिवत अनुमोदित नहीं की गई है, शामिल नहीं की जाएगी।
ii) यदि ऐसी किसी योजना प्रस्तावित की जाती है, जो किसी वर्ष के प्राक्कलन में शामिल नहीं किया गया है, तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान, क्या इसे प्रस्तावित करना चाहिए, उसके वित्त पोषण की विधि के लिए क.रा.बी. निगम की मंजूरी लेनी होगी।
iii) किसी भी मद पर व्यय के लिए निधि विनियोजित नहीं की जाएगी जिसे अनुमोदित नहीं किया गया है।
iv) महानिदेशक, क.रा.बी. निगम को निधि विनियोजन एक प्राथमिक इकाई से अन्य में करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

निधियों को दिनांक 19 अप्रैल 2016 को जारी पत्र सं. वी-24/11/10/2001-चि.। के अनुसार तिमाही आधार पर रु. 2150/- की वर्तमान उच्चतम सीमा के अनुसार जारी किया जा रहा है। तथापि, संबंधित वर्ष के लिए पीआइपी परिशोधित उच्चतम सीमा के अनुसार निधि जारी करने के लिए राज्य द्वारा क.रा.बी. निगम को तक प्रस्तुत किया जाना है।

पूर्व में, निगम ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया था कि दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान 70% अथवा अधिक अधिभोग दर्ज (रजिस्टर) करने वाले सभी क.रा.बी. योजना अस्पतालों के राज्यों के लिए उच्चतम सीमा राशि से ऊपर ₹ 200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति के अतिरिक्त प्रोत्साहन का वहन क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा।

आगे, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण चुनौतीपूर्ण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष, क.रा.बी.निगम ने लाभार्थियों को निवारक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्तमान उच्चतम सीमा से ऊपर ₹ 20/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार प्रतिवर्ष के पृथक बजटीय प्रावधान के पुन: संचालन के लिए अनुमोदन किया ताकि वैश्विक महामारी मुकाबला किया जा सके।

निगम अब निर्धारित उच्चतम सीमा तक राज्य सरकार को 100% व्यय प्रावधान कर रहा है, राशि का 90% भुगतान अग्रिम रूप में किया जा रहा है तथा बकाया 10% का भुगतान संबंधित राज्य महालेखाकार से 'लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्राप्ति' पर किया जा रहा है। यह निर्णय किया गया है कि उन राज्यों में जहां राज्य क.रा.बी.निगम/सोसायटी स्थापित है वहां क.रा.बी.निगम उच्चतम सीमा तक व्यय का 100% वहन करेगा।

तदनुसार, परिशोधित प्राक्कलन 2020-21 और बजट प्राक्कलन 2021-2022 के लिए क्रमश: ₹ 4582.81 करोड़ तथा ₹ 4836.29 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।

6. वित्त : अंशदान का युक्तिकरण

क.रा.बी.योजना का वित्त पोषण नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से होता है। नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों द्वारा अंशदान की दर को केंद्रीय सरकार द्वारा क.रा.बी.(केंद्रीय) विनियमावली 1950 के नियम 51 में संशोधन की अधिसूचना द्वारा दिनांक 1.7.19 से क्रमश: 3.25% एवं 0.75% के परिशोधित किया गया। ₹ 176/- प्रतिदिन तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दिनांक 06.09.2019 से प्रभावी अंशदान के कर्मचारी के भाग का भुगतान करना आवश्यक नहीं है।

निगम को केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। नियोक्ता तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 10 (25)(क) के तहत कर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

7. योजना का विस्तार

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, यह अपेक्षित है कि वर्तमान में चल रहे कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण 4.86 लाख कर्मचारियों की कमी होगी। तथापि, वर्ष 2021-2022 के बजट प्राक्कलन में व्याप्त किए जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 5.75 लाख है। व्याप्त कर्मचारियों की संख्या और चिकित्सा देखरेख के लिए हकदार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या को पैरा 7.2 पर प्रस्तुत विवरण में तालिकाबद्ध किया गया है।

दिनांक 31.3.2021 को कर्मचारियों की संख्या 305.36 लाख अनुमानित है, जबकि इसकी तुलना में दिनांक 31.3.2020 को कर्मचारियों की संख्या 309.66 लाख थी। दिनांक 31.03.2022 को तदनुरूपी संख्या 311.10 लाख होने का अनुमान है। चिकित्सा हितलाभ के लिए लाभार्थियों की कुल संख्या (बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवार के सदस्य) परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में 1,293.66 लाख तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 में 1,323.41 लाख होने का अनुमान है।

7.1 निष्पादन और सुपुर्द कार्य से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ें निम्नानुसार समाविष्ट है :-

क्र. सं.	सूचना का स्वरूप	वास्तविक 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
1.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	309.66	305.36	311.10
2.	चिकित्सा देखरेख के हकदार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	341.44	333.41	341.08
3.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन पर चिकित्सा देखरेख का विस्तार किया गया है (लाखों में)			
	क. बीमाकृत व्यक्तियों को छोड़कर	983.35	960.24	982.32
	ख. बीमाकृत व्यक्तियों को मिलाकर	1,324.79	1,293.66	1,323.41
4.	(क) निर्मित अस्पतालों की संख्या			
	सामान्य	149	151	155
	क्षय रोग (टीबी)	08	08	08
	(ख) अनैक्सियों की संख्या			
	सामान्य	27	27	27
	क्षय रोग (टीबी)	15	15	15
	कुल (क) तथा (ख)	**199**	**201**	**215**
5.	बिस्तरों की संख्या (सरकारी तथा अन्य मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित)			
	सामान्य + क्षय रोग	25,359	25,709	26,489
	क्षय रोग	2,050	2,050	2,050
	अनैक्सियों/सामान्य में	520	520	520
	क्षय रोग (टीबी)	329	329	329
	कुल (क)	**28,258**	**28,608**	**29,388**
6.	निर्माणाधीन बिस्तरों की संख्या :	700	2410	4305
7.	उपचार किए गए रोगियों की संख्या :			
	क. क.रा.बी.निगम अस्पतालों में दाखिल किए गए रोगियों की संख्या (लाख में)	33.52	35.87	38.38
	ख. औषधालयों में परिचर्या (बीमाकृत व्यक्ति और परिवार सदस्य दोनों) (लाख में)			
	i. नए मामले	182.29	195.05	208.71
	ii. पुराने मामले	149.87	160.36	171.58
8.	नकद हितलाभ के पात्र कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)			
9.	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त कर रहे आश्रितजनों की संख्या	1,28,572	1,37,229	1,46,813
10.	राजस्व प्राप्तियाँ (₹ लाखों में)	22,16,191.05	18,61,561.00	20,33,914.00
11.	राजस्व व्यय (₹ लाखों में)	12,96,532.76	15,04,869.40	17,71,018.82
12.	कार्यालयों, औषधालयों, अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण पर पूंजीगत व्यय ₹ लाखों में)	57,760.46	80,146.80	1,54,880.00

(क) वर्ष 2019-2020 के वास्तविक आंकड़ों व 2019-2020 के परिशोधित प्राक्कलन में अन्तर

	सूचना का स्वरूप	परिशोधित प्राक्कलन 2019-2020	वास्तविक 2019-2020	अन्तर (परिशोधित प्राक्कलन में से वास्तविक)	
1.	2.	3.	4.		5.
1.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	316.87	309.66		-7.21
2.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन तक चिकित्सा देखरेख का विस्तार किया गया है। (लाखों में)	1,381.82	1,324.79		-57.03
3.	राजस्व आय (₹ लाख में)	23,19,731.05	22,16,191.05		
4.	राजस्व व्यय (₹ लाख में)	15,39,493.00	12,96,532.76		-2,42,960.24
5.	पूंजीगत व्यय (स्टाफ क्वार्टरों सहित) (₹ लाख में)	1,08,659.00	57,760.46		-50,898.54

नोट : 1. कर्मचारियों की संख्या में परि. प्राक. वर्ष 2019-2020 (316.87 लाख) की तुलना में वर्ष 2019-2020 में 309.66 लाख तक की गिरावट हुई है।

2. राजस्व व्यय में बचत मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा हितलाभ मद के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल की संपूर्ण उच्चतम सीमा तक राशि का पूरा उपयोग नहीं किए जाने के कारण है।

3. पूंजीगत व्यय में बचत मुख्य रूप से अस्पतालों एवं औषधालयों के निर्माण तथा नवीयन हेतु अनुमानित व्यय से कम व्यय के कारण है।

(ख) 2020-2021 वर्ष के परिशोधित प्राक्कलन और 2020-2021 के मूल बजट प्राक्कलन में अन्तरः-

क्र.सं.	सूचना का स्वरूप	बजट प्राक्कलन 2020-2021	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	अन्तर (बजट प्राक्कलन और परिशोधित प्राक्कलन में) (4) - (3)	
1.	2.	3.	4.		5.
1.	क. व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	319.76	305.36		-14.4
	ख. बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	362.27	333.41		-28.86
2.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिनका चिकित्सा देखरेख विस्तारित किया गया (लाख में)	1,407.38	1,293.66		-113.72
2.	राजस्व आय (₹ लाख में)	24,78,881.00	18,61,561.00		-6,17,320
3.	राजस्व व्यय (₹ लाख में)	15,84,859.00	15,04,869.40		-79,989.6
4.	पूंजीगत व्यय (₹ लाख में)	1,44,519.00	80,146.80		-64,372.2

टिप्पणी :

1. वर्ष 2018-19 से 2019-2020 तक कर्मचारियों की संख्या में वास्तविक वृद्धि के आधार पर, परिशोधित प्राक्कलन 2020-21 में कर्मचारियों की संख्या में अनुमानित (प्रोजेक्टिड) वृद्धि को सीमित (मॉडरेट) किया गया है।
2. राजस्व प्राप्तियों में कमी अंशदानों की दर के युक्तिकरण के कारण है और वर्तमान में चल रहे कोविड-19 महामारी का प्रभाव है।
3. राजस्व व्यय में बचत मुख्यत: आयुष्मान भारत औषधालय-सह-शाखा कार्यालय योजना (व्यय) के अंतर्गत अनुमानित खर्च में कमी के कारण है।
4. पूंजीगत व्यय में बचत अस्पतालों एवं औषधालयों के निर्माण और नवीयन हेतु अनुमानित व्यय से कमतर व्यय के कारण है।

ध्यान दें :- सूचना में निर्मित अस्पतालों एवं अनैक्सियों की संख्या अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या तथा किराये के परिसर में औषधालयों की संख्या शामिल नहीं है।

8. 2020-2021 के चालू वित्तीय वर्ष तथा 2021-2022 के अगले वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वित्तीय आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं। (क) कार्यक्रम/कार्यकलापवार (ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण और उनके वित्त स्रोत का विवरण नीचे के पैराओं में दिया गया है :-

(क) कार्यक्रम/कार्यकलाप-वार

वर्गीकरण	वास्तविक **2019-2020**	परिशोधित प्राक्कलन **2020-2021**	बजट प्राक्कलन **2021-2022**
			(₹ लाख में)
कार्यकलाप व्यय :			
चिकित्सा हितलाभ	9,36,829.88	11,24,433.29 (ठ)	13,20,630.22 (ठ.ठ.)
नकद हितलाभ	1,86,721.00	2,27,600.00 (ड)	2,47,400.00 (ड)
अन्य हितलाभ	212.04	263.00	278.00
प्रशासनिक व्यय	1,72,769.83	1,50,773.11 (ढ)	1,83,010.60
गैर-कार्यकलाप व्यय :			
आबंटन :			
पूंजीगत निर्माण निधि में	0.00	0.00 (ण)	0.00 (ण)
आकस्मिकता आरक्षित निधि में	0.00	0.00 (ण.ण.)	0.00 (ण.ण.)
कुल राजस्व व्यय	**12,96,532.76**	**15,03,069.40**	**17,51,318.82**
भूमि के अर्जन पर पूंजीगत व्यय तथा कार्यालयों, औषधालयों तथा अस्पतालों का निर्माण	**57,760.46**	**80,146.80**	**1,54,880.00**

(ठ)	निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं :-	(₹ करोड़ में)
1	राज्य सरकारों को पूर्व देयता के निमित्त	0.00
2	क.रा.बी. निगम अस्पतालों/औषधालयों के निमित्त	3,884.07
3	अति विशिष्टता उपचार के निमित्त	1,522.01
4	सूचना प्रौद्योगिकी के सूत्रपात पर व्यय	53.00
5	आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय	17.00
6	एस.ए.पी.	0.35
7	चिकित्सा महाविद्यालय	456.41

(ठठ) निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं : (₹ करोड़ में)

1	राज्य सरकारों को पूर्व देयता के निमित्त	0.00
2	क.रा.बी. निगम अस्पतालों/औषधालयों के निमित्त	4,350.46
3	अति विशिष्टता उपचार के निमित्त	1,642.15
4	सूचना प्रौद्योगिकी के सूत्रपात पर व्यय	59.00
5	आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय	333.00
6	एस.ए.पी.	0.26
7	चिकित्सा महाविद्यालय	611.42

(ड) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए ₹ 11.00 करोड़ शामिल हैं।

(ढ) भर्ती खर्चों के लिए ₹ 2.00 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

(ण) निगम के निर्णय के अनुसार अगले पांच वर्षों में आगे कोई अतिरिक्त परिवर्धन नहीं किया जाएगा।

(ण.ण.) आकस्मिकता आरक्षित निधि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निधि में शेष ₹ 75.00 करोड़ की राशि निर्धारित अधिकतम सीमा तक पहले ही पहुँच चुकी है।

(ख) वस्तुवार वर्गीकरण

	वास्तविक 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
			(₹ लाख में)
निम्नलिखित व्यवस्था पर व्यय :			
1. लाभार्थियों को चिकित्सा देखरेख	9,36,829.88	11,24,433.29	13,20,630.22
2. नकद हितलाभ	1,86,721.01	2,27,600.00	2,47,400.00
3. अन्य हितलाभ	212.04	263.00	278.00
4. वेतन तथा अन्य प्रशासनिक व्यय :			
i. वेतन (यात्रा व्यय तथा बोनस सहित)	68,399.96	77,765.00	92,682.50
ii. लेखन सामग्री तथा फॉर्म	673.04	400.00	700.00
iii. जल तथा विद्युत प्रभार	2,171.55	2,500.00	2,840.00
iv. किराया, पौरकर तथा कर	3,944.34	4,400.00	4,600.00
v. बीमा न्यायालय तथा विधिक प्रभार	418.45	320.00	865.00
vi. भर्ती तथा परीक्षा	358.67	200.00	5,800.00
vii. विज्ञापन तथा प्रचार	1,344.97	1,500.00	3,000.00
viii कम्प्यूटर तथा अन्य की खरीद और मरम्मत एवं रखरखाव	4,716.14	6,315.00	7,000.00
ix. बैंक खाता रखरखाव प्रभार	1,019.76	1,200.00	1,300.00
x. लेखापरीक्षा शुल्क	5.96	200.00	200.00
xi. प्रशिक्षण	364.25	50.00	300.00
xii. टेलीफोन/डाक खर्च तथा श्रेणी 'घ' कर्मचारियों की वर्दी सहित अन्य कार्यालयी व्यय	760.28	750.00	800.00
xiii विविध/अन्य	12,636.31	12,540.00	14,785.00
xiv आई.एस.एस.ए. आदि को अंशदान	76.02	95.00	96.00
xv. कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत एवं रखरखाव	3,739.89	7,507.00	9,707.00
xvi मूल्यह्रास	3,860.61	6,977.10	8,983.37
xvii. सेवानिवृत्ति हितलाभ	68,279.63	28,054.01	29,351.73
1. 5. पूंजीगत निर्माण निधि के लिए आबंटन	0.00	0.00	0.00
कुल राजस्व व्यय :	**12,96,532.76**	**15,03,069.40**	**17,51,318.82**

पूंजीगत व्यय :	वास्तविक 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
क. कार्यालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	551.99	2278.50	2633.00
ख. अस्पताल तथा औषधालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	43,987.22	57,120.30	1,37,447.00
ग. चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	13,221.25	20,748.00	14,800.00
घ. अन्य परिसंपत्तियां (अन्य गैर परियोजना व्यय)	20,421.79	30,170.00	31,668.00
6. वितीय स्रोत : राजस्व प्राप्तियां			
कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं का अंशदान	16,74,455.83	12,50,000.00	13,75,000.00
निवेश ऋणों तथा अग्रिमों आदि पर ब्याज़	5,29,818.55	5,97,526.00	6,44,874.00
भवनों का किराया	546.77	535.00	540.00
अन्य राजस्व प्राप्तियां	11,369.90	13,500.00	13,500.00
कुल राजस्व :	**22,16,191.05**	**18,61,561.00**	**20,33,914.00**

9. अनुबंध-II का विवरण व्यय के प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति व्यय की घटना दर को दर्शाता है।

9.1.निगम के व्यय को मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है :-

i. चिकित्सा हितलाभ

ii. नकद हितलाभ तथा अन्य हितलाभ

iii. निदेशन, अधीक्षण तथा फील्ड कार्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय

iv. पूंजीगत व्यय जिसमें निर्माण कार्य शामिल हैं

9.2. निगम के व्यय को विनियमित करने के लिए अंतर्निहित प्रतिमानक, उच्चतम सीमाएं तथा सांविधिक नियम हैं।

आगे का विवरण निम्नलिखित पैरा में दिया गया है :-

I - चिकित्सा हितलाभ

10. चिकित्सा हितलाभ पर व्यय नीचे दिखाया गया है :

वास्तविक 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
		(₹ लाख में)
9,36,829.88	11,24,433.29	13,20,630.22

इस गतिविधि पर होने वाला व्यय (दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र को छोड़कर) प्रारंभ में राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा देखरेख के प्रशासनिक नियंत्रक हैं। व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एक उच्चतम सीमा नियत की गई है। निगम राज्य सरकारों को उच्चतम सीमा के 7/8 वें अंश का 90% के अनुसार तिमाही आधार पर अग्रिम रूप में तथा शेष राशि संबंधित महालेखाकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी लेखा परीक्षित व्यय विवरण के आधार पर अदा करता है। इन उच्चतम सीमा से अधिक होने वाला व्यय को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है तथा इस अधिक व्यय को निगम के बजट में दर्शाया नहीं जाता । दिनांक 01.04.2015 से पूर्ण चिकित्सा देखरेख पर व्यय की उच्चतम सीमा ₹2,150/- कर दी गई है। इसे दिनांक 01.04.2017 से दोबारा बढ़ाकर ₹3,000/- कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बसईदारापुर (दिल्ली), ठाकुरपुकुर (पश्चिम बंगाल), के.के.नगर (चेन्नै), इन्दौर (म.प्र.) तथा अंधेरी (मुंबई), जहां व्यावसायिक रोग हैं, का सम्पूर्ण व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है।

साथ ही, क.रा.बी.निगम ने आदर्श अस्पतालों की एक योजना बनाई है जिसके तहत चिकित्सा देखरेख सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक अस्पताल अपने नियंत्रण में लेकर उसका प्रशासन सीधे निगम द्वारा चलाया जाएगा। इन आदर्श अस्पतालों को चलाने का सारा खर्च भी पूर्णतः क.रा.बी.निगम द्वारा वहन किया जाता है। अब तक क.रा.बी.निगम ने निष्पादन बजट के पैरा 4 में उल्लिखित अस्पतालों को अपने अधीन ले लिया है/निर्माण किया है। अति विशिष्ट उपचार हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में ₹1,522 करोड़ तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 में ₹1,642 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

क.रा.बी. निगम ने अपनी 174 वीं बैठक में प्राथमिक देखरेख सेवा हेतु क.रा.बी.निगम की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए प्रत्येक जिले में, चाहे वह जिला आंशिक रूप से व्याप्त हो अथवा पूर्णतः या उस क्षेत्र में राज्य सरकार का संचालित कोई औषधालय हो, एक औषधालय-सह-शाखा कार्यालय की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया है | औषधालय-सह-शाखा कार्यालय को कार्यान्वित करने के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 में क्रमशः ₹30.00 करोड़ तथा ₹50.00 करोड़ रुपए का नियतन किया गया है |

परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021 में ₹456.41 करोड़ तथा बजट प्राक्कलन 2021-2022 में ₹611.42 करोड़ की राशि चिकित्सा शिक्षा पर व्यय के लिए रखी गई है।

क.रा.बी.निगम में समग्र रूप से हो रहे कम्प्यूटरीकरण के कारण अस्पतालों एवं औषधालयों में आईटी रोल आउट के लिए बजट प्राक्कलन 2021-2022 में ₹59 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

II -क - नकद हितलाभ

11 नकद हितलाभों पर अनुमानित व्यय नीचे दिया गया है :

वास्तविक 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
		(₹ लाख में)
1,86,721.01	2,27,600.00	2,47,400.00

12. रोजगार चोट के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के नकद हितलाभों की पात्रता, किसी एक अंशदान अवधि में दिनों की संख्या पर आधारित है जिनके लिए कर्मचारियों द्वारा अंशदान का भुगतान किया गया हो/देय हो । बीमारी हितलाभ की वर्तमान दैनिक दर को औसत दैनिक मजदूरी को 60% से बढ़ाकर इसका लगभग 70% तथा नि:शक्तता और आश्रितजन हितलाभ की दैनिक दर को 75% से बढ़ाकर मजदूरी का लगभग 90% कर दिया गया है। बीमाकृत महिलाओं को देय मातृत्व हितलाभ पूर्ण मजदूरी दर है और इसे जनवरी 2017 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जा चुका है।

13. पिछले दस वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:

1. निर्वाह मूल्यों में वृद्धि के चलते बीमाकृत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के लिए स्थायी नि:शक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ की राशि को समय-समय पर परिशोधित किया जाता है | मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप इनके वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई हेतु दिनांक 01.08.2018 से स्थायी नि:शक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ की मूल दरों में 10% से 6425% (पिछली बढ़ोत्तरी सहित) तक वृद्धि की जा चुकी है।
2. स्थायी नि:शक्तता हितलाभ प्राप्त कर रहे बीमाकृत व्यक्ति उक्त आवधिक भुगतान को संराशिकृत कर सकते हैं अगर इन भुगतानों की दैनिक दर ₹ 1.50/- प्रतिदिन तक हो अथवा स्थायी नि:शक्तता का अंतिम निर्णय करते समय संराशिकृत मूल्य ₹ 10000/- से अधिक न हो | दिनांक 19.04.2003 से इस सीमा को बढ़ाकर ₹ 5.00/- प्रतिदिन अथवा ₹ 30,000/- तक कुल संराशीकृत मूल्य कर दिया गया है। आगे, दिनांक 01.06.2013 से इसे ₹ 10.00/- प्रतिदिन अथवा संराशीकृत मूल्य ₹ 60,000/- तक दोबारा बढ़ा दिया गया है।
3. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि खर्च का भुगतान किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ राशि को दिनांक 18.09.2018 से ₹ 15000/- कर दिया गया है।
4. बेरोजगार हुए कर्मचारियों को नकद भत्ता देने के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना हेतु वर्ष 2021-2022 के बजट प्राक्कलन में ₹ 11.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट देते हुए बीमायोग्य रोज़गार को 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया है। हितलाभ की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है। प्रथम 12 महीनों के लिए हितलाभ की दर पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 50% तथा शेष अवधि के लिए पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 25% की गई है |
5. विस्तारित बीमारी हितलाभ (ईएसबी) की वर्तमान कुल अवधि को 400 दिन (91 + 309) से बढ़ाकर अधिकतम दो वर्ष करना और पात्र मामलों में 400 दिनों के बाद भी विस्तारित बीमारी हितलाभ स्वीकृत करने की शक्तियां महानिदेशक को प्रत्यायोजित करना ।

6. प्रसव के दौरान अपने पीछे जीवित शिशु को छोड़कर जानेवाली किसी बीमाकृत महिला की मुत्यु के मामले में मातृत्व हितलाभ की मौजूदा छह सप्ताह की पात्रता अवधि को बढ़ाकर मातृत्व हितलाभ की पात्रता की पूर्ण अवधि करना।
7. जब प्रसव किसी ऐसे स्थान पर हुआ हो जहां क.रा.बी. योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न हों तो बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसव खर्च (जो अब प्रसूति खर्च कहलाता है) पर मिलने वाले चिकित्सा बोनस की दर को ₹50/- से बढ़ाकर ₹250/- प्रति मामला बढ़ाना। निगम ने दिनांक 13.02.2020 को आयोजित अपनी 181वीं बैठक में प्रसूति खर्च की मौजूदा राशि को दिनांक 27.10.2020 से ₹5,000 से बढ़ाकर ₹7,500 कर दिया है।
8. दिव्यांग बीमाकृत व्यक्ति को कृत्रिम अंग केन्द्र में ठहरने तथा कृत्रिम अंग लगवाने/मरम्मत अथवा बदलवाने के लिए पुनर्वास भत्ते की दर को बढ़ाकर दैनिक मानक हितलाभ दर का दोगुना करना।
9. जिन बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना अपेक्षित होता है उनकी मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति दर को बढ़ाकर दैनिक मानक हितलाभ दर का दोगुना करना।
10. कर्मचारी के भाग के अंशदान की अदायगी के लिए औसत दैनिक मजदूरी छूट सीमा को दिनांक 06.09.2019 से यह राशि बढ़ाकर ₹137/- प्रतिदिन से ₹176/- प्रतिदिन करना|
11. बीमारी हितलाभ की हकदारी के लिए पात्रता शर्तों का उदारीकरण और मातृत्व हितलाभ की हकदारी के लिए पात्रता शर्तों का उदारीकरण करना।
12. लाभार्थियों की कठिनाइयों को कम करने हेतु जीवन प्रमाण-पत्र छमाही के बजाए वर्ष में एक बार लेना प्रारंभ किया गया है तथा क.रा.बी. निगम संस्थाओं में यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी ₹100/- का भुगतान किए जाने का निर्णय भी लिया गया है।

    बीमाकृत व्यक्तियों/ लाभार्थियों को नकद हितलाभ का संवितरण निगम द्वारा सीधे अपने शाखा/ भुगतान कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है जो लगभग उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ योजना कार्यान्वित की गई है । दिनांक 31.03.2019 को प्रदत्त संख्या 822 की तुलना में अब 31 मार्च, 2020 को इन कार्यालयों की संख्या 833 हो गई थी | नकद हितलाभों पर व्यय-भार अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसे स्वास्थ्य की स्थिति, औद्योगिक शांति और हितलाभों की अपनी हकदारी के प्रति कामगारों की जागरुकता आदि ।

14. नकद हितलाभों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत व्यय का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

	वास्तविक 2019-2020		**परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021**		**बजट प्राक्कलन 2021-2022**	
	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (₹ लाख में)	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (₹ लाख में)	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (₹ लाख में)
बीमारी हितलाभ	311.84	39,698.04	307.51	40,000.00	308.23	52,500.00
विस्तारित बीमारी हितलाभ	311.84	5,437.09	307.51	7,000.00	307.51	7,300.00
मातृत्व हितलाभ	311.84	38,361.86	307.51	50,500.00	307.51	53,000.00

अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ	311.84	9,291.09	307.51	11,000.00	307.51	12,800.00
स्थायी नि:शक्तता हितलाभ	311.84	50,244.79	307.51	54,500.00	307.51	57,200.00
आश्रितजन हितलाभ	311.84	40,352.93	307.51	45,200.00	307.51	47,500.00
अंत्येष्टि खर्च	311.84	2,379.68	307.51	3,300.00	307.51	3,500.00
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	311.84	950.98	307.51	1,100.00	307.51	1,100.00
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	311.84	4.55	307.51	15,000.00	307.51	12,500.00
योग :	**311.84**	**1,86,721.01**	**307.51**	**2,27,600.00**	**307.51**	**2,47,400.00**

15. क.रा.बी.निगम ने दिनांक 18.09.2018 को अपनी 175वीं बैठक में 'अटल बीमित कल्याण योजना' के तहत बीमाकृत व्यक्ति के जीवन भार में एक बार बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों की अदायगी तक औसत प्रतिदिन कमाई का 25 प्रतिशत को बढ़ाते हुए नकद प्रतिकर के रूप में अर्हक शर्तों के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों के राहत प्रदान की जा रही है। प्रारंभ में, यह योजना दिनांक 01.07.2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए पेन इंडिया पायलेट के आधार पर आरंभ की गई थी। क.रा.बी.निगम ने दिनांक 20.08.2020 को अपनी 182वीं बैठक में योजना को छ: माह अर्थात 01.07.2020 से 31.12.2020 तक बढ़ाने के लिए तथा बीमाकृत व्यक्तियों जो कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए है को हितलाभ प्रदान करने हेतु बीमाकृत व्यक्ति के औसत दैनिक उपार्जन के 50% तक राहत दर को बढ़ाया है तथा बीमाकृत व्यक्तियों जो दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 के दौरान बेरोजगार हुए है के लिए अंशदायी अर्हता एवं अन्य पात्रता शर्तों में शिथिलता दी है।

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 07.12.2020 की अपनी 183वीं बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को अगले छ: माह अर्थात दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 30.06.2021 तक उसी वृद्धि दर एवं अर्हक शर्तों में शिथिलता के साथ आगे और बढ़ाने का निर्णय लिया है। चूंकि राहत की दर को दुगुना कर दिया गया है और योजना की पात्रता शर्तों कोविड-19 महामारी के प्रभाव की वजह से बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने में छूट भी दी गई है तथा इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारी मात्रा में बीमाकृत व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाने की आशा के चलते इस योजना को निबंधन एवं शर्तों में दी गई छूट को दिनांक 30.06.2021 तक बढ़ा दिया गया है।

II (ख) अन्य हितलाभ :

अन्य हितलाभों पर व्यय निम्न प्रकार है :-

वास्तविक 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
		(₹ लाख में)
212.04	263.00	278.00

इस गतिविधि में चिकित्सा बोर्ड तथा अपीलीय चिकित्सा न्यायाधिकरण के सदस्यों को शुल्क की अदायगी, बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा निर्देशी, चिकित्सा बोर्ड या अपीलीय चिकित्सा न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में होने वाली मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति, सवारी खर्च व पुनर्वास भत्ते का भुगतान शामिल है। उक्त राशि में वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति हेतु ₹ 100/- प्रति लाभार्थी वाहन भत्ते का भुगतान भी शामिल है।

III. निदेशन, अधीक्षण तथा फील्ड कार्य :

16. इस शीर्ष के अंतर्गत निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि तथा स्थापना पर अन्य खर्चों के लिए बजट प्रावधान है। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निगम के कर्मचारियों को वर्धित दर पर वेतन के भुगतान हेतु वर्ष 2021-2022 के बजट प्राक्कलन में यह प्रावधान किया गया है। यह दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 20,254 की कुल संस्वीकृत संख्या की तुलना में 20,092 तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या पर आधारित है। नए क्षेत्रों में योजना के विस्तार के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों की आवश्यकता को वर्तमान कर्मचारियों की पुनः तैनाती करके पूर्ण किया जाएगा ।

ये प्रावधान इस प्रयोजन के लिए निगम द्वारा दिनांक 08.02.2013 को हुई अपनी बैठक में निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार संबंधित आरक्षित निधियों में अंतरित/अंतरणयोग्य राशियों के सूचक हैं। यह खर्च, मरम्मत व रखरखाव के अलावा, जो राजस्व खाते में दर्ज होता है, सम्बंधित आरक्षित निधि से किया जाता है।

IV सूचना और सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

17. क.रा.बी.निगम की ई-गवर्नेंस परियोजना 'पंचदीप' ने अपने प्रचालन के अब 10 वर्ष पूरे कर लिए है। पणधारियों द्वारा आसानी से कारोबार करने के लिए निम्नलिखित मूल्य वर्धित प्रावधान किए गए हैं :

(i) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) को सरल और आसान बनाया गया है। अब लाभार्थियों को अपने दावे के आवेदनों के विधिमान्यकरण के लिए पूर्व नियोजकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें दावा दस्तावेजों को जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से क.रा.बी.निगम के किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उन्हें 'स्व-घोषणा', 'स्व-सत्यापन', 'ऑनलाइन-अपलोडिंग' के साधनों से भी सशक्त बनाया गया है। इस प्रकार नोटरी द्वारा गैर-न्यायिक स्टांप पेपरों, प्रमाणन और प्रत्यक्ष उपस्थिति वाली पहले की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। प्रक्रिया में इन छोटे बदलावों ने न केवल लाभार्थियों के आर्थिक व्ययों को बल्कि कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति में अकारण होने वाली परेशानियों से भी उन्हें बचाया। पात्रता की शर्तों में बहुत अधिक ढील दी गई है ताकि राष्ट्रीय आपदा के इन मुश्किल दिनों में अधिक से अधिक लाभार्थी कठिनाई कम करने के लिए योजना के तहत राहत ले सके। राहत राशि को दोगुना कर दिया गया है। सिस्टम डिनाइड लॉजिक द्वारा ऑटो-कल्कुलेशन के लिए समाविष्ट किया गया है। ऑनलाइन दावा आसानी से करने और उसके बाद राहत पाने को सरल बनाया गया है। कम मानवीय हस्तक्षेप तथा लाभार्थी के बैंक खाते में तात्कालिक राहत राशि की गणना के साथ-साथ राहत राशि के सीधे हस्तांतरण हेतु आवश्यक विधिमान्यकरण और सिस्टम परिभाषित सत्यापन लागू किए गए है। एबीवीकेवाई मॉड्यूल में हाल ही में निम्नलिखित उन्नयन भी शामिल किए गए है :

(ii) निर्दिष्ट दो जिलों में 'आयुष्मान भारत' के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने से पहले वास्तविक-काल की पात्रता जांच हेतु प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के साथ पंचदीप मॉड्यूल का एकीकरण। बीमाकृत व्यक्तियों के लाभ के लिए इस योजना को 50 और जिलों में बढ़ाया जा रहा है जिसे दिसंबर 2020 तक लागू किया जाएगा।

(iii) क.रा.बी.योजना के अंतर्गत स्थायी अपंगता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के प्रतिकर के लिए परिशोधित और संवर्धित दर को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (बीमा और हितलाभ मॉड्यूलों) में सफलतापूर्वक लागू किया गया है

ताकि परिशोधित हितलाभ दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र और वास्तविक लाभार्थियों को इलेक्ट्रोनिक रूप से बकाया भुगतान का संवितरण करने में मदद मिल सकें।

(iv) जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र के नियोजकों और इकाइयों को दिनांक 01.04.2019 से 30.09.2019 की पिछली अवधि हेतु चल रही भू-राजनीतिक स्थिति के दौरान की कठिनाई से निपटने के लिए एक विशेष उपाय के रूप में लाभार्थियों का अंशदान करने में विशेष छुट प्रदान की गई थी। सिस्टम को इसी तरह की चयनात्मक शिथिलता का संज्ञान लेने के लिए आरंभ किया गया था।

(v) संगठन की विश्वनीयता और परिदेयताओं में मूल्यवर्धन के लिए विभिन्न मुख्य निष्पादन संकेतकों की स्थिति को दर्शाते हुए www.esic.in में एक निष्पादन डैशबोर्ड प्रकट किया जाता है।

(vi) वास्तविक लाभार्थियों को हितलाभों के लक्ष्य संवितरण हेतु तथा समय-समय पर सूचना के प्रसार के लिए क.रा.बी.निगम के डेटाबेस में दिनांक 01.07.2020 से नए पंजीकृत कर्मचारियों के मोबाइल नंबर को सीड करना अनिवार्य किया गया था। मोबाइल नंबरों का प्रमाणीकरण ओटीपी के माध्यम से विधिमान्यकरण की क्रियाविधि से किया जाता है।

(vii) नए पंजीकृत कर्मचारियों के बैंक खाता विवरणों को दिनांक 01.07.2020 से क.रा.बी.निगम के डेटाबेस सीड करना अनिवार्य किया गया था। डेटासीडिंग की एकरूपता के लिए सिस्टम स्वचालित ढंग से बैंक के आईएफ़एस कोड को मान्य करता है और प्रत्यय पत्रों (Credentials) को प्राप्त करता है। सिस्टम बैंक खाता प्रत्यय पत्रों के प्रतिलिपिकरण (Duplication) को रोकता है और इस प्रकार फर्जी डेटा को हटाकर नकद हितलाभों के लक्ष्य संवितरण को सुनिश्चित करता है। लाभार्थियों के बैंक खाते के प्रत्यय पत्रों का भारतीय राष्ट्रीय संदाय निगम (एनपीसीआई) के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन एकीकरण के उन्नत चरण में है।

(viii) 'कारोबार करने में आसानी' के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सक्रिय प्लेटफार्म के माध्यम से कंपनियो के रूप में पंजीकृत होने वाली नई इकाइयों को सामान्य लेनदेन (Transcation) के माध्यम से एक बार में क.रा.बी.अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराने की भी सुविधा है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) पोर्टल के साथ पंचदीप के एकीकरण को प्रभावी बनाया गया है।

(ix) भारतीय स्टेट बैंक गेटवे के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में हितलाभों के सीधे संवितरण के लिए ई-भुगतान सुविधा का प्रावधान किया गया है।

(x) नियोजकों/ स्थापनाओं की सुविधा के लिए क.रा.बी.निगम ने वास्तविक-काल में धन-प्रेषण के लिए इन्टरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले नियोजकों द्वारा अंशदान के ऑनलाइन भुगतान के लिए विभिन्न बैंकों (एस.बी.आई., बी.ओ.बी., आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एक्सिस, केनरा, एचडीएफ़सी आदि) के साथ एकीकरण किया है। नियोजकों को उनकी पसंद के बैंक के माध्यम से अंशदान का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए अन्य बैंकों के साथ एकीकरण प्रक्रिया में है।

(xi) यूटीआई-आईटीएसएल ऑनलाइन दावों तथा निजी अस्पतालों जहां से क.रा.बी. विशेष मामलों में मुख्यत: तृतीयक देखरेख सेवाओं के लिए चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त करता है के बिलों के प्रक्रमण और संवीक्षण के लिए तृतीय पक्ष बिल प्रक्रमण एजेंसी के रूप में क.रा.बी.निगम का भागीदार रहा है। यूटीआई-आईटीएसएल के सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को पंचदीप के विभिन्न मोड्यूलों के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। इससे प्रस्तुत बिलों की जांच और भुगतान के समाशोधन (clearing) हेतु प्रक्रमण के लिए ऑनलाइन रेफरल की सुविधा उपलब्ध हुई है जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता, तीव्रता तथा क.रा.बी.निगम की नकदीरहित चिकित्सा सेवाएं, यदि क.रा.बी.निगम लाभार्थी के लिए सेवा प्राप्त करने की इच्छा रखता है जो उसके अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है प्रदान करने में दक्षता मिली है।

(xii) अस्पतालों में एप्पोइंटमेंट मांगने के लिए 'आस्क एन एप्पोइंटमेंट' मोबाइल एप्प के प्रावधानों के साथ मजबूत किया गया है। लाभार्थी जिसे औषधालय के चिकित्सक द्वारा एक अस्पताल में ऑनलाइन रेफर किया गया है, किसी विशेष दिन पर रेफर किए गए अस्पताल के रेफर किए गए विभाग की ओपीडी में पंजीकरण के लिए एप्पोइंटमेंट

मांग सकता है। इसके अतिरिक्त यदि अस्पताल में चिकित्सक लाभार्थी को ऑनलाइन पुन: दिखाने (फॉलो-अप करने) के लिए परामर्श करता है, तो रोगी लाइन में लगकर समय बर्बाद करने से बचने के लिए एप्पोइंटमेंट मांग सकता है। मोबाइल एप्प के जरिए एप्पोइंटमेंट की सुविधा पहले केवल औषधालयों में एप्पोइंटमेंट मांगने के लिए उपलब्ध थी। वर्तमान में, दिल्ली राज्य (निदेशालय चिकित्सा दिल्ली) ने यह सुविधा औषधालयों में लागू की है। अस्पतालों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। तेलंगाना और गोवा राज्य भी इस एप्पोइंटमेंट मॉड्यूल को अंगीकार करने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम और योजना बना रहे हैं। ये अस्पताल/ राज्य प्रत्येक विभाग/ अस्पताल/ औषधालय में संसाधन उपलब्धता के आधार पर समय निर्धारित कर राज्य/ अस्पताल/औषधालय के लिए होलिडे मास्टर में आवश्यक संरूपण करने वाले है और वो दिन दूर नहीं जब ये विभाग कार्यात्मक/ संचालित होंगे। प्रत्येक औषधालय / अस्पताल के लिए एक बारगी संरूपण गहन संसाधन है और नियंत्रक कार्यालय के अंगीकरण/ स्वामित्व पर निर्भर है। तथापि मॉड्यूल राष्ट्र के लिए तैयार है।

(xiii) क.रा.बी.निगम ने नियोजकों को www.esic.in में नियोजक पोर्टल के जरिये एक क्लिक पर नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल पर उनका खाता सृजित करने का एक विकल्प प्रदान किया है। क.रा.बी.निगम और एन.सी.एस. का यह एकीकरण नियोजकों को एन.सी.एस.पोर्टल पर अपने उद्योगों में रिक्तियों को पोस्ट करने में सहायता करता है जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को मूल्यवान प्रस्ताव मिलता है।

(xiv) पंचदीप एप्लिकेशन में बल्क अपलोडिंग तथा मौजूदा बीमाकृत व्यक्तियों/ कर्मचारियों के बैंक खाते के विवरणों की सीडिंग का प्रावधान नियोजकों को मौजूदा लाभार्थियों के डेटा को शीघ्रता से अधतन करने की सुविधा प्रदान करता है।

(xv) प्रसूति खर्च को रुपये 5000 से रुपये 7500 तक बढ़ाया गया है। इसे दिनांक 27.10.2020 से सिस्टम में स्व: गणना के लिए प्रभावी बनाया गया है।

(xvi) www.esic.in पोर्टल को एक नया रूप और आसानी से पहुँच के लिए सुधारा गया है। www.esic.in के सुरक्षा अनुपालन जैसा कि जीआइजीडब्ल्यू और वीएपीटी द्वारा अनिवार्य किए गए हैं, को पहले ही पूरा किया जा चुका है।

(xvii) पंचदीप 2.0 में रूपान्तरण के लिए एक व्यावसायिक संगठनात्मक इकाई को काम पर लगाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

18 पूंजीगत निर्माण कार्य :

18.1 पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किये गए हैं/ थे :

		वास्तविक 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
				(₹ लाख में)
	कार्यालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	551.99	2,278.50	2,633.00
	अस्पताल तथा औषधालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	43,987.22	57,120.30	1,37,447.00
	चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	13,221.25	20,748.00	14,800.00
	योग :	**57,760.46**	**80,146.80**	**1,54,880.00**

18.2 परिशिष्ट-III के विवरण परियोजनाओं के संबंध में बजट आवश्यकता के सूचक हैं जो प्रगति पर है।

18.3 निर्माण हेतु संस्वीकृत की गई निधियों, निर्माण एजेंसियों को दी गई निधियों तथा आगे अपेक्षित अनुमानित राशि की

सूचना सहित अस्पताल बिस्तरों, औषधालयों और कार्यालय भवनों के लिए पूंजीगत निर्माण कार्यक्रम की स्थिति नीचे दी गई है:

(क) अस्पताल बिस्तर :

i.	मानकों के अनुसार स्वीकार्य बिस्तरों की संख्या (बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर) दि-31.03.2020 की स्थिति	1,36,576
ii.	पहले से निर्मित अस्पतालों और एनैक्सियों में बिस्तरों की संख्या (सितम्बर, 2020)	25,359 अस्पताल 849 एनैक्सियां
iii.	निर्माणाधीन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (सितम्बर, 2020)	700
iv.	निर्माण हेतु पहले से अनुमत अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या	7,755

(ख) भवन :

i.	निर्माण के लिए फिलहाल पात्र औषधालयों की संख्या	1,489
ii.	पैनल क्षेत्रों में अपेक्षित औषधालय भवनों की संख्या	375
	योग **(i) + (ii)**	**1,864**
iii.	निर्मित औषधालयों की संख्या (सितम्बर, 2020 तक)	411
	निर्माण अपेक्षित औषधालयों की संख्या	**1,453**

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के मामले में वित्तीय परिव्यय :

(₹ लाख में)

i.	**निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाएं :**	
	सितम्बर, 2020 तक संस्वीकृत की गई राशि	14,30,444
	सितम्बर, 2020 तक दी गई राशि	11,84,628
	शेष देयता	2,45,816
ii.	**निर्माण अपेक्षित परियोजनाएं :**	
क.	₹ 7.00 लाख प्रति बिस्तर की लागत पर 1,02,762 अस्पताल बिस्तर	7,19,334
ख.	₹ 40 लाख प्रति औषधालय की लागत पर 1,455 औषधालय	58,120
ग.	कार्यालय भवन का परिव्यय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	
	i) सितम्बर, 2020 तक संस्वीकृत राशि	41,095
	ii) सितम्बर, 2020 तक दी गई राशि	36,545
	iii) शेष देयता	4,550
	iv) कुल देयता	10,27,820

निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में हुई प्रगति तथा निर्मित अस्पतालों को चालू करने के संबंध में आवधिक समीक्षा की जाती है। इस प्रयोजनार्थ, एक निर्माण उप समिति का गठन किया गया है।

तुलन पत्र

19. दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का सारांश नीचे दिया गया है :

शीर्ष	₹ करोड़ में		शीर्ष	₹ करोड़ में
देयताएं			**परिसंपत्तियां**	
क.रा.बी. सामान्य आरक्षित (व्यय से आय का आधिक्य)	96,095.40		स्थायी परिसंपत्तियां	14,714.87
आरक्षित निधियाँ वर्तमान देयताएँ	26,291.08		चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम	3,602.76
प्रतिभूति जमा	3,197.87		उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश	26,171.57
भविष्य निधि आदि में ऐसी जमा राशियां जिनके दावेदार नहीं है।			क.रा.बी. सामान्य आरक्षित का रोकड़ शेष तथा निवेश	81,095.15
कुल :	**1,25,584.35**		**कुल :**	**1,25,584.35**

संलग्नक – *I*

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन (1) व्याप्त कर्मचारियों (2) बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार एककों बीमाकृत महिलाओं और लाभार्थियों की संख्या की राज्यवार स्थिति का सूचक विवरण तथा दिनांक 31. 03.2022 तक व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आंध्र प्रदेश (i) विजयवाड़ा (ii) तिरुपति (iii) विशाखापट्टणम	5,85,820 6,32,300 2,43,100 2,68,360 3,67,650 4,04,930	1,69,788 80,328 87,013	24,53,324 10,41,237 15,71,128	8,143 3,379 5,110
2.	तेलंगाना	16,65,170 18,35,360	4,27,980	71,21,197	23,146
3.	असम तथा मेघालय तथा नागालैण्ड तथा त्रिपुरा	2,96,740 3,18,050	49,651	12,34,034	4,483
4.	सिक्किम	25,760 27,980	7,727	1,08,562	
5.	बिहार	3,14,600 3,39,530	27,843	13,17,376	4,373
6.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	1,53,510 1,67,850	25,268	6,51,258	2,134
7.	छत्तीसगढ़	4,54,510 5,02,700	43,389	19,50,476	6,318
8.	दिल्ली				
	(i) राजेन्द्र प्लेस	3,97,070 4,32,500	53,915	16,78,100	5,519
	(ii) रोहिणी	2,30,330 2,53,120	30,014	9,82,106	3,202
	(iii) ओखला	6,54,990 7,30,370	72,665	28,33,836	9,104
	(iv) नंदनगरी	1,62,570 1,80,360	19,656	6,99,797	2,260
9.	गोवा	1,86,460 2,09,270	37,279	8,11,968	2,592
10.	गुजरात				
	i अहमदाबाद	7,69,220 8,47,240	95,995	32,87,291	10,692
	ii वडोदरा	4,05,090 4,58,440	40,313	17,78,747	5,631
	iii. सूरत	3,81,150 4,16,610	38,252	16,16,447	5,298
11.	हरियाणा				
	(i) फरीदाबाद	7,51,690 8,63,960	96,444	33,52,165	10,448

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	(ii) गुरूग्राम	10,89,230 12,69,080	1,25,460	49,24,030	15,140
	(iii) अंबाला	2,47,790 2,73,060	30,513	10,59,473	3,444
12.	हिमाचल प्रदेश	23,10,200 3,48,140	46,747	13,50,783	4,312
13.	जम्मू एवं कश्मीर	1,21,980 1,33,440	16,501	5,17,747	1,696
14.	झारखण्ड	4,14,550 4,46,260	53,482	17,31,489	5,762
15.	कर्नाटक i. बेंगलुरु	10,24,980 11,44,200	3,11,573	44,39,496	14,247
	ii. हुबली	3,28,320 3,51,580	82,956	13,64,130	4,564
	iii. पीण्या	4,79,880 5,38,170	1,85,360	20,88,100	6,670
	iv. बोम्मसंद्रा	7,28,830 8,18,540	2,30,711	31,75,935	10,131
	v. गुलबर्गा	1,61,200 1,75,680	25,680	6,81,638	2,241
	vi. मैसूर	2,34,120 2,56,820	93,966	99,6,462	3,254
	vii. मेंगलूर	1,89,680 2,00,880	80,806	77,9,414	2,637
16.	केरल तथा (लक्षद्वीप)				
(i)	तृश्शूर	1,51,890 1,62,850	74,273	6,31,858	2,111
(ii)	एरणाकुलम	4,02,950 4,37,870	1,56,566	16,98,936	5,601
(iii)	कोल्लम	1,37,350 1,55,810	97,205	6,04,543	1,909
(iv)	कोषिकोड	1,60,380 1,71,050	74,791	6,63,674	2,229
(v)	तिरुवनंतपुरम	1,36,720 1,47,430	64,872	5,72,028	1,900
17.	मध्य प्रदेश				
i)	इंदौर	6,28,560 6,93,540	96,200	26,90,935	8,737
ii)	भोपाल	3,25,050 3,50,900	46,676	13,61,492	4,518
18.	महाराष्ट्र				
	i लोअर परेल	5,34,300 5,83,040	85,176	22,62,195	7,427
	ii मरोल	8,11,110 8,76,870	1,43,457	34,02,256	11,274
	iii ठाणे	7,63,880 8,30,820	1,08,613	32,23,582	10,618

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	iv नागपुर	3,34,620 3,57,570	31,955	13,87,372	4,651
	v औरंगाबाद	2,71,740 3,02,830	30,517	11,74,980	3,777
	vi पुणे	13,93,050 15,30,890	2,18,209	59,39,853	19,363
	vii नाशिक	1,96,960 2,16,600	22,008	8,40,408	2,738
19.	ओड़िशा	6,85,850 7,41,390	73,544	28,76,593	9,533
20.	पुदुच्चेरी + अंडमान एवं निकोबार	1,06,460 1,17,690	37,575	4,56,637	1,480
21.	पंजाब				
	I चंडीगढ़ (पंजाब)	4,20,520 4,66,900	78,606	18,11,572	5,845
	II जालंधर	2,74,230 2,95,520	60,124	11,46,618	3,812
	III लुधियाना	3,79,320 4,20,470	60,392	16,31,424	5,273
22.	राजस्थान				
	I जयपुर	8,98,030 10,02,260	1,09,789	38,88,769	12,483
	II उदयपुर	2,04,640 2,26,500	28,267	8,78,820	2,844
	III जोधपुर	1,76,920 1,96,220	24,650	7,61,334	2,459
23.	तमिलनाडु				
	i चेन्नै	18,27,520 20,40,390	605,999	79,16,713	25,403
	ii तिरुनेलवेली	1,79,120 1,91,840	78,651	7,44,339	2,490
	iii सेलम	3,74,910 4,15,530	111,966	16,12,256	5,211
	iv कोयम्बतूर	7,78,640 8,74,830	309,661	33,94,340	10,823
	v मदुरै	4,15,990 4,47,100	18,560	17,34,748	5,782
24.	उत्तर प्रदेश				
	i. कानपुर	4,61,300 4,96,080	44,192	19,24,790	6,412
	ii. वाराणसी	1,021,620 1,29,490	11,039	5,02,421	1,691
	iii. नोएडा iv. लखनऊ	11,51,620 13,07,670 4,76,250 5,15,080	153,818 46,614	50,73,760 19,98,510	16,008 6,620

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
25.	उत्तराखण्ड	5,58,640 6,44,060	86,035	24,98,953	7,765
26.	पश्चिम बंगाल				
	I कोलकाता	1,312,490 13,87,180	1,57,262	53,82,258	18,244
	II बैरकपुर	3,08,970 3,23,190	3,72,323	12,53,977	4,295
	III दुर्गापुर	2,29,140 2,41,900	15,115	9,38,572	3,185
	<u>अखिल भारत</u>	**3,09,66,930 3,41,44,140**	**62,65,035**	**13,24,79,263**	**3,71,232**

संलग्नक – *II*

कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रति व्यक्ति अंशदान आय व विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय

		वास्तविक 2017-2018	वास्तविक 2018-2019	वास्तविक 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021	बजट प्राक्कलन 2021-2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	**अंशदान आय**	6,258.00	7127.26	5,369.60	4,064.84	4,460.95
II.	**व्यय**					
1.	**हितलाभ :**					
क)	**नकद हितलाभ :**					
	बीमारी हितलाभ	127.47	120.18	127.30	130.07	170.33
	विस्तारित बीमारी हितलाभ	17.03	15.08	17.44	22.76	23.68
	मातृत्व हितलाभ	75.46	117.54	123.02	164.22	171.95
	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	38.21	31.13	29.79	35.77	41.53
	स्थायी निःशक्तता हितलाभ	0	48.20	161.12	177.23	185.58
	आश्रितजन हितलाभ	0	31.97	129.40	146.98	154.11
	अंत्येष्टि खर्च	6.55	5.48	7.63	10.73	11.36
	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	1.76	2.69	3.05	3.58	3.57
	अटल बीमित योजना	0	0	0.01	48.78	40.55
	अन्य हितलाभ	1.04	0.79	0.68	0.86	0.90
	कुल नकद हितलाभ	**267.52**	**372.93**	**599.44**	**740.98**	**803.55**
ख)	चिकित्सा हितलाभ पर व्यय (निगम का अंश)	2,847.20	3,165.44	3,004.20	3,656.52	4,284.56
2.	प्रशासनिक व्यय	427.43	369.66	554.04	446.83	542.66
	कुल प्रतिव्यक्ति व्यय (II)	**3,542.15**	**3,535.11**	**4,157.69**	**4,844.33**	**5,630.77**
	अंशदान आय में अंतर	**2,715.85**	**3,592.15**	**1,211.91**	**(779.49)**	**(1,169.82)**

निष्पादन एक झलक में

प्रति व्यक्ति व्यय राशि (₹)

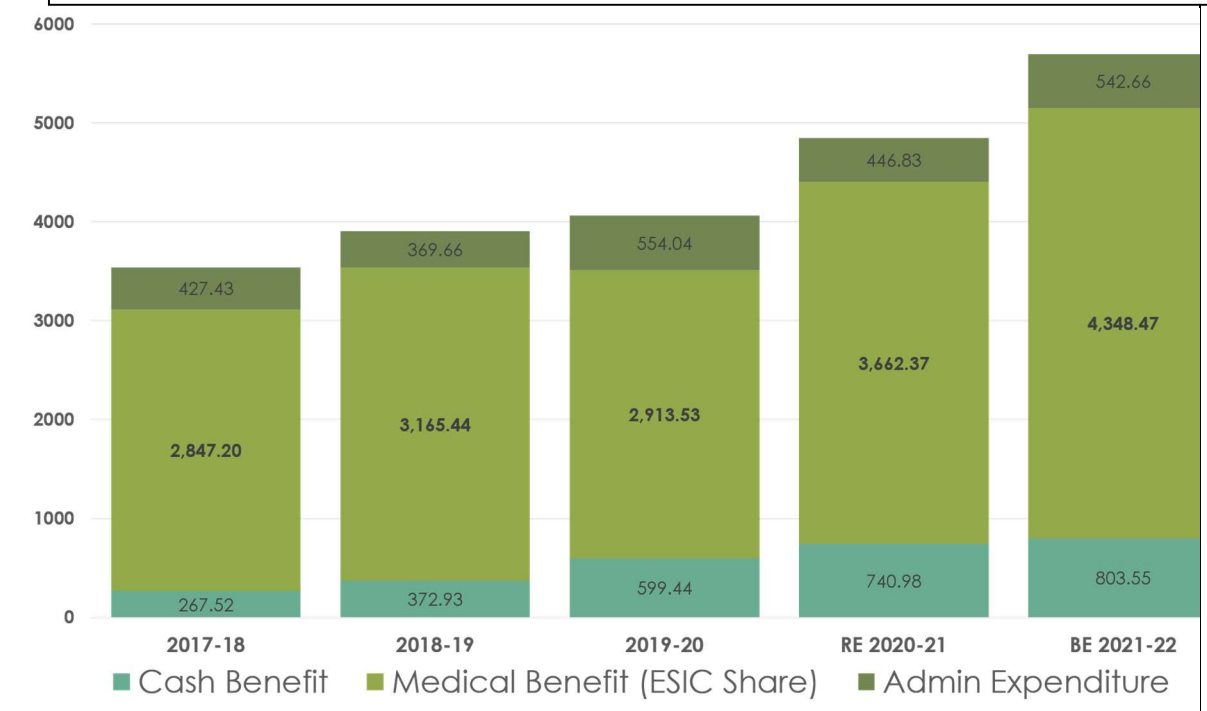

प्रति व्यक्ति अंशदान आय बनाम व्यय (₹)

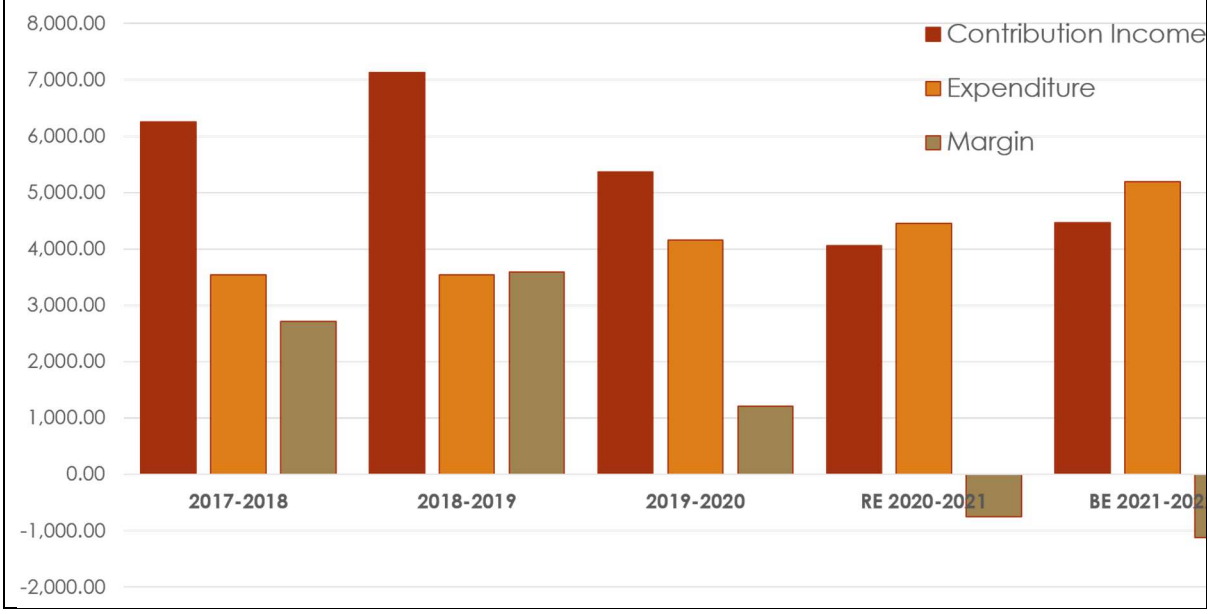

प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय एवं व्यय (₹)

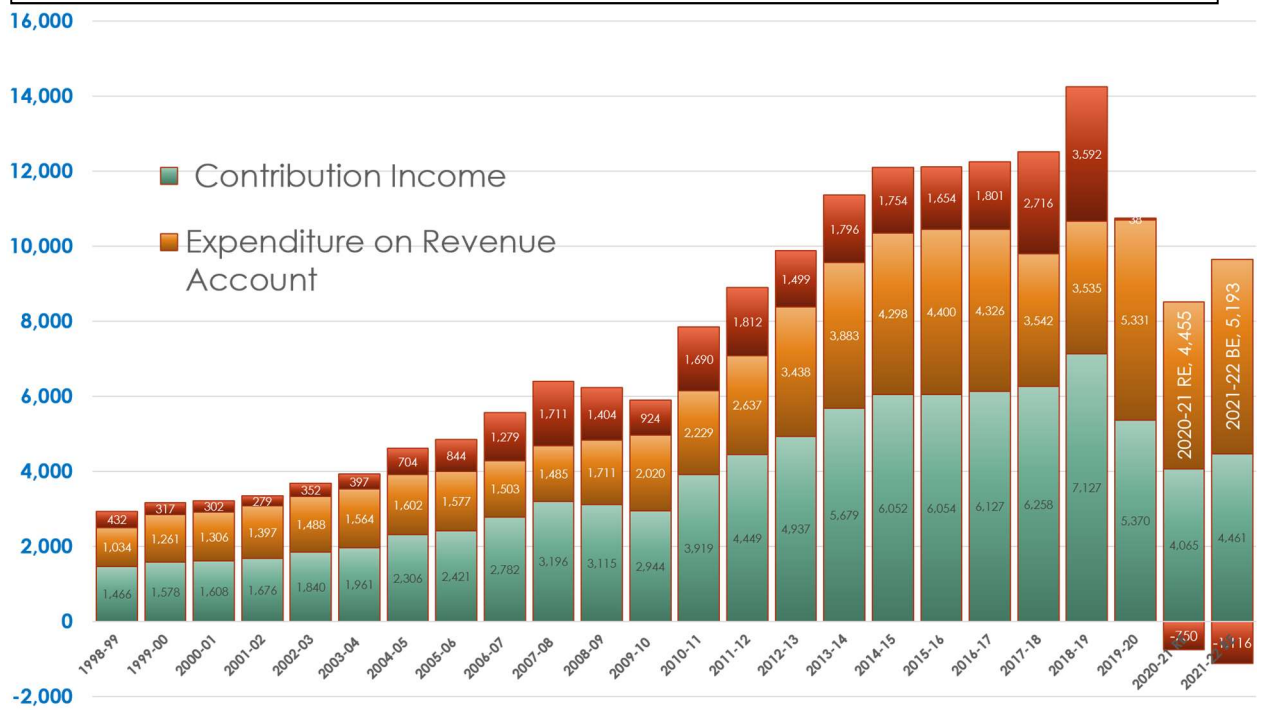

रोकड़ हितलाभ (प्रति व्यक्ति व्यय ₹)

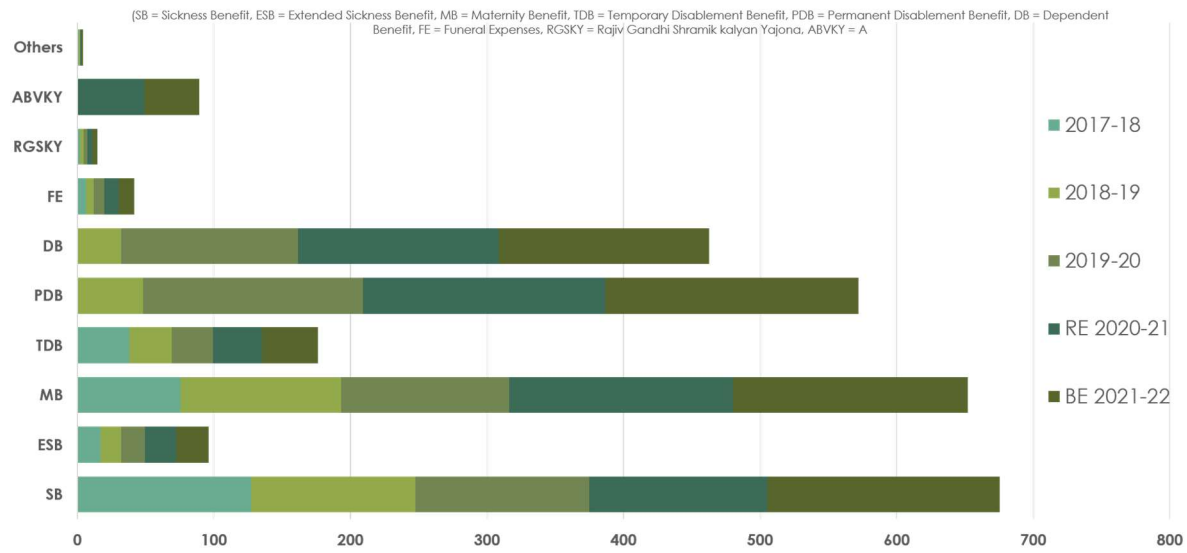

क.रा.बी. निगम - पिछले पांच वर्षों का वित्तीय विवरण

(₹ करोड़ में)

	लेखा-शीर्ष	वास्तविक 2016-2017	वास्तविक 2017-2018	वास्तविक 2018-2019	वास्तविक 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020-2021
क. राजस्व प्राप्तियां						
i)	अंशदान	13,662.44	20,077.18	22,279.13	16,744.56	12,500.00
ii)	ब्याज	3,069.19	3,196.88	4,629.97	5,298.19	5,975.26
iii)	किराया, दरें तथा कर	55.71	57.52	51.47	5.47	5.35
iv)	चिकित्सा हितलाभ के निमित्त दिल्ली राज्य सरकार का अंश जो प्रथमत: निगम द्वारा वहन किया गया	0.00	0.00	0.00	0	0
v)	शुल्क, जुर्माना एवं जब्तियां	32.22	36.48	48.78	48.68	50.00
vi)	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	14.32	15.31	23.17	33.97	45.00
vii)	विविध	18.50	97.00	280.11	31.06	40.00
	कुल राजस्व प्राप्तियां :	**16,852.39**	**23,480.36**	**27,312.64**	**22,161.93**	**18,615.61**
ख.	**राजस्व व्यय**					
क)	**हितलाभ :**					
i)	चिकित्सा हितलाभ :	6,256.57	6,867.74	8,721.38	9,368.30	11,244.33
ii)	नकद हितलाभ :	1,517.93	642.85	1,171.00	1,867.21	2,276.00
iii)	अन्य हितलाभ :	2.45	2.52	2.47	2.12	2.63
	कुल हितलाभ :	**7,776.95**	**7,513.11**	**9,894.85**	**11,237.63**	**13,522.96**
ख)	**प्रशासनिक व्यय**	**1,732.03**	**1,031.00**	**1,155.55**	**1,727.70**	**1,507.73**
ग)	वृहत् निर्माण हेतु प्रावधान	136.62	200.77	-	0.00	0.00
	कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग)	**9,645.60**	**8,744.88**	**11,050.40**	**12,965.33**	**15,030.69**
ग	**मुख्य व्यय**					
i)	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टर्स सहित)	29.67	19.12	8.80	5.51	22.78
ii)	अस्पताल एवं औषधालय	248.74	356.58	721.04	439.87	571.20
iii)	चिकित्सा शिक्षा परियोजना	469.25	321.29	228.68	132.21	207.48
iv)	अन्य परिसंपत्तियां	47.37	63.15	186.94	204.21	301.70
	कुल पूंजीगत व्यय	**795.04**	**760.15**	**1,145.47**	**781.82**	**1,103.16**
	राजस्व व्यय से राजस्व आय की अधिकता	**7,206.79**	**14,735.48**	**16,262.24**	**9,196.58**	**3,584.91**